# लोक-सभा
# वाद-विवाद

द्वितीय माला

खण्ड ४६, १९६०/१८८२ (शक)

[१२ से २३ दिसम्बर, १९६०/२१ अग्रहायण से २ पौष, १८८२ (शक)]

2nd Lok Sabha

सत्यमेव जयते

Preservation Unit
Fumigated
On 3-12-83
Parliament Library

बारहवां सत्र, १९६०/१८८२ (शक)

(खण्ड ४६ में अंक २१ से ३० तक हैं)

लोक-सभा सचिवालय,

नई दिल्ली

# लोक-सभा

मंगलवार, १३ दिसम्बर, १९६०

२२ अग्रहायण, १८८२ (शक)

लोक-सभा ग्यारह बजे समवेत हुई

[**अध्यक्ष महोदय** पीठासीन हुए]

## सदस्य द्वारा शपथ ग्रहण

श्री शंकर तुकाराम पाटिल (अकोला)

## प्रश्नों के मौखिक उत्तर

### संयुक्त राष्ट्र संघ में तिब्बत के मामले के बारे में अफ्रीकी-एशियाई सम्मेलन

†*८६६. **श्री गोरे :**
**श्री प्र० के० देव :**
**श्री रामेश्वर टांटिया :**
**श्री अजित सिंह सरहदी :**
**श्री हेम बरूआ :**
**श्री अ० मु० तारिक :**
**श्री राम कृष्ण गुप्त :**

क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत सरकार को तिब्बत के बारे में अभी हाल ही में दिल्ली में हुए अफ्रीकी-एशियाई सम्मेलन की ओर से एक ज्ञापन प्राप्त हुआ है, जिसमें भारत सरकार से संयुक्त राष्ट्र संघ की महासभा के चालू अधिवेशन की कार्य-सूची में तिब्बत का मामला शामिल करवाने के लिये प्रस्ताव रखने का अनुरोध किया गया है ;

(ख) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ; और

(ग) तिब्बत के प्रश्न पर संयुक्त राष्ट्र संघ में भारत का रवैया क्या रहा है ?

---

†मूल अंग्रेजी में



1650 (Ai)L.S.D.—1.

†**वैदेशिक कार्य उपमंत्री (श्रीमती लक्ष्मी मेनन)**: (क) और (ख). अफ्रीकी-एशियाई परिषद् से कोई टिप्पण या ज्ञापन प्राप्त नहीं हुआ ; केवल परिषद के एक सदस्य से एक पत्र प्राप्त हुआ है। भारत सरकार की यह राय है कि उन्हें उसमें उल्लिखित प्रस्ताव का समथन नहीं करना चाहिये।

(ग) यह प्रश्न अभी महासभा के सम्मुख चर्चा के लिये नहीं आया है।

†**श्री गोरे**: यदि यह प्रश्न संयुक्त राष्ट्र में चर्चा के लिये आयेगा तो हम अपने प्रतिनिधियों को क्या निदेश देंगे ?

†**श्रीमती लक्ष्मी मेनन** : यह बात संकल्प के मसविदे की शब्दावलि के ऊपर निर्भर करेगी। यदि हम उसे समर्थन करने योग्य समझेंगे तो हम उसका समर्थन करेंगे। अन्यथा हम उचित कार्यवाही करेंगे। क्योंकि प्रतिनिधिमंडल अन्तिम निर्णय करने के पूर्व भारत सरकार से राय लेता है।

†**श्री प्र० के० देव** : क्या अन्तर्राष्ट्रीय न्यायविद् आयोग ने अपने प्रतिवेदन में यह कहा है कि तिब्बत में स्पष्ट रूप से नरसंहार तथा मानवोचित अधिकारों का हनन किया गया है, और यदि हां तो सरकार इस प्रतिवेदन पर क्या कार्यवाही कर रही है, और वे संयुक्त राष्ट्र में इस प्रतिवेदन का क्या उपयोग करना चाहते हैं ?

†**श्रीमती लक्ष्मी मेनन** : अन्तर्राष्ट्रीय न्यायविद् आयोग जिसका माननीय सदस्य ने जिक्र किया है सरकारी संस्था नहीं है, सरकार गैरसरकारी संगठन की सिफारिशों पर क्या कार्यवाही कर सकती है ?

†**डा० राम सुभग सिंह** : क्या यह सच है कि उन लोगों द्वारा जोकि इस समय तिब्बत के भाग्य विधाता है, तिब्बती जाति का सफाया किया जा रहा है, यदि हां, तो सरकार उसके संबंध में क्या विचार कर रही है ?

†**श्रीमती लक्ष्मी मेनन** : न्यायविदों ने अपने ज्ञापन में भी यही कहा है, संग्रह किये गये प्रमाणों पर विचार करने के उपरांत उन्होंने यह कहा है कि तिब्बत में व्यापक रूप से नरसंहार हुआ है।

†**श्री हेम बरूआ** : क्या सरकार का ध्यान इस ओर आकर्षित हुआ है कि संयुक्त राष्ट्र महासभा के पिछले सत्र के पश्चात् से ऐसी बहुत कुछ बातें हुई हैं जिनसे हम संयुक्त राष्ट्र की शब्दावलि के अधीन यह कह सकते हैं कि चीन के तिब्बत प्रदेश में मानवीय अधिकारों के हनन और व्यापक नरसंहार की घटनायें हुई हैं। यदि हां, तो क्या सरकार संयुक्त राष्ट्र महासभा के अगले सत्र में अपने निर्णय को बदलने का विचार कर रही है ?

†**प्रधान मंत्री तथा वैदेशिक कार्य मंत्री (श्री जवाहरलाल नेहरू)** : तिब्बत के सम्बन्ध में हमारी नीति पर सभा में कई बार चर्चा हो चुकी है। हमारी नीति स्पष्ट है, अतः उसे बदलने का कोई कारण नहीं है। यह तिब्बत में होने वाली घटनाओं के समर्थन का प्रश्न नहीं है, हमने वहां हुई कई बातों का समर्थन नहीं किया है। प्रश्न यह है कि हमें इस सम्बन्ध में क्या करना चाहिये। पिछले वर्ष भी इस प्रश्न पर विस्तार से चर्चा हुई थी, जब यह मामला संयुक्त राष्ट्र में पहुंचा तो कई राष्ट्रों ने विभिन्न कारणों से मतदान नहीं दिया। मैं इस प्रतिवेदन के सम्बन्ध में यह नहीं बता सकता हूं कि यह कहां तक ठीक या गलत है। वस्तुतः ऐसा उनके लिये भी कहना कठिन है क्योंकि यह प्रतिवेदन

---

†हिन्दी में

**(अध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए)**

उन शरणार्थियों के कथनों के आधार पर बना है जोकि यहां आये हैं। यह प्रतिवेदन अन्य प्रकार से तैयार भी नहीं किया जा सकता था। तथापि इस प्रकार के वृत्तान्त सीमित और अतिशयोक्तिपूर्ण होते हैं। इन बातों पर विचार न करते हुए भी इसमें कोई संदेह नहीं है कि तिब्बत में ऐसी बहुत सी बातें हुई हैं जिन से वहां के बहुत से व्यक्तियों को बहुत कष्ट उठाना पड़ा है।

तथापि इस सम्बन्ध में संयुक्त राष्ट्र क्या कदम उठाता है यह इस बात पर निर्भर करता है कि वहां किस प्रकार का संकल्प रखा जाता है। तथापि इन बातों से हमारे लिये स्थिति में कोई अन्तर नहीं आता है।

†**श्री गोरे** : क्या मैं जान सकता हूं कि संयुक्त राष्ट्र में हमारे प्रतिनिधि जो उपनिवेशवाद के विरोध में लम्बी-चौड़ी बातें कहते हैं और उसकी भर्त्सना करते हैं, इस सम्बन्ध में चुप क्यों रहते हैं, जबकि चीनियों द्वारा वहां वीभत्स अत्याचार किये जा रहे हैं?

†**श्री जवाहरलाल नेहरू** : यह स्पष्ट है कि यह उस प्रकार का उपनिवेशवाद नहीं है, जिस का हम उल्लेख करते रहे हैं, सभंव है यह उस से भी बुरा हो। इस का इतिहास शताब्दियों पुराना और संघर्षों से युक्त है तथा वहां कुछ अधिकारी शासन कर रहे हैं। आप इस की भर्त्सना करें या न करें यह बिल्कुल दूसरी बात है। तथापि यह दूसरे प्रकार की चीज है।

†**श्री प्र० चं० बरूआ** : इस संस्था को धन कहां से प्राप्त होता है? मेरा आशय तिब्बत संबंधी 'कन्वेंशन' से है।

†**श्री जवाहरलाल नेहरू** : मैं नहीं जानता हूं; भला मैं किस प्रकार जान सकता हूं।

**श्री अ० मु० तारिक** : मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या हुकूमत को यह इल्म है कि इस दफ़ा अकवामे-मुत्तहिदा में हिन्दुस्तान के कुछ शहरी गये और वे हिन्दुस्तान की हुकूमत की मौजूदा तिब्बत-पालिसी पर नुक्ता-चीनी करते रहे और बाहर के मुल्कों में हिन्दुस्तान की पालिसी के खिलाफ़ प्रोपेगेंडा करते रहे। मैं यह भी जानना चाहता हूं कि इन लोगों को कितना फ़ारेन एक्सचेंज दिया गया।

**श्री जवाहरलाल नेहरू** : किन लोगों का जिक्र है और कहां?

**श्री अ० मु० तारिक** : श्री जे० जे० सिंह और उन के सहयोगी।

**श्री जवाहरलाल नेहरू** : जहां तक मुझे याद है, दो साहबों को बारह हज़ार रुपये का फ़ारेन एक्सचेंज दिया गया।

**श्रीमती लक्ष्मी मेनन** : श्री जे० जे० सिंह और श्री पुरुषोत्तमदास त्रीकमदास को।

**श्री अ० मु० तारिक**: मेरे सवाल के पहले हिस्से का जवाब नहीं दिया गया। क्या यह हकीकत है कि जब ये लोग वहां गये, तो हुकूमते-हिन्दुस्तान की सरकारी पालिसी पर नुक्ता-चीनी करते रहे और दूसरे मुल्कों में हमारी पालिसी के खिलाफ़ लाबीइंग करते रहे? अगर यह दुरुस्त है, तो इस बारे में हुकूमत ने क्या कदम उठाया है?

**श्री जवाहरलाल नेहरू** : मैं इस का क्या जवाब दूं? मुमकिन है कि आनरेबल मेम्बर जो बातें कहते हैं, वे कुछ सही हों। मैं जांच-पड़ताल नहीं कर सकता कि उन्होंने पर्दे के पीछे क्या क्या किया।

---

†मूल अंग्रेजी में

†**श्री राम कृष्ण गुप्त** : माननीय प्रधान मंत्री ने अभी यह कहा था कि इस मामले में कुछ सच्चाई ज्ञात होती है। क्या सरकार को हमारे वहां स्थित मुख्य कार्यालय से ऐसी शिकायतें प्राप्त हुई हैं ?

†**श्री जवाहरलाल नेहरू** : सामान्य रूप से इस प्रकार की शिकायतें नहीं आई हैं। जो जानकारी हमारे पास पहुंचती है वह सीमित होती है, क्योंकि वह उन घटनाओं पर आधारित रहती है जो कि उस इलाके में हुई। व्यापक नरसंहार संबंधी कोई जानकारी हमारे पास नहीं आई है।

†**श्री अन्सार हरवानी** : क्या सरकार को ज्ञात है कि दिल्ली के कुछ राजदूतावास इन अभिसमयों की सहायता कर रहे हैं तथा उन का संगठन कर रहे हैं, यदि हां, तो सरकार ऐसी कार्यवाहियों को रोकने के लिये क्या करने का विचार कर रही है ?

†**श्री जवाहरलाल नेहरू** : हमें इस विषय की कोई जानकारी नहीं है।

†**श्री चिन्तामणि पाणिग्रही** : क्या प्रधान मंत्री का ध्यान ब्लिटज में प्रकाशित श्री जे० जे० सिंह द्वारा श्री जयप्रकाश नारायण को लिखे इस पत्र की ओर आकर्षित हुआ कि यदि भारतीय प्रतिनिधिमंडल संयुक्त राष्ट्र में उनके मत का समर्थन नहीं करेगा तो वे प्रधान मंत्री का भांडा-फोड़ करेंगे यदि हां तो प्रधान मंत्री की इस बारे में क्या प्रतिक्रिया है ?

†**श्री जवाहरलाल नेहरू** : मैंने ऐसा कोई पत्र नहीं देखा है। मैं नहीं जानता कि उस पत्र में क्या लिखा है।

## दंडकारण्य योजना

†*८६७. **श्री स० मो० बनर्जी** :
**श्री साधन गुप्त** :
**श्री सूपकार** :
**श्री अजित सिंह सरहदी** :
**डा० राम सुभग सिंह** :
**श्री सुरेन्द्र नाथ द्विवेदी** :
**श्री मोहन स्वरूप** :
**श्री हेम बरूआ** :
**श्री तंगामणि** :
**श्री विमल घोष** :
**श्री संगण्णा** :

क्या **पुनर्वास तथा अल्पसंख्यक कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि अपेक्षित मशीनों को पहुंचाने में प्रतिरक्षा मंत्रालय द्वारा होने वाले विलम्ब के कारण दण्डकारण्य में भूमि को कृषि योग्य बनाने के काम को धक्का पहुंचा है ;

(ख) क्या दण्डकारण्य में अभी हाल ही में कुछ और विस्थापित व्यक्ति लाये गये हैं ; और

(ग) १ जनवरी, १९६० से ३० नवम्बर, १९६० तक की अवधि में पश्चिमी बंगाल से प्रतिमास कुल कितने विस्थापित व्यक्ति अथवा परिवार यहां लाये गये ?

---

†मूल अंग्रेजी में

**पुनर्वास उपमंत्री (श्री पू० शे० नास्कर)** : (क) (ख) और (ग). माननीय सदस्यों का ध्यान २८ नवम्बर, १९६० को लोक सभा के सदस्यों में परिचालित दण्डकारण्य योजना की प्रगति के प्रतिवेदन की ओर आकर्षित किया जाता है ।

†**श्री स० मो० बनर्जी** : क्या यह सच है कि २९ फरवरी, १९६० के दिन प्रतिरक्षा मंत्रालय को ७५ ट्रक्टरों के लिये आर्डर दिया जाना था तथापि यह आर्डर २६अ प्रैल, १९६० को दिया गया ।

†**श्री पू० शे० नास्कर** : यह निश्चय किया गया था कि यह आर्डर अप्रैल में ही दिया जायेगा और वैसा ही किया गया ।

†**श्री स० मो० बनर्जी** : क्या यह सच है कि २५ केटरपिलर ट्रेक्टरों के लिये एक अमरीकी फर्म को आर्डर दिया गया है, यह आर्डर प्रतिरक्षा मंत्रालय को क्यों नहीं दिया गया ।

†**श्री पू० शे० नास्कर** : यह सच है कि प्रतिरक्षा मंत्रालय के डी० जी० ओ० एफ० को ७५ ट्रक्टरों का आर्डर देने के अलावा एक अमरीकी फर्म को ४५ ट्रेक्टरों का आर्डर दिया गया है जिसमें से ४५ केटरपिलर भी शामिल हैं । प्रतिरक्षा मंत्रालय दण्डकारण्य में भूमि को कृषि योग्य बनाने के अविलम्बनीय कार्यक्रम को पूरा करने के लिये आवश्यक पूरे उपकरण समय पर नहीं भेज सका ।

†**श्री स० मो० बनर्जी** : माननीय मंत्री जी ने कहा है कि प्रतिरक्षा मंत्रालय समय पर सामान नहीं दे सका । मेरा प्रश्न यह है कि क्या आर्डर २६ फरवरी , १९६० को दिया गया था या उसमें विलम्ब किया गया और क्या यह विलम्ब प्रतिरक्षा मंत्रालय की ओर से किया गया । मैं यह जानना चाहता हूं कि आर्डर देने में विलम्ब हुआ या प्रतिरक्षा मंत्रालय द्वारा समय पर सामान नहीं दिया गया ?

†**श्री पू० शे० नास्कर** : जैसा निश्चय किया गया था आर्डर अप्रैल में दिया गया । यह आशा की गई थी कि अक्तूबर, १९६० तक सामान मिल जायेगा तथापि [कुछ कारणों से सामान मिलने में विलम्ब हो गया । वे उस महीने ट्रेक्टर नहीं दे सके । मेरे विचार से आर्डर देने में कोई विलम्ब नहीं हुआ ।

†**डा० राम सुभग सिंह** : कुल कितनी जमीन कृषि योग्य बनायी गयी तथा कितनी जमीन में वास्तव में खेती की जाती है ?

†**श्री पू० शे० नास्कर** : मैं माननीय सदस्यों का ध्यान उस प्रतिवेदन में दिये गये विवरणों की ओर आकर्षित करना चाहता हूं जो कि उन्हें परिचालित किया गया है ।

†**अध्यक्ष महोदय** : प्रति दिन सभा में यह पूछा जाता है कि दण्डकारण्य में काम की क्या प्रगति है, भला प्रगति किस प्रकार हो सकती है । मैं दण्डकारण्य के सम्बन्ध में छः महीने में एक बार चर्चा करने की इजाजत देने को तैयार हूं जिससे कि माननीय सदस्य सन्तुष्ट हो जायं । मैं इसके लिये तीन या चार घंटे का समय निश्चय कर सकता हूं । इस बीच माननीय सदस्यों को वहां खुद जाकर देखना चाहिये । अगला प्रश्न ।

---

†मूल अंग्रेजी में

## लौह अयस्क का निर्यात

†*८६८ {श्रीमती इला पालचौधरी :
डा० राम सुभग सिंह :

क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि यूरोप के देशों को लौह-अयस्क का अधिक मात्रा में निर्यात करने की सम्भावनाओं की जांच की जा रही है ;

(ख) यदि हां, तो इसके लिये जो प्रयत्न किये जा रहे हैं, उनका ब्यौरा क्या है, ; और

(ग) इस सम्बन्ध में अब तक क्या प्रगति हुई है ?

†**वाणिज्य तथा उद्योग उपमंत्री (श्री सतीश चन्द्र)** : (क) से (ग). लौह अयस्क का यूरोप को निर्यात किया जा रहा है। विशेष मांग तथा बन्दरगाह तथा रेलवे क्षमता पर ध्यान देते हुए निर्यात में वृद्धि करने की संभावनाओं पर विचार किया जा रहा है ।

†**श्रीमती इला पालचौधरी** : क्या यह सच है कि इटली, पश्चिम जर्मनी, जी कोस्लोवाकिया ने भारत के लौह-अयस्क के सम्बन्ध में दिलचस्पी दिखायी है, उसके निर्यात के लिये हमें दक्षिण के बन्दरगाहों का विकास करना पड़ेगा ?

†**श्री सतीश चन्द्र** : जी कोस्लोवाकिया हम से काफी बड़ी मात्रा में लोह-अयस्क खरीद रहा है। जापान, इटली और पश्चिम जर्मनी ने भारत के पश्चिमी बंदरगाहों से लौह-अयस्क खरीदने में दिलचस्पी दिखायी है। पश्चिम जर्मनी का उत्साह इन दिनों मन्दा हो गया है। इटली भी इस क्षेत्र में है, उसने इस वर्ष १.५ लाख टन लौह-अयस्क के संभरण के लिये समझौता कर लिया है ।

†**श्री जगन्नाथ राव** : क्या रूमानिया को लौह-अयस्क का निर्यात करने के सम्बन्ध में कोई समझौता हुआ है ?

†**श्री सतीश चन्द्र** : रूमानिया के वाणिज्य मंत्री कल ही दिल्ली पहुंचे हैं । इस सम्बन्ध में वार्ता हो रही है ।

†**श्री बासप्पा** : घटिया प्रकार के लौह-अयस्क को पश्चिमी समुद्री तट से इटली तथा अन्य देशों को भेजने के सम्बन्ध में क्या क्या संभावनायें हैं यदि हां, तो इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की गयी है ?

†**श्री सतीश चन्द्र** : पश्चिमी किनारे से बढ़िया तथा घटिया दोनों प्रकार की लौह-अयस्क भेजी जाती है । सभी देश अच्छी बिचली तथा घटिया तीनों प्रकार की लौह-अयस्क खरीदना चाहते हैं जिससे कि वे उनका उचित मिश्रण कर सकें । इस सम्बन्ध में प्रयत्न किया जा रहा है और वर्तमान क्षमता का पूरा उपयोग किया जा रहा है, बंदरगाहों की क्षमता में अतिरिक्त विकास करने पर ही पश्चिमी तटों से अधिक संभरण संभव है ।

†**श्री तिरुमल राव** : उक्त देशों तथा भारत के साथ किये हुए समझौतों में क्या यह बात भी निश्चित की गयी है कि यह अयस्क खरीददार देशों के जहाजों में ही ले जायी जायेगी या भारतीय नौवहन के लिये भी कुछ स्थान सुरक्षित रखा गया है ।

---

†मूल अंग्रेजी में

†श्री सतीश चन्द्र : भारतीय नौवहन के लिये भी कुछ स्थान सुरक्षित रखा गया है । एक प्रश्न के उत्तर के दौरान मैंने बताया था कि जापान के मामले में १० प्रतिशत अयस्क भारतीय नौवहन से जायेगा, तथापि भारतीय जहाज इतनी मात्रा को ले जाने के लिये भी उपलब्ध नहीं है।

†श्री दामानी : क्या सरकार ने विदेशों को निर्यात की जाने वाली अयस्क की कुल मात्रा का हिसाब लगा लिया है यदि हां, तो उसकी तुलना में वर्तमान निर्यात कितना प्रतिशत है ?

†श्री सतीश चन्द्र : पिछले वर्ष रेल और बन्दरगाह क्षमता ३० लाख टन थी । हमने ३० लाख टन अयस्क का निर्यात किया । इस वर्ष हम आशा करते हैं कि हम ३५ लाख टन का निर्यात कर सकेंगे क्योंकि रेल और बन्दरगाह के अधिकारियों ने इतनी क्षमता होने का संकेत दिया है । तीसरी योजना में वह क्षमता और भी अधिक बढ़ जायेगी ।

†श्री त्यागी : विदेश में पृथक-पृथक देश में लौह-अयस्क की कितनी मांग है, क्या यह अदल बदल के आधार पर दी जाती है, या रुपये के आधार पर या इसके लिये हमें विदेशी मुद्रा उपलब्ध होती है ।

†अध्यक्ष महोदय : माननीय सदस्य एक पृथक प्रश्न पूछ सकते हैं मैं उसे अतारांकित प्रश्न के रूप में स्वीकार कर लूंगा ।

†श्री त्यागी : सभी देशों को निर्यात किये जाने वाले लौह-अयस्क की मात्रा क्या है ?

†अध्यक्ष महोदय : यह सारी जानकारी भारत सरकार के विदेशी व्यापार सम्बन्धी विवरण में उपलब्ध हो सकती है । माननीय सदस्य फुरसत के समय पुस्तकालय में जाकर इन विषयों का अध्ययन कर सकते हैं । प्रश्न काल का ऐसी जानकारी के लिये उपयोग नहीं किया जाना चाहिये जो कि प्रतिवेदनों या पुस्तकालयों से सरलता से उपलब्ध हो सकती हैं । माननीय मंत्री जी के ऊपर इन सारे आंकड़ों को देने की जिम्मेदारी देना ठीक नहीं है ।

†श्री त्यागी : यदि प्रत्येक देश को होने वाले निर्यात के पृथक-पृथक आंकडे नहीं बताये जा सकते हैं तो कुल निर्यात की मात्रा बता दी जाय ।

†अध्यक्ष महोदय : यह आंकड़े अभी नहीं बताये जा सकते हैं । प्रत्येक देश को किये जाने वाले निर्यात के पृथक-पृथक आंकड़े अतारांकित प्रश्न पूछने पर ही बताये जा सकते हैं । विदेश व्यापार में विदेशों को किये जाने वाले निर्यात की कुल मात्रा भी दी गयी है ।

†डा० राम सुभग सिंह : क्या लौह-अयस्क की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिये नये क्षेत्रों को विकास करने का भी कोई विचार है ?

†श्री सतीश चन्द्र : माध्यमिक बन्दरगाहों के विकास के लिये माध्यमिक बन्दरगाह विकास समिति ने एक सिफारिश प्रस्तुत की है जिस पर परिवहन तथा संचार मंत्रालय विचार कर रहा है । विभिन्न बन्दरगाहों में यांत्रिक लदान के लिये कुछ अतिरिक्त क्षमता का विकास किया जा रहा है ।

†श्री प्र० के० देव : क्या सरकार का यह भी विचार है कि लौह-अयस्क के स्थान में कच्चे लोहे का निर्यात किया जाय, जिससे कि इस देश में लौह उद्योग को प्रोत्साहन मिल सके, विशेषतः माध्यमिक पैमाने के लौह उद्योगों यथा निम्न उदग्र धमन भट्टियों को ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†**श्री सतीश चन्द्र** : विदेशों को कच्चा लोहा बहुत छोटी मात्रा में निर्यात किया जाता है। वस्तुत: सारे लोहे और इस्पात का हमारे देश में ही उपयोग हो जाता है। क्योंकि हम इस्पात का आयात करने वाले देशों में से हैं। अत: जब तक कच्चे लोहे के उत्पादन में काफी वृद्धि नहीं हो जाती है तब तक हम अधिक मात्रा में कच्चे लोहे का निर्यात नहीं कर सकते हैं।

†**श्री शिवनंजप्पा** : मैसूर राज्य में हुए अभी हाल के सर्वेक्षण से यह पता चला है कि हमारे पास ५० लाख टन बढ़िया प्रकार का लौह-अयस्क खुदाई के लिये तैयार है, क्या सरकार ने निर्यात के लिये इसका विकास करने के लिये कोई कार्यवाही की है ?

†**श्री सतीश चन्द्र** : मैसूर से लौह-अयस्क का निर्यात मद्रास तथा अन्य छोटे बन्दरगाहों के द्वारा किया जाता है। मंगलौर बन्दरगाह के विकास के लिये एक योजना विचाराधीन है, इस योजना पर योजना आयोग, परिवहन तथा संचार मंत्रालय तथा वित्त मंत्रालय विचार कर रहा है।

## स्कटरों का वितरण

†*८६९. **श्री राम कृष्ण गुप्त :**
**श्री राम गरीब :**

क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) स्कूटरों का उचित कीमतों पर समान वितरण करने की व्यवस्था करने के लिए क्या कदम उठाये गये हैं अथवा उठाये जाने का विचार है; और

(ख) उसका क्या परिणाम निकला है ?

†**उद्योग मंत्री (श्री मनुभाई शाह)** : (क) और (ख). सभा पटल पर एक विवरण रखा जाता है।

विवरण

स्कटरों के बिक्री और नियंत्रण पर २-९-१९६० से स्कूटर (वितरण और बिक्री) नियंत्रण आदेश, १९६० जारी कर नियंत्रण कर लिया गया है।

नियंत्रण आदेश की मुख्य बातें इस प्रकार हैं :—

(१) विक्रेता केवल उन्हीं व्यक्तियों को स्कूटर बेच सकेंगे जिनके आर्डर उनके द्वारा बुक किये गये हैं। बिक्री के सम्बन्ध में बुक किये गये आर्डर के अनुसार ही पूर्ववर्तिता प्रदान की जायेगी।

(२) इस उद्देश्य से कि लोग फर्जी आर्डर न दे सकें, प्रत्येक खरीददार से पंजीयन आवेदन पत्र के साथ २५० रु० की बैंक गारंटी मांगी जाती है।

(३) एक पत्री वर्ष में एक ही व्यक्ति एक से अधिक स्कूटर नहीं खरीद सकता है।

(४) कोई भी व्यक्ति स्कूटर को पहिली बार खरीदने की तारीख से एक साल समाप्त होने के पूर्व नियंत्रक की लिखित अनुमति के पूर्व नहीं बेच सकता है।

यह नियंत्रण आदेश अभी हाल लागू हुआ है; अत: अभी उसके नतीजों के सम्बन्ध में नहीं जाना जा सकता है। तथापि इस स्थिति पर भी यह कहा जा सकता है कि इसके लागू होने से फर्जी खरीददारों की संख्या बहुत कम हो गयी है।

---

†मूल अंग्रेजी में ||

†**श्री रामकृष्ण गुप्त** : क्या एक व्यापारी को स्कूटरों का पूरा कोटा प्राथमिकता के आधार पर बेचना होता है या इसमें कोई अपवाद भी होता है ?

†**श्री मनुभाई शाह** : प्राथमिकता के आधार का कोई प्रश्न नहीं है । यह व्यापारियों के पास पंजीबद्ध क्रम के आधार पर होता है जो पहले दर्ज होते हैं उन्हें पहले मिलता है ।

†**श्री राम कृष्ण गुप्त** : विवरण से पता लगता है कि कोई व्यक्ति पहली बार स्कूटर खरीदने की तिथि से एक वर्ष के अन्दर उसे बेच नही सकता, जब तक कि उसे नियंत्रक से लिखित अनुमति न मिल जाये । क्या नियंत्रक ने अभी तक किसी को ऐसे विक्रय की अनुमति दी है ?

†**श्री मनुभाई शाह** : वे आंकड़े यहां नहीं आते, क्योंकि हमारा विकेन्द्रित नियंत्रण है । अब प्रत्येक राज्य नियंत्रक इन अधिकारों का प्रयोग करता है । परन्तु हमें ऐसा विश्वास करने का कोई कारण नहीं है कि बहुत से पर्मिट दिये गये हैं ।

†**श्री तंगामणि** : क्या सरकार के पास उन का ब्यौरा है जिन्होंने स्कूटरों के लिये अर्जियां दी हैं और कितने लोगों को स्कूटर मिल गये हैं ? क्या वे बैंक प्रत्याभूति के स्थान पर २५० रुपये नकद लेंगे ?

†**श्री मनुभाई शाह**: दोनों प्रकार के ग्राहक हैं । कुछ लोग बैंक गारंटी दे सकते हैं, और दूसरे नकद दे सकते हैं ।

†**श्री भा० कृ० गायकवाड़** : स्कूटर वितरक अभिकर्ताओं या व्यापारियों के क्या नाम हैं ? और अब मूल्य कितना है ?

†**श्री मनुभाई शाह** : मूल्य २५०० रुपये, २७०० रुपये और ३००० रुपये के लगभग है । दूसरे से व्यापारी वितरण अभिकर्ता हैं ।

†**श्री आचार** : विवरण से पता चलता है कि एक व्यक्ति के पास एक ही स्कूटर हो सकता है ? इस का क्या कारण है ?

†**श्री मनुभाई शाह** : हमारी स्थिति ऐसी नहीं है कि हम एक व्यक्ति को एक से अधिक स्कूटर दे सकें ।

†**श्री त्यागी** : निर्माता फर्मों को कितने प्रतिशत लाभ की अनुमति दी गई है ?

†**श्री मनुभाई शाह** : मूल्यों पर इस प्रकार का नियंत्रण नहा है । परन्तु वे सामान्यतया उचित लाभ के साथ काफी उचित दाम रखते हैं ।

†**श्री त्यागी** : क्या मूल्य निर्माताओं द्वारा निर्धारित किये जाते हैं ?

†**श्री मनुभाई शाह** : जी नहीं । बहुत सी चीजों के बारे में, जिनका अभाव है, मूल्य हमारे, सरकार द्वारा अनुमोदित होता है । हम साधारणतया पूंजी व्यय पर १२ प्रतिशत लाभ की अनुमति देते हैं, जैसा कि प्रशुल्क आयोग ने विभिन्न वस्तुओं के लिये सिफारिश की है ।

**श्री रामसिंह भाई वर्मा** : आम तौर पर यह देखा गया है कि जो लोग स्कूटर खरीदते हैं वे अधिक कीमत पर दूसरों को बेच देते हैं । तो क्या माननीय मंत्री जी के सामने यह सवाल विचाराधीन है कि जिस को स्कूटर दिया जाय वह अमुक अमुक वर्षों तक न तो उस को बेच सके, न गिरवी रख सके और न किसी को बख्शीस में दे सके ?

---

†मूल अंग्रेजी में

**अध्यक्ष महोदय :** वही तो कंडिशन है ।

**श्री मनुभाई शाह :** यही तो आर्डर है । वह एक वर्ष तक उसे बेच नहीं सकता ।

†**अध्यक्ष महोदय :** माननीय सदस्य को प्रश्न पूछने से पूर्व सूचना कार्यालय में जाकर वहां उत्तरों और सभा पटल पर रखे गये विवरणों को देखने का कष्ट कर लेना चाहिये । यह खेद की बात है कि माननीय सदस्य वे प्रश्न पूछते हैं जिनके उत्तर पहले दिये जा चुके हैं । भविष्य में भावी मार्ग-दर्शन के लिये मैं उन माननीय सदस्यों को ध्यान में रखूंगा जो पहले उत्तर दिये गये प्रश्न पूछते हैं ।

## सीमेंट की कमी

+

†*८७०. **श्री पद्म देव :**
**श्री श्रीनारायण दास :**
**श्री राधा रमण :**
**श्री दी० चं० शर्मा :**
**श्री राम गरीब :**

क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में सीमेंट की सप्लाई और मांग की वर्तमान स्थिति का कोई अनुमान लगाया गया है;

(ख) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है; और

(ग) स्थिति का सामना करने के लिए क्या कदम उठाये गये हैं ?

†**उद्योग मंत्री (श्री मनुभाई शाह) :** (क) से (ग). विवरण सभा पटल पर रखा जाता है।

### विवरण

(क) और (ख). जी, हां । सीमेंट के लिये वर्तमान मांग का अनुमान लगभग ९.५ लाख मीट्रिक टन प्रति मास है और वर्तमान उपलब्धि लगभग ७ लाख मीट्रिक टन प्रति मास है ।

(ग) सीमेंट फैक्टरियों में वर्तमान संयंत्र और उपकरण के साथ अधिकतम उत्पादन करने के लिये, यह करने की कार्रवाई की जा रही है कि फैक्टरियों को पर्याप्त मात्रा में कोयला मिल जाये और तैयार सीमेंट शीघ्रतापूर्वक उठाया जाये ।

वर्तमान फैक्टरियों के विस्तार के लिये और नई फैक्टरियां लगाने के लिये कई योजनाएं मंजर की गई हैं और ये बहुत जोर से चलाई जा रही हैं । वार्षिक प्रतिष्ठापित क्षमता जो इस समय ८७ लाख टन है उसको १९६०-६१ तक ९५ लाख टन तक बढ़ाने, तथा १९६१-६२ तक १०२ लाख टन करने की आशा है और कार्यान्वित के पहले से लाइसेंस दी गई क्षमता का १९६३-६४ तक १२५ लाख टन है । अब तक अनुमोदित क्षमता १५६ लाख टन है परन्तु शेष ३१ लाख टन का भी पूंजी माल और संयंत्र के लिये विचार करना है । तीसरी योजना के लिये १५० लाख टन क्षमता का लक्ष्य रखा गया है । आशा है संयंत्र और मशीनरी के लिये ३१ लाख टन शेष क्षमता का अनुमोदन शीघ्र दे दिया जायेगा । यदि आवश्यक हुआ, तो लक्ष्य और अधिक बढ़ाया जायेगा । सीमेंट के उत्पादन को शीघ्रता से बढ़ाने के लिये सब प्रकार से प्रयत्न किये जा रहे हैं ।

---

†मूल अंग्रेजी में

**श्री पद्म देव** : यह ठीक है कि सरकार ने सीमेंट की पूर्ति के लिये अनेक योजनायें चालू कर रखी हैं, क्या सीमेंट की बहुत अधिक डिमान्ड को देखते हुए इन सारी योजनाओं के अन्दर सरकार ने हिमाचल प्रदेश के सिरमौर जिले की तहसील पांवटा के राजवन स्थान में, जहां बहुत ज्यादा जिप्सम होता है, कोई योजना चालू करने का विचार किया है ?

**श्री मनुभाई शाह** : हम ने तीन साल पहले की थी और माननीय सदस्य को इस का पता भी है कि मैं खुद पांवटा गया था । लेकिन चूंकि वहां ट्रांसपोर्ट की अच्छी फेसिलिटीज नहीं हैं इसलिये उस योजना की ज्यादा तरक्की नहीं हुई है । परन्तु जहां तक सारे देश का ताल्लुक है, उसे बढ़ाने की पूरी कोशिश की जाती है ।

**श्री खादीवाला** : क्या श्रीमान् को यह मालूम है कि सीमेंट का भाव सन् १९४४ में २ रु० १० आ० था और अब ७ रु० ४ आ० या ७ रु० ८ आ० है, और दिन प्रति दिन वह बढ़ता ही जाता है, तो क्या इस को कम करने या कोई रेट फिक्स करने का विचार किया गया है ?

**श्री मनुभाई शाह** : माननीय सदस्य बहुत पुरानी बात कह रहे हैं । कम से कम पिछले पांच सालों से ११७ रु० ८ आ० सीमेंट का फिक्स्ड भाव है । इस में से २९ रु० सरकार की ड्यूटी है ।

**श्री हेमराज** : क्या मैं जान सकता हूं कि पंजाब सरकार ने पंजाब में एक सीमेंट फैक्ट्री बनाने की जो योजना केन्द्रीय सरकार के पास भेजी है, वह मंजूर कर ली गई है ?

**श्री मनुभाई शाह** : कोई अच्छी योजना होगी तो जरूर मंजूर की जायेगी । हम तो सीमेंट की बहुत तरक्की करना चाहते हैं । हम ६० योजनायें मंजूर भी कर चुके हैं, और जैसा स्टेटमेंट में बतलाया गया है, हम ने थर्ड प्लन के टार्गेट को कवर कर लिया है ।

†**श्री दामानी** : सीमेन्ट के उत्पादन की प्रतिदिन लाइसेंस की क्षमता क्या है ? इस समय प्रतिदिन कितना उत्पादन होता है ?

†**श्री मनुभाई शाह** : वर्तमान लाइसेंस क्षमता १५६ लाख टन है जो कि अब तक योजना आयोग और इस मन्त्रालय द्वारा निर्धारित किये गये तृतीय योजना के लक्ष्य से ६ लाख टन अधिक है । परन्तु हम इस उत्पादन को बढ़ाने का प्रयत्न कर रहे हैं और मैं वर्षवार प्रत्याशित उत्पादन के बारे में एक विवरण दे चुका हूं । यदि माननीय सदस्य विवरण को पढ़ें तो वे देखेंगे कि उसमें मैंने तृतीय योजना में प्रत्येक वर्ष के लिये आंकड़े दे दिये हैं ।

†**श्री बासप्पा** : हाल ही में मंत्री महोदय ने मेरे जिले में एक सीमेंन्ट का कारखाना खोला है। उस कारखाने की क्षमता कितनी है और इसमें पूर्ण रूप से उत्पादन कब आरम्भ होने लगेगा ?

†**श्री मनुभाई शाह** : जब इसमें पूर्ण रूप से उत्पादन होगा तो इसकी क्षमता १,००,००० टन होगी । जब इसमें १००,००० टन और उत्पादन हो सकेगा तो इसकी क्षमता दुगुनी हो जायेगी ।

**श्री ब्रजराज सिंह** : क्या मंत्री महोदय यह बतलाने की कृपा करेंगे कि पाकिस्तान को हमारे यहां से कितना सीमेंट भेजा जा रहा है, और इस बात को देखते हुए कि हमारे यहां सीमेंट का अभाव है, क्या सरकार इस बात के लिये प्रयत्नशील है कि सूत्रों में इस के वितरण की समुचित व्यवस्था हो ?

---

†मूल अंग्रेजी में

**श्री मनुभाई शाह** : जहां तक पाकिस्तान का ताल्लुक है, हम ने कोई डेढ़ लाख टन का कंट्रैक्ट किया था, लेकिन माननीय सदस्य तथा हाउस को पता है कि आज से कुछ साल पहले और स्थिति थी और हमारे पास इतना ज्यादा सीमेंट ग्लट हो गया था कि फैक्ट्रीज़ के बन्द होने की नौबत आने वाली थी। वैसे थोड़ा बहुत उतार चढ़ाव चलता रहता है और पाकिस्तान चूंकि पास का देश है और वहां यह रेल से जा सकता है, उन को जरूरत भी पड़ती है, इसलिये हम ने थोड़ी सी क्वान्टिटी का सौदा किया था।

†**श्री यादव नारायण जाधव** : तृतीय योजना में जो अतिरिक्त क्षमता लगायी जायेगी, क्या वह सरकारी क्षेत्र में होगी?

†**श्री मनुभाई शाह** : जी, नहीं तीन कारखानों, एक चरकी में, दूसरा भिलाई में और तीसरा मैसूर राज्य में, को छोड़कर बाकी सब गैर-सरकारी क्षेत्र में होंगे।

†**श्री तंगामणि** : विवरण से पता चलता है कि यद्यपि लाइसेंस क्षमता १५६ लाख टन की है, ३१ लाख टन के लिये संयंत्र मिलने के बारे में अभी शंका है। क्या ३१ लाख टन की क्षमता वाले संयंत्र लगाने के लिये गारन्टी देने के बारे में कोई अन्तिम रूप से कार्यवाही कर ली गयी है?

†**श्री मनुभाई शाह** : वास्तव में इस बारे में कोई शंका नहीं है। जैसा सभा को ज्ञात है, हममें देश में पूरे सीमेन्ट संयंत्र बनाने की क्षमता है। अब हम ६०० टन प्रति दिन की क्षमता के साढ़े छै पूरे स्टेण्डर्ड संयंत्र बना सकते हैं। इस ३१ लाख टन को पूरा करने के लिये हम देशी क्षमता बढ़ाने का प्रयत्न कर रहे हैं।

**श्री पद्म देव** : इस सदन में सरकार की ओर से अनेक बार कहा गया है कि चूंकि वहां यातायात के साधन नहीं हैं, इसलिये वहां की सामग्री को एक्स्प्लायट नहीं किया जा सकता। क्या जो पिछड़े हुए इलाके हैं और जहां पर सामग्री भी बहुत है अगर उन को एक्स्प्लायट नहीं किया जाता, वहां पर सड़कें भी नहीं बनाई जातीं साधनों के अभाव में, तो उन इलाकों का पिछड़ापन कैसे दूर होगा?

**श्री मनुभाई शाह** : बात थोड़ी सी और है। जो रा मैटीरियल बेस्ड हेवी इंडस्ट्रीज़ हैं, उन को हम थोड़ी दिक्कत होते हुए भी डेवेलप कर रहे हैं। छोटी इंडस्ट्रीज और मीडियम इंडस्ट्रीज में फ्रूट्स और वेजिटेबल्स की कैनिंग करने और जूस बनाने की कोशिश कर रहे हैं, और उस का माननीय सदस्य को पता भी है।

## तीसरी पंचवर्षीय योजना

†*८७२. **श्री हरिश्चन्द्र माथुर** : क्या **योजना** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) यह अनुमान किस आधार पर लगाया गया है कि सरकारी क्षेत्र के उपक्रम तीसरी पंचवर्षीय योजना के लिए ४४० करोड़ रु० से अधिक का योगदान देंगे ; और

(ख) प्रत्येक उपक्रम द्वारा कितना कितना योगदान दिया जायेगा?

†**श्रम और रोजगार तथा योजना उपमंत्री (श्री ल० ना० मिश्र)** : (क) सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों (रेलवे को छोड़ कर) की फालतू रकम के बारे में ४४० करोड़ रुपये के प्राक्कलन में सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों के पास अपने कार्यकारी व्यय और अवक्षयण व्यय के लिये व्यवस्था करने के बाद बचे संसाधनों की बची हुई रकम है। इसमें तृतीय योजना के दौरान उत्पादन में प्राक्कलित वृद्धि का हिसाब है?

---

†मूल अंग्रेजी में

(ख) ४४० करोड़ रुपये की एक मुश्त रकम में से ३०० करोड़ रुपये केन्द्रीय सरकार के अधीन उपक्रमों के बारे में है और बाकी १४० करोड़ रुपये राज्य सरकार के अधीन उपक्रमों के बारे में है ।

†**श्री हरिश्चन्द्र माथुर** : मैं उनसे पूर्ण रूप से पृथक पृथक आंकड़े चाहता था । वास्तव में, मैं यह बात नियुक्त की गयी संसदीय समितियों में जानना चाहता था । वहां मैंने यह प्रश्न पूछा था। मुझे वहां पृथक पृथक आंकड़े नहीं मिले । फिर मैंने यहां यह प्रश्न पूछा ताकि कुछ जानकारी मिल सके । मैं ने समझा था कि संभवतः सभा पटल पर एक विवरण रखा जायेगा । आप यह कहते हैं कि वह प्रश्न न पूछा जाये जिस बारे में जानकारी उपलब्ध है । परन्तु मैं तीन महीनों से इस बारे में जानकारी प्राप्त करने का प्रयत्न कर रहा हूं परन्तु कोई जानकारी नहीं मिली ।

†**श्री ल० ना० मिश्र** : संयंत्र-वार निश्चित आंकड़े उपलब्ध नहीं हैं । हमने सब उद्योगों का स्थायी तौर पर एक हिसाब लगाया था और वही योजना के प्रारूप में रखा गया । हमने एक दर्शनार्थ (प्रोफ़ोर्मा) तैयार किया है और सब सम्बन्धित मंत्रालयों को उस बारे में लिख रहे हैं । योजना को अन्तिम रूप दिये जाने तक हमको सही आंकड़ों का पता चल जावेगा ।

†**श्री हरिश्चन्द्र माथुर** : वर्ष १९५९–६० में सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों में कुल कितना लाभ हुआ और वर्ष १९६०–६१ के लिये आय व्ययक के आंकड़े क्या हैं ?

†**श्री ल० ना० मिश्र** : जैसा आपको ज्ञात है सभी सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों के वार्षिक लेखा विवरण सभा पटल पर रखे जाते हैं । माननीय सदस्य पुस्तकालय में जाकर उद्योग-वार आंकड़ों का पता लगा सकते हैं ।

†**श्री हरिश्चन्द्र माथुर** : मैंने पुस्तकालय और रिसर्च शाखा से सभी आंकड़े देने को कहा है । वे इस पुस्तक के अतिरिक्त, जो सभा पटल पर रखी गयी थी, कहीं भी उपलब्ध नहीं हैं । सरकारी क्षेत्र के सभी उपक्रमों के बारे में ५ करोड़ रुपये के आंकड़े दिये गये हैं । वे इन सब चालू उक्रमों के बारे में हैं । यदि वर्ष १९५९–६० में यह ५ करोड़ रुपये है, तो वह यह कैसे समझते हैं कि ये बढ़ कर ४४० करोड़ रुपये हो जायेंगे ? एक वर्ष के लिये यह ५ करोड़ रुपये हैं . . .

†**अध्यक्ष महोदय** : यदि एक वर्ष के लिये वह पांच करोड़ रुपये हैं तो पांच वर्षों में यह २५ करोड़ रुपये हो जायेंगे । फिर यह ४४० करोड़ रुपये कैसे होते हैं ? (**अन्तर्बाधा**) प्रश्न यह है ।

†**श्रम और रोजगार तथा योजना मंत्री (श्री नन्दा)** : माननीय सदस्य ने यह बात स्वीकार की है कि एक ऐसा प्रकाशन है जिसमें पूरे और चालू हो रहे उपक्रमों को बारे में सब जानकारी दी हुई है । निर्वचन का तो प्रश्न ही अलग है । इस तालिका में पूरी जानकारी है । जहां तक तृतीय पंचवर्षीय योजना का सम्बन्ध है, माननीय सदस्य को पता होना चाहिये कि तृतीय पंचवर्षीय योजना में उपक्रमों को बड़ी मात्रा में विनियोजन किया जायेगा और इसलिये वर्ष १९५९–६० के लाभ को वर्षों से गुना करके स्थिति का पता नहीं लगाया जा सकता । अगले कुछ महीनों में हम उन्हें यथासम्भव ठीक कर देंगे । मुझे विश्वास है कि बाद में सभा को और अधिक सही जानकारी दी जावेगी ।

---

†मूल अंग्रजी में

†**श्री दामानी** : इस ४४० करोड़ रुपये की रकम में क्या आय-कर से प्राप्त राजस्व शामिल है अथवा वह केन्द्रीय राजस्व को हस्तांतरित कुल लाभ है ?

†**श्री नन्दा** : जी, नहीं । इन आंकड़ों में सरकार द्वारा इन उपक्रमों को दिये गये ऋण पर उपक्रमों द्वारा दिया जाने वाला ब्याज शामिल नहीं है । इसमें केवल शुद्ध बचत और अवक्षयण रिजर्व शामिल है ।

†**अध्यक्ष महोदय** : माननीय सदस्य यह जानना चाहते हैं कि, यदि यह गैर-सरकारी उपक्रम हैं, तो क्या ब्याज को भी इसमें शामिल किया जाता है । क्या इसमें वह रकम, अर्थात आय-कर, शामिल नहीं है ?

†**श्री नन्दा** : जी, हां ।

†**अध्यक्ष महोदय** : इसमें ब्याज और आय-कर दोनों शामिल नहीं हैं ।

†**श्री त्यागी** : योजना आयोग द्वारा दिये गये इस प्राक्कलन का सही मूल्यांकन करने के लिये द्वितीय पंचवर्षीय योजना योजना-काल में उन्होंने कुल कितना योगदान किया है ? उन्होंने इसका हिसाब तो लगाया ही होगा । द्वितीय पंचवर्षीय योजना-काल में उन्हें कितना प्राप्त हुआ । उसी आंकड़े के आधार पर वे भविष्य के मूल्य मूल्यांकन कर सकते हैं । वह आंकड़े क्या हैं ?

†**श्री नन्दा** : इस समय अधिकांश योगदान लोहा और इस्पात कारखानों से है । उस के लिये द्वितीय पंचवर्षीय योजना से कोई तुलना नहीं की जा सकती ।

†**श्री त्यागी** : क्या मैं यह समझूं कि योजना आयोग ने यह हिसाब लगाने की कोई परवाह नहीं की कि इन सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों ने कितना योगदान किया है ?

†**श्री नन्दा** : वह आंकड़े मौजूद हैं । ब्यौरा भी उपलब्ध है ।

†**अध्यक्ष महोदय** : मंत्री महोदय ने पटल पर रखी गयी पुस्तक का जिक्र किया था । मैंने उस पर चर्चा की आज्ञा दे दी है । श्री माथुर ने इस बारे में चर्चा की मांग की थी । आज प्रातः मैंने इस मामले पर, अर्थात सरकारी उपक्रमों के बारे में सभा पटल पर रखे गये प्रतिवेदन पर, चर्चा की अनुमति दी । माननीय सदस्य तब तक अपने विचार उठा रखें । अगला प्रश्न ।

†**श्री हरिश्चन्द्र माथुर** : हम अपने विचार रिजर्व रख सकते हैं परन्तु क्या हम कोई जानकारी प्राप्त कर सकते हैं जो उस चर्चा के लिये लाभदायक होगी ?

†**अध्यक्ष महोदय** : वह आज सायं तीन बजे है ।

†**श्री हरिश्चन्द्र माथुर** : मैं आज सायं ३ बजे चर्चा आरम्भ करूंगा और कुछ जानकारी प्राप्त करना चाहता हूं जो उस चर्चा के लिये लाभदायक होगी ।

†**अध्यक्ष महोदय** : उन्हों ने जानकारी प्राप्त करने का प्रयत्न किया है परन्तु जहां तक अगली योजना का सम्बन्ध है, उस जानकारी का दो महीनों में हिसाब लगाया जायेगा । जहां तक वर्तमान योजना का सम्बन्ध है, मंत्री महोदय ने कहा है कि दिये गये आंकड़ों के बारे में माननीय सदस्य भिन्न निर्वचन पेश कर रहे हैं । दोनों इस बारे में देखें और चर्चा के समय तैयार हों । अगला प्रश्न ।

†**श्री हरिश्चन्द्र माथुर** : मैं ने उन से कुछ बातें पूछी हैं ।

---

†मूल अंग्रेजी में

†**अध्यक्ष महोदय** : व ये सब बातें दोपहर बाद पूछें। मैं उन्हें पर्याप्त अवसर दूंगा।

†**श्री ब्रजराज सिंह** : समय तो केवल दो घंटे दिया गया है।

†**श्री हरिश्चन्द्र माथुर** : मैं आप को लिख कर दे चुका हूं कि ऐसे महत्व के दो प्रस्तावों के लिये केवल दो घंटे का समय दिया गया है।

†**अध्यक्ष महोदय** : वह देखा जायेगा। वह उन दो घंटों को पूरा करने के लिये समूचा प्रश्न-काल लेना चाहते हैं ?

†**श्री हरिश्चन्द्र माथुर** : इस बारे में मैं आप को अलग से लिख चुका हूं।

†**अध्यक्ष महोदय** : वह यह बात तभी बतायें।

**केन्द्रीय स्टाफ कालेज**

+

†*८७३. { **श्री अजित सिंह सरहदी :**
**श्री रामेश्वर टांटिया :**

क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री १२ अगस्त, १९६० के अतारांकित प्रश्न संख्या ३६२ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने औद्योगिक विस्तार सेवा के लिये केन्द्रीय स्टाफ कालेज की योजना के ब्यौरे को इस बीच अन्तिम रूप दे दिया है ; और

(ख) यदि हां, तो वह क्या है ?

†**उद्योग मंत्री (श्री मनुभाई शाह)** : (क) और (ख). सभा पटल पर एक विवरण रखा जाता है।

विवरण

छोटे पैमाने के उद्योग संगठनों के लिये हैदराबाद में एक केन्द्रीय औद्योगिक विस्तार प्रशिक्षण संस्था स्थापित करने का फैसला किया गया है।

संस्था का मुख्य कृत्य छोटे पैमाने के उद्योग संगठन के पदाधिकारियों को और राज्य सरकारों के उद्योग विभाग के पदाधिकारियों को औद्योगिक विस्तार प्रविधि में प्रशिक्षण देना है। संस्था का प्रिंसिपल नियुक्त कर दिया गया है और अन्य कर्मचारियों को नियुक्त किया जाता है। संस्था में चालू किये जाने वाली पाठचर्या और अन्य बातों को अन्तिम रूप दिया जा रहा है।

†**श्री अजित सिंह सरहदी** : क्या यह सच नहीं है कि उत्तर भारत में छोटे पैमाने के उद्योग सब से अधिक हैं और क्या उत्तर में इस प्रकार का कोई कालिज स्थापित करने की कोई प्रस्थापना विचाराधीन है जबकि प्रशिक्षण छोटे पैमाने के उद्योग संगठनों के बारे में दिया जाता है ?

†**श्री मनुभाई शाह** : वह उस दृष्टिकोण से नहीं है क्योंकि हैदराबाद में उच्च प्रशासकीय व्यक्तियों के लिये केन्द्रीय स्टाफ कालिज है और उस से उचित रूप में समन्वय का लाभ उठाने के लिये, ताकि दुगुने प्रशिक्षक न रखे जायें, इस स्टाफ़ कालिज को भी वहीं पर रखना अधिक उचित और मितव्ययी समझा गया।

---

†मूल अंग्रेजी में

†**श्री अजित सिंह सरहदी** : क्या यह सच नहीं है कि यह कालिज छोटे पैमाने के उद्योग-संगठन के पदाधिकारियों को औद्योगिक विस्तार प्रविधि में भी प्रशिक्षण देगा ? जैसाकि उत्तर भारत में दिल्ली और पंजाब में अत्यधिक छोटे उद्योग हैं, क्या वहां पर एक और कालिज नहीं खोला जायेगा ?

†**श्री मनुभाई शाह** : यह छोटे पैमाने के उद्योगों की संख्या का प्रश्न नहीं है । यह छोटे पैमाने के विस्तार सेवा के पदाधिकारियों के लिये है । परन्तु उस में कई पाठ्यक्रम हैं जैसे व्यापार प्रबंध, सामान्य प्रशासन और विभिन्न अन्य पहलू जिन का, जैसा सदन को ज्ञात है, हैदराबाद में केन्द्रीय स्टाफ़ कालिज में पूर्ण रूप से विकास किया गया है । अतः ये दो कालिज उचित रूप मे इन का समन्वय कर सकते हैं ।

†**श्री यादव नारायण जाधव** : यह कालिज कितने समय में आरम्भ हो जायेगा ? क्या यह सच है कि इस समय देश में प्रविधिक कर्मचारियों की बड़ी कमी है ?

†**श्री मनुभाई शाह** : इस समय हैदराबाद में केन्द्रीय औद्योगिक विस्तार स्टाफ कालिज में हम एक प्रिंसिपल और चार असिस्टेंट प्रोफेसर नियुक्त कर रहे हैं । परन्तु वहां अन्य कर्मचारी भी होंगे । हमें उसे अगले वर्ष चालू करने की आशा है ।

†**श्री ब्रजराज सिंह** : क्या मैं एक नियमापत्ति उठा सकता हूं? मंत्री महोदय द्वारा सभा पटल पर रखे गये वक्तव्य में कहा गया है :

> "संस्था का प्रिंसिपल नियुक्त कर दिया गया है और अन्य कर्मचारियों को नियुक्त किया जाना है । संस्था में चालू की जाने वाली पाठचर्या और अन्य बातों को अन्तिम रूप दिया जा रहा है ।"

एक अनुपूरक प्रश्न के उत्तर में वे यह कहते हैं कि कालिज में अगले वर्ष से कार्य आरम्भ होगा । प्रश्न यह है प्रिंसिपल को कैसे नियुक्त किया गया है ? जबकि पाठचर्या को भी निश्चित नहीं किया गया है, हम उन पर कुछ व्यय करेंगे और काम कुछ नहीं होगा ।

†**श्री मनुभाई शाह** : सब औपचारिकतायें प्रिंसिपल द्वारा स्वयं की जा रही हैं क्योंकि जब तक कोई निकाय उचित रूप से नहीं बन जाता, तो शिक्षा सम्बन्धी और व्यवहारिक प्रशिक्षण के इन सब ब्यौरों को तय करना बड़ा कठिन है । अतः प्रिंसिपल ने अपना कार्य आरम्भ कर दिया है । भर्ती हो रही है । उपकरण खरीदे जा रहे हैं । संस्था के सब से बड़े व्यक्ति को पहले से रखना अति आवश्यक है ताकि संस्था वैज्ञानिक ढंग से चल सके ।

†**श्री यादव नारायण जाधव** : प्रतिवर्ष कितने पदाधिकारियों को प्रशिक्षण दिया जायेगा ?

†**श्री मनुभाई शाह** : राज्य और केन्द्रीय सरकारों के १०० विस्तार पदाधिकारियों और इतने ही गैर-सरकारी उद्योगों के पदाधिकारियों को प्रशिक्षित करने का विचार है ।

†**अध्यक्ष महोदय** : श्री गायकवाड़ ।

†**श्री भा० कृ० गायकवाड़** : मेरे प्रश्न का उत्तर दिया जा चुका है ।

---

†मूल अंग्रेजी में

**मशीनी औजार**

+

†*८७४. श्री अजित सिंह सरहदी :
श्री कोडियान :
श्री इन्द्रजीत गुप्त :
श्रीमती रेणु चक्रवर्ती :
श्रीमती रेणुका राय :
श्री राम कृष्ण गुप्त :

क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का मशीनी औजारों के उत्पादन के लिये सरकारी क्षेत्र में दो और कारखाने स्थापित करने का विचार है ;

(ख) यदि हां, तो इन में से प्रत्येक कारखाने पर कितनी लागत आने का अनुमान है ;

(ग) क्या इन कारखानों को स्थापित करने के लिये स्थान चुन लिये गये हैं ; और

(घ) यदि हां, तो कौन से स्थान चुने गये हैं ?

†**उद्योग मंत्री (श्री मनुभाई शाह)** : (क) से (घ) मध्यम किस्म के मशीनी औजारों के उत्पादन के लिये सरकारी क्षेत्र में दो और कारखाने स्थापित करने के लिये एक परियोजना प्रतिवेदन तैयार करने का कार्य हिन्दुस्तान मशीन टूल्स लिमिटेड को सौंपा गया है। हिन्दुस्तान मशीन टूल्स लागत के प्राक्कलन, स्थान के चुनाव आदि का निरीक्षण कर रहे हैं और उन का प्रतिवेदन प्रतीक्षित है ।

†**श्री अजित सिंह सरहदी** : क्या इन कारखानों की स्थापना के लिये अस्थायी रूप से कोई लक्ष्य-तिथि निर्धारित की गई है ? क्या मंत्री महोदय यह भी बतायेंगे कि क्या उत्तर में भी एक कारखाना होगा ?

†**श्री मनुभाई शाह** : हमारा विचार इन में से एक कारखाना उत्तर में खोलने का है । अभी स्थान निश्चित नहीं किया गया है। हमें आशा है कि तृतीय योजना के चौथे वर्ष के मध्य तक प्रति दिन १०० टन मशीनी औजार क्षमता वाले दोनों कारखाने स्थापित कर दिये जायेंगे।

†**श्री इन्द्रजीत गुप्त** : क्या इन दो प्रस्तावित नये कारखानों की स्थापना में कुछ भी विदेशी सहयोग नहीं होगा और वे बिल्कुल हमारे संसाधनों से लगाये जायेंगे ?

†**श्री मनुभाई शाह** : संसाधन हमारे अपने होंगे। परन्तु प्रविधिक सहयोग होगा। हम विभिन्न प्रकार के मशीनी औजारों के निर्माण में सहयोग के लिये चार देशों से बातचीत कर रहे हैं ।

†**श्री इन्द्रजीत गुप्त** : कौन कौन से देशों से बातचीत कर रहे हैं ?

†**श्री मनुभाई शाह** : एक तो पूर्व जर्मनी है। हम पश्चिमी जर्मनी, ब्रिटेन, रूस पोलैंड और अन्यों से भी बातचीत कर रहे हैं ।

**श्री विभूति मिश्र** : मैं जानना चाहता हूं कि क्या सरकार इस पर विचार कर रही है कि इस फैक्टरी को वहां लगाया जाय जहां कि आयरन फैक्टरी नजदीक में हो ताकि कौस्ट आफ प्रोडक्शन कम पड़े और वह एकोनामिकल हो ?

---

†मूल अंग्रेजी में

**श्री मनुभाई शाह** : जी नहीं, ऐसा हमारा खयाल नहीं है क्योंकि बहुत जगह इंडस्ट्रियल कंज्जैशन हो गया है क्योंकि बड़ी बड़ी फैक्टरीज़ वहां पर लगाई गई हैं। हर एक स्टेट को इस का लाभ मिलना चाहिये ।

**श्री हेमराज** : हिन्दुस्तान फैक्टरी ने जो कमेटी बनाई है उस ने किन किन राज्यों का दौरा किया है ?

**श्री मनुभाई शाह** : दौरा तो वे बाद में करेंगे । अभी तो वह सारी साइट्स को एग्ज़ामिन कर रहे हैं। लोकल स्टेट्स गवर्नमेंट्स से कंटैक्ट कर रहे हैं और सारी चीजों को दरियाफ्त कर रहे हैं।

## भारी विद्युत परियोजना, भोपाल में हड़ताल

+

†*८७६. **श्री इन्द्रजीत गुप्त :**
**श्री न० रा० मुनिस्वामी :**

क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारी विद्युत् परियोजना, भोपाल के २००० से अधिक अप्रेंटिसों ने अभी हाल ही में हड़ताल कर दी थी ; और

(ख) यदि हां, तो हड़तालियों की क्या शिकायतें थीं और उन्हें कहां तक दूर किया गया है ?

†**उद्योग मंत्री (श्री मनुभाई शाह)** : (क) जी, हां । १३ और १४ अक्तूबर, १९६० को दो दिन तक हड़ताल रही । उन्हों ने बिना किसी शर्त के १५ अक्तूबर, १९६० को काम आरम्भ कर दिया ।

(ख) उनका दावा था कि कुछ प्रशिक्षणार्थियों को, जिन्होंने प्रशिक्षण का पाठ्यक्रम पूरा कर लिया है, उत्पादन आरम्भ होने पर नियमित रोजगार पर कारखाने में लगाया जाये । उनको कारखाने में रोजगार पर लगा लिया गया है ।

†**श्री इन्द्रजीत गुप्त** : यदि २००० व्यक्ति हड़ताल पर गये तो इस कारखाने के लिये यह संख्या बहुत बड़ी लगती है । मैं यह जानना चाहता हूं कि जब ये अपरेंटिस रखे गये थे तो क्या उन्हें यह कहा गया था कि अपरेंटिस पाठ्यक्रम पूरा करने पर और संयंत्र में उत्पादन होने पर उनमें से अधिकांश को वहां पर स्थायी रूप से रोजगार दे दिया जायेगा ।

†**श्री मनुभाई शाह** : जी, हां । 'अपरेंटिस' शब्द इस शब्द के सामान्य अर्थ में ठीक नहीं है । वे उत्पादन से पूर्व के प्रशिक्षार्थी हैं जिन्ह भारी विद्युत् परियोजना के लिये अपेक्षित कुशलता प्राप्त करने के लिये प्रशिक्षण दिया जा रहा है । अब हमारे पास ३००० लड़के प्रशिक्षण पा रहे हैं । यह स्पष्ट है कि उनमें से जो प्रशिक्षण के पश्चात् उत्तीर्ण होते हैं और वे उचित रूप से सक्षम हों, तो उन सब को रोजगार पर लगा लिया जायेगा ।

†**अध्यक्ष महोदय** : अगला प्रश्न ।

†**श्रीमती मफीदा अहमद** : ८७७ ।

†**श्री काशीनाथ पाण्डे** : मैं एक प्रश्न पूछना चाहता हूं ।

†**अध्यक्ष महोदय** : पिछले प्रश्न के बारे में ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†**श्री काशीनाथ पाण्डे :** पिछले प्रश्न के बारे में। क्या अपरेंटिसों को भविष्य में होने वाले रिक्त स्थानों को ध्यान में रखते हुए भर्ती किया गया है ?

†**श्री मनुभाई शाह :** केवल रिक्त स्थान ही नहीं। यह एक नया संयंत्र है। अतः समूची परियोजना में १८,००० अर्ध-कुशल कर्मचारी, प्रविधिज्ञ और इंजीनियरों की आवश्यकता होगी। यह बहुत बड़ा उपक्रम है। अभी तक लगभग ४ हजार व्यक्ति भर्ती किये गये हैं। उन सबको अब प्रशिक्षित किया जा रहा है। उनमें से अधिकांश को सक्षम पाया गया है। हमें ४,००० और भर्ती करने पड़ें`।

†**श्री इन्द्रजीत गुप्त :** यदि पहले ही यह स्पष्ट था कि यदि ये व्यक्ति उत्तीर्ण हो जायेंगे तो इन्हें काम पर लगा लिया जायेगा, तो २००० व्यक्तियों को हड़ताल पर क्यों जाना पड़ा ?

†**श्री मनुभाई शाह :** क्योंकि उनके बहुत से मित्र हैं जो उन्हें विभिन्न प्रकार की आशायें दिलाते हैं और उनके दिल में शक उत्पन्न करते हैं।

## नागा विद्रोही

†*८७७. { **श्रीमती मफीदा अहमद :**
**श्री पु० र० पटेल :**
**श्री मा० म० गान्धी :**

क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि ७ अक्तूबर, १९६० को मोकोकचुंग के निकट नागा विद्रोहियों और ग्राम-रक्षकों के बीच भयंकर मुठभेड़ हुई ; और

(ख) यदि हां, तो इस घटना का ब्योरा क्या है ?

†**वैदेशिक-कार्य मंत्री के सभा-सचिव (श्री जो० ना० हजारिका) :** (क) तथा (ख). ७ अक्तूबर, १९६० को रात को ढाई बजे के करीब ग्राम रक्षकों तथा नागा विद्रोहियों में मोकोकचुंग के निकट झगड़ा हुआ। लगभग १०० विद्रोहियों ने मोपुंगचुकित चौकी पर तीन दिशाओं से आक्रमण किया और पास की झोंपड़ियों को आग लगा दी। ग्राम रक्षक विद्रोहियों की जनशक्ति तथा गोलियों का मुकाबला दो घं` तक करते रहे। विद्रोही सेना आने पर ही भागे। इस मुकाबले में दो ग्राम रक्षक घायल हुए। एक गांव की लड़की घायल हुई और एक मारी गयी। एक विद्रोही मारा गया और अनुमानतः कई घायल हुए।

†**श्रीमती मफीदा अहमद :** इस से यही प्रकट होता है कि विद्रोहियों ने हमारी सेना व रक्षकों को दबा लिया। शायद विद्रोहियों के पास ज्यादा अच्छे शस्त्र हों जो किसी विदेशी शक्ति ने दिये हों। हमने सरकार से इस दिशा में सुतथ्यपूर्ण जानकारी देने की प्रार्थना की है। मैं सरकार का ध्यान ५ दिसम्बर, १९६० के "आबजर्वर" की इस खबर की ओर दिलाना चाहती हूं कि उन्हें पेकिंग से बर्मा के मार्ग से शस्त्र पहुंचते हैं। क्या सरकार को इस सम्बन्ध में कुछ पता है ?

†**प्रधान मंत्री तथा वैदेशिक-कार्य मंत्री (श्री जवाहरलाल नेहरू) :** यह कहना गलत है कि ग्राम रक्षकों को दबा लिया गया क्योंकि उत्तर में यह कहा गया है कि वे साहस से दो घंटे तक मुकाबला करते रहे हालांकि उनके पास सामान्य शस्त्र थे और विद्रोहियों के पास बड़े अस्त्र भी थे। जहां तक

---

†मूल अंग्रेजी में

विद्रोहियों को शस्त्रों की प्राप्ति का प्रश्न है, उस सम्बन्ध में यह नहीं कहा जा सकता कि "आबजर्वर" ने क्या लिखा है। यदि हम यह भी मानें जो सदस्य ने कहा है तो भी हमारे पास प्रत्यक्ष जानकारी नहीं है। संभव है उन्हें बाहर से शस्त्रों की प्राप्ति होती हो।

†**श्री प्र० चं० बरुआ :** क्या यह सच है कि पृथक नागा राज्य की स्थापना के बाद नागा विद्रोहियों की गतिविधियां बढ़ गई हैं।

†**श्री जवाहरलाल नेहरू :** कुछ समय के लिए ऐसा हुआ था परन्तु बाद में नहीं। यह कहना कठिन है। हां यह सच है कि इस संधि के बाद आग को भड़काने के यत्न हुए हैं।

†**श्री बसुमतारी :** क्या सरकार को पता है कि पृथक नागा राज्य बनने के बाद से नागाओं का आचरण क्या है ?

†**श्री जवाहरलाल नेहरू :** उनकी बहुसंख्या समझौते का स्वागत करती है परन्तु कुछ १,५०० के लगभ लोग ऐसे भी हैं जो शस्त्र उठाये इस प्रकार की कार्यवाही करते हैं।

†**श्री हेम बरुआ :** क्या प्रधान मंत्री का ध्यान ४ दिसम्बर के "आबजर्वर" की इस खबर की ओर गया है कि चीन नागा विद्रोहियों को गुप्त रूप से सहायता दे रहा है। यह प्रश्न श्रीमती मफीदा अहमद के प्रश्न से भिन्न है।

†**अध्यक्ष महोदय :** यह पहले प्रश्न की पुनरावृत्ति है।

†**श्री हेम बरुआ :** यह पुनरावृत्ति नहीं। मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या चीन द्वारा विद्रोहियों की सहायता करने का मामला प्रधान मंत्री ने बर्मा के प्रधान मंत्री के सामने उठाया था ?

†**श्री जवाहरलाल नेहरू :** नहीं श्रीमान्। बर्मा के प्रधान मंत्री ने भी इस विषय के बारे में कुछ नहीं कहा।

†**श्री त्यागी :** चूंकि प्रधान मंत्री और महत्वपूर्ण कामों में व्यस्त रहते हैं और प्रतिरक्षा मंत्री भी तीन चार मास से बाहर हैं क्या इन मामलों को कोई देख भी रहा है या इनके बारे में कागजी कार्यवाही ही हो रही है ?

†**श्री जवाहरलाल नेहरू** : जी हां। कागजात अकसर मेरे पास आते हैं और मैं उन्हें केबिनेट की वैदेशिक कार्य सम्बन्धी समिति के सदस्य के पास भेज देता हूं।

†**श्री हेम बरुआ :** क्या यह सच है कि नागा विद्रोहियों की तथाकथित सरकार ने नागा राष्ट्रीय कन्वेंशन के उन नेताओं की हत्या करने की तयारी की है जिन्होंने समझौते पर हस्ताक्षर किये हैं और क्या उन्होंने १५ अगस्त को कोई ऐसा परिपत्र भी भेजा है। यह बात मैं श्री केविशुचा द्वारा दी गयी सूचना के आधार पर कह रहा हूं जो यहां शिष्टमंडल में आए थे ?

†**श्री जवाहरलाल नेहरू :** मैंने किसी का सिर काटे जाने की बात नहीं सुनी।

†**श्री हेम बरुआ :** क्या कुछ लोगों को यह समझौता पसन्द नहीं है।

†**श्री जवाहरलाल नेहरू :** जिन लोगों ने सन्धि पर हस्ताक्षर किये थे उन्हें धमकियां दी गयी हैं और विद्रोहियों की ऐसी नीति भी है। कई बार वे गांवों में जाकर लोगों को धमका कर रुपया तथा अनाज भी मांगते हैं। किन्तु यह चीज मेरी समझ में नहीं आयी कि माननीय सदस्य वास्तव में क्या पूछना चाहते हैं ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†**श्री हेम बरुआ** : यह प्रश्न मैं इस कारण पूछ रहा हूं कि नागा विद्रोहियों की गतिविधियां तेज़ हुयी हैं। हाल ही में विद्रोहियों ने सरायपानी चाय सम्पदा को लूटा और मोकोकचुंग आदि में भी जनता पर आक्रमण किये। श्री केविशुचा के कथनानुसार वे लोग और भी गड़बड़ी मचाने की सोच रहे हैं। क्या सरकार को उनकी ऐसी तयारियों का ज्ञान है ?

†**श्री जवाहरलाल नेहरू** : इस समझौते के बाद से नागा विद्रोही बहुत ही अप्रसन्न रहने लगे हैं और यह दिखाने का प्रयास कर रहे हैं कि वे गड़बड़ भी मचा सकते हैं। ऐसी चीज़ तो है। अनेक घटनायें भी घटी हैं।

†**श्रीमती मफीदा अहमद** : नागालैंड के निर्माण के करार के बावजूद भी वहां पर गड़बड़ यथापूर्व जारी है। उन्होंने हमारे चार वायुसैनिकों को गिरफ्तार कर रखा है ; ऐसी स्थिति में क्या सरकार नये प्रान्त का उद्घाटन तब तक न रोकेगी जब तक कि हमारे सैनिकों को रिहा न कर दिया जाये।

†**श्री जवाहरलाल नेहरू**: मुझे दोनों में कोई सम्बन्ध नहीं दीखता। वस्तुतः नयी स्थापना का काम शीघ्र ही होना चाहिए। इस चीज़ को स्थगित करना उचित न होगा, इस कारण कि विद्रोहियों ने हमारे चार सैनिक पकड़ रखे हैं। इससे तो उन्हें और भी ज्यादा बढ़ावा मिलेगा। ऐसा सुझाव सुन कर ही आश्चर्य होता है।

## यूरोपीय सामान्य मार्केट

†***८७८. श्री हेम बरुआ** : क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या जेनेवा में व्यापार तथा प्रशुल्क सम्बन्धी सामान्य करार के सत्रहवें अधिवेशन में भारतीय प्रतिनिधिमंडल ने यूरोपीय सामान्य मार्केट और यूरोपीय निर्बाध व्यापार संस्था के एशियाई देशों, विशेषतः भारत के व्यापार और अर्थ-व्यवस्था पर पड़ने वाले प्रभाव को कम करने के लिए कोई सुझाव दिये थे ; और

(ख) यदि हां, तो ये सुझाव क्या हैं ?

†**वाणिज्य मंत्री (श्री कानूनगो)** : (क) तथा (ख). एक विवरण सभा-पटल पर रखा जाता है।

विवरण

जी० ए० टी० टी० के सत्रहवें सत्र के दौरान, भारतीय प्रतिनिधि ने १८ अन्य कम विकसित देशों के प्रतिनिधियों के साथ मिलकर, विकसित देशों को अभ्यावेदन दिया तथा विशेषकर उनसे प्रार्थना की जो कि यूरोपीय आर्थिक समुदाय तथा फ्री ट्रेड संस्था के सदस्य थे कि वे अविकसित देशों के व्यापार के प्रति स्वच्छंद प्रशुल्क तथा वाणिज्यिक नीतियों का अनुसरण करें। सदस्य देशों से यह भी प्रार्थना की गयी कि वे लोग प्रशुल्क सम्बन्धी वार्ता में अविकसित देशों को सहायता देने, उन्हें निर्यात से अधिक उपार्जन करने आदि बातों पर भी ध्यान दें ; उन्हें यह भी कहा गया कि वे देश अभी अपने आयात प्रशुल्क में अधिक कमी नहीं कर सकते जो कि उनको दी गयी रियायतों के अनुसार हो।

---

†मूल अंग्रेजी में

## यूरोपीय सामान्य मार्केट

†*८८६. **श्रीमती इला पालचौधरी :**
**श्री विद्याचरण शुक्ल :**
**श्री कालिका सिंह :**
**श्री अरविन्द घोषाल :**
**श्री बी० दास गुप्त :**
**श्री प्र० चं० बरुआ :**
**श्री हेम बरूआ :**
**पंडित द्वा० ना० तिवारी :**

क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत सरकार का ध्यान इस समाचार की ओर दिलाया गया है कि ब्रिटेन पर यूरोपीय सामान्य मार्केट में शामिल होने के लिये भारी दबाव डाला जा रहा है ;

(ख) क्या ब्रिटेन ने अभी हाल ही के कुछ महीनों में इस मामले के बारे में राष्ट्र मण्डल के देशों के साथ, जिनमें भारत भी शामिल है, बातचीत की है; और

(ग) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में भारत सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

†**वाणिज्य मंत्री (श्री कानूनगो)** : (क) से (ग). एक विवरण सभा पटल पर रखा जाता है।

विवरण

हां श्रीमान्, सितम्बर, १९६० में लन्दन में कामन्ल्वैथ के वित्त मन्त्रियों के सम्मेलन में इंग्लैंड के यूरोपीय सामान्य मार्केट में शामिल होने की बात पर इंग्लैण्ड तथा अन्य देशों के प्रतिनिधियों के बीच काफी विचार विनिमय हुआ । चूंकि अभी इंग्लैण्ड तथा यूरोपीय आर्थिक समाज के सदस्यों में बातचीत जारी है इसलिये नहीं कहा जा सकता कि यह सम्बन्ध अन्ततोगत्वा किस प्रकार का होगा । अतः इस अवस्था में भारत सरकार की प्रतिक्रिया का प्रश्न नहीं उठता । परन्तु जो कुछ होता जा रहा है उस पर नजर रखी जा रही है ।

†**श्री हेम बरूआ :** क्या सम्मेलन में यह सुझाव दिया गया था कि कुछ एशिया के देश ऐसा प्रबन्ध करें जिससे कि उसका प्रभाव कम हो जाय । यदि हां तो अन्य देशों ने इस सुझाव पर क्या राय दी ?

†**श्री कानूनगो :** न तो जी० ए०टी०टी० में और न ही वित्त मन्त्रियों के सम्मेलन में ऐसा सुझाव रखा गया । ऐसा होना भी नहीं चाहिये । इकैफे के सम्मेलन में विभिन्न देश इन्हीं चीजों पर विचार कर रहे हैं । तीन वर्ष के बाद इकैफे के भीतर से यही चीज सामने आयी है कि एशिया के देशों को पहले अन्तः प्रदेशीय व्यापार को तेज करना चाहिये और फिर उस के प्रभाव का अध्ययन भी करना चाहिये क्योंकि उनमें आपसी प्रतियोगिता तो है, यूरोपीय देशों के साथ उनकी प्रतियोगिता नहीं है ।

†**श्री हेम बरूआ :** क्या यह सच है कि पश्चिमी देशों द्वारा प्रशुल्क घटाये जाने के बारे में भी सुझाव दिया गया था; यदि हां तो इस बारे में क्या हुआ ?

†**श्री कानूनगो :** रोम सन्धि के अनुसार यूरोपीय समाज के देशों में धीरे धीरे प्रशुल्क कम किया जा रहा है । १ जनवरी, १९६१ को फिर कमी की जायेगी । यह उनकी अपनी चीज है । उसका परिणाम यह होगा कि उनमें आपस में लेन देन होता रहेगा । शायद इस चीज का प्रभाव अन्य देशों से

---

†मूल अंग्रेजी में

निर्यात के ऊपर भी पड़ेगा किन्तु जी० ए० टी० टी० की पिछली कान्फ्रेंस में एशिया और अफरीका के १८ देशों ने इस प्रश्न को उठाया था और अभी इसका अनुसरण किया जा रहा है। हमारे पक्ष में सबसे बड़ी चीज यह है कि जब तक यूरोप के देश हमारे अपने क्षेत्रों से काफी सामान नहीं लेते तब तक हम भी उनकी चीजें खरीदने में असमर्थ होंगे।

†**श्रीमती इला पाल चौधरी :** चूंकि भारत भी कामनवैल्थ का सदस्य है, इसलिये यदि ब्रिटेन यूरोपीय सामान्य मार्किट में शामिल हुआ तो भारत क्या संरक्षण मांगेगा ?

†**श्री कानूनगो :** विवरण में बताया गया है कि प्रश्न पर थोड़ा विचार हुआ है। अभी तक इंग्लैण्ड ने भी पक्का निश्चय नहीं किया है। जब ऐसा हो जायगा तब हम इस बात पर विचार करेंगे क्योंकि व्यापारिक बंधनों को शीघ्रता से इधर उधर नहीं किया जा सकता।

†**श्री यादव नारायण जाधव :** विवरण में यूरोपीय सामान्य बाजार तथा यूरोपीय फ्री ट्रेड संस्था के देशों से अपील का उल्लेख है कि वे अविकसित देशों के प्रति खुला व्यवहार करें। क्या इससे हमारे देश की वाणिज्यिक नीति भी बदल जायगी ?

†**श्री कानूनगो :** जी हां। रोम संधि के अनुसार वे देश धीरे धीरे प्रशुल्कों को कम करते करते उन्हें समाप्त ही कर देंगे। इसके बाद जी० ए० टी० टी० के ढांचे में रह कर ही वे अन्य देशों के प्रति अपनी नीतियों का नवीकरण करेंगे और वह बातचीत अब जेनेवा में चल रही है।

†**श्री रघुनाथ सिंह :** प्रश्न संख्या ८८५ की भी ले लिया जाय क्योंकि यह काफी महत्वपूर्ण है।

†**अध्यक्ष महोदय :** उन्होंने पूर्व सूचना नहीं दी।

†**श्री रघुनाथ सिंह :** मेरा विचार था इसे अपने समय पर ले ही लिया जायगा। इसे आज ले लिया जाय।

†**अध्यक्ष महोदय :** किन्तु अब प्रश्न काल समाप्त हो चुका है।

---

## प्रश्नों के लिखित उत्तर

### सरकारी उपक्रमों की रिपोर्टें

†*८७१. **श्री विद्या चरण शुक्ल :** क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री ३० अगस्त, १९६० के तारांकित प्रश्न संख्या ९०५ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने प्राक्कलन समिति द्वारा अपनी २० वीं और ६० वीं रिपोर्टों में की गयी इन सिफारिशों पर विचार कर लिया है कि सभी सरकारी उपक्रमों के, बजट वर्ष के कार्यों और कार्यक्रमों का विवरण पिछले वर्ष के विवरण के साथ वार्षिक बजट के अवसर पर संसद् को उपलब्ध किया जाना चाहिये ;

(ख) यदि हां, तो उसका क्या परिणाम निकला है; और

(ग) यदि उपरोक्त भाग (क) का उत्तर नकरात्मक हो, तो निश्चय करने में देर होने के क्या कारण हैं ?

†**उद्योग मंत्री (श्री मनुभाई शाह) :** (क) से (ग). श्रीमान् वित्त नंत्री महोदय इसका उत्तर बाद में देंगे।

---

†मूल अंग्रेजी में

## रासायनिक पदार्थों का निर्यात

†*८७५. **श्री खीमजी :** क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मध्य पूर्व और अफ्रीका को रासायनिक पदार्थों के निर्यात में वृद्धि करने के उद्देश्य से इस वर्ष वहां एक प्रतिनिधिमण्डल गया था; और

(ख) यदि हां, तो क्या प्रतिनिधिमण्डल ने अपनी रिपोर्ट पेश कर दी है ?

†**वाणिज्य तथा उद्योग उपमंत्री (श्री सतीश चन्द्र) :** (क) तथा (ख). हां, श्रीमान् । २२ अक्तूबर १९६० को शिष्टमण्डल भारत लौटा था और अभी इसके प्रतिवेदन की तीक्षा की जा रही है ।

## ट्राम्बे में उर्वरक संयंत्र

†*८७९. **श्री अजित सिंह सरहदी :**
**श्री हेम बरुआ :**

क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि ट्राम्बे में स्थापित किये जाने वाले उर्वरक संयंत्र का सारा खर्च संयुक्त राज्य अमरीका की सरकार उठायेगी;

(ख) यदि हां, तो इस समझौते का ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस उर्वरक कारखाने में कितना उत्पादन होने की सम्भावना है ?

†**वाणिज्य तथा उद्योग उपमंत्री (श्री सतीशचन्द्र) :** (क) तथा (ख). हां, श्रीमान् । सज्जा के आयात के लिये अमरीकी प्राधिकारियों ने विकास ऋण निधि से ३०० लाख डालर देने तथा रुपया व्यय की पूर्ति के लिये पब्लिक ला ४८० निधि में से २८० लाख डालर देने की पेशकश की है ।

(ग) ९०,००० टन निर्धारित नाइट्रोजन तैयार की जायगी, जो कुछ तो यूरिया की शक्ल में होगी तथा आंशिक रूप में नाइट्रोजन तथा फासफोरस मिश्रित उर्वरक के रूप में ।

## अखबारी कागज का निर्माण

†*८८०. **श्री अगाड़ी :**
**श्री सुगन्धि :**
**श्री आचार :**

क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गन्ने की खोई से अखबारी कागज बनाने के लिये १० करोड़ रु० की लागत से महाराष्ट्र में एक कारखाना खोलने के लिये मैसर्स साहू जैन लिमिटेड को अनुमति दे दी गयी है अथवा उनसे इस सम्बन्ध में कोई आवेदन पत्र प्राप्त हुआ है; और

(ख) क्या गन्ने की खोई से अखबारी कागज बनाने के आर्थिक पहलू के बारे में विशेषज्ञों की राय वही है अथवा बदल गई है ?

†**उद्योग मंत्री (श्री मनुभाई शाह) :** (क) सिद्धान्त रूप में प्रस्थापना स्वीकार कर ली गई है । उद्योग (विकास तथा विनियमन) अधिनियम, १९५१ के अन्तर्गत अन्तिम अनुज्ञप्ति अभी जारी नहीं की गयी है ।

---

†मूल अंग्रेजी में

(ख) वह राय सरकारी क्षेत्र में अखबारी कागज का वह कारखाना लगाने के बारे में थी जिसमें ए० जेड० प्रणाली के अनुसरण से काम चलाया जाय और बगैस का ही प्रयोग हो। वह धारणा अब भी है। बगैस को अखबारी कागज के निर्माण के लिये उपयोग करने के बारे में हम जो सामान्य रुचि ले रहे थे वह अब भी है और भाग (क) में उल्लिखित प्रयोजना को अधिकांशतः बगैस तथा बाहर से मंगाये गये काष्ठ गूदे से ही चलाने का विचार है ?

## दिल्ली में श्रमिकों के लिए क्वार्टर

†८८१. **श्री दी० चं० शर्मा :** क्या **श्रम और रोजगार** मंत्री ३० अगस्त, १९६० के तारांकित प्रश्न संख्या ८७६ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दिल्ली की ओखला औद्योगिक बस्ती में श्रमिकों के लिये क्वार्टर बनाने की योजना के बारे में अब तक क्या प्रगति हुई है; और

(ख) इस योजना को पूरा करने के लिये कौनसी तिथि निर्धारित की गयी है ?

†**श्रम उपमंत्री (श्री आबिद अली) :** (क) और (ख). दिल्ली प्रशासन ने भमि का कब्जा ले लिया है। नक्शे की योजना और अनुमान तैयार हो रहे हैं। परियोजना की पूर्ति की कोई तिथि निश्चित नहीं हुई है।

## पांडिचेरी

†*८८२. { **श्री तंगामणि :**
**श्री राम कृष्ण गुप्त :**
**श्री हेम राज :**

क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या २९ अक्तूबर, १९६० को पांडिचेरी राज्य की विधान सभा की बैठक बुलाई गई थी, जिसमें मुख्य आयुक्त ने भाषण दिया ;

(ख) क्या यह सच है कि विरोधी दलों के द्वारा इस समारम्भ बैठक का बहिष्कार किया गया;

(ग) यदि हां, तो इसका क्या कारण है ;

(घ) विधान सभा के संकल्प द्वारा पांडिचेरी के विधि-सम्मत हस्तान्तरण की जो मांग की गयी थी, उसके बारे में वर्तमान स्थिति क्या है ;

(ङ) क्या चालू वर्ष के लिये अनुमानित व्यय में कुछ कमी हुई है; और

(च) यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं ?

†**वैदेशिक-कार्य उपमंत्री (श्रीमती लक्ष्मी मेनन) :** (क) हां, श्रीमान्।

(ख) विरोधी दल के सदस्यों तथा उन के १३ सदस्यों ने उद्घाटन की बैठक में भाग नहीं लिया। किन्तु शेष २६ सदस्यों ने भाग लिया।

(ग) शायद प्रदर्शन उन मांगों की ओर ध्यान दिलाने के हेतु किया गया था जिन्हें मुख्य आयुक्त के सामने पेश किय गया था। ये मांगें, वैध हस्तांतरण में विलम्ब होने तथा फ्रेंच न्यायिक प्रणाली में कुछ परिवर्तन करने आदि से सम्बन्धित थीं।

---

†मूल अंग्रेजी में

(घ) विलय सम्बन्धी संधि के पुष्टिकरण का मामला अभी फ्रांस सरकार के पास निलम्बित है और अभी तक उस पर विचार कर रहे हैं।

(ङ) आयव्ययक अनुमान जब कि ३४३ लाख रुपये के थे किन्तु पुनरीक्षित अनुमान ३३१ लाख रुपये के हैं।

(च) निर्माण कार्य में अपरिहार्य विलम्ब हो जाने के कारण जो ४ प्रतिशत की वर्तमान कमी है, आशा है वह वित्तीय वर्ष के अन्त तक कम होकर केवल २ प्रतिशत ही रह जायेगी।

**ऊन के लच्छे**

†*८८३. **श्री राजेन्द्र सिंह :** क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) कपड़ा आयुक्त द्वारा पिछले तीन वर्षों में कताई कारखानों को ऊन के 'लच्छों' का आवंटन किस प्रक्रिया के अनुसार किया गया है ; और

(ख) विभिन्न कारखानों को किये गये आवंटन का ब्यौरा क्या है ?

†**वाणिज्य मंत्री (श्री कानूनगो) :** (क) तथा (ख). एक विवरण सभा पटल पर रखा जाता है। **[देखिये परिशिष्ट ३, अनुबन्ध संख्या ३६]**

**काफी हाउस**

†*८८४. **श्री केशव :** क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या काफी बोर्ड ने अपनी नीति का पुनरीक्षण किया है और उसका देश भर में पुनः काफी हाउस खोलने का विचार है ;

(ख) यदि हां, तो क्या बोर्ड सहकारी काफी हाउसों से प्रस्तावित काफी हाउस चलाने का अनुरोध करेगा और उनके इन्कार करने पर ही यदि आवश्यक हुआ, तो अन्य व्यवस्था करेगा ; और

(ग) सहकारी समितियों द्वारा कितने काफी हाउस चलाये जा रहे हैं और क्या काफी बोर्ड द्वारा बन्द किये गये सभी काफी हाउसों को कर्मचारी स्वयं सहकारिता के आधार पर नहीं चला रहे?

†**वाणिज्य मंत्री (श्री कानूनगो) :** (क) नहीं, श्रीमान्।

(ख) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता।

(ग) ३१, बोर्ड द्वारा बंद किये गये सारे कॉफी हाउसों को श्रमिकों की सहकारी समितियां नहीं चलातीं।

**उत्तर पूर्वी सीमान्त अभिकरण में चीनियों द्वारा प्रचार**

†*८८५. **श्री महन्ती :**
**श्री रघुनाथ सिंह :**

क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि चीनी प्राधिकारी भारत के आदिवासियों को अपने पक्ष में फुसलाने के उद्देश्य से उत्तर पूर्वी सीमान्त अभिकरण के सीमान्त प्रदेश में अधिकाधिक प्रयत्न कर रहेहैं ; और

(ख) यदि हां, तो इन कपटपूर्ण चालों को नाकाम बनाने के लिये क्या कदम उठाये जा रहे हैं ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†**वैदेशिक-कार्य मंत्री के सभा-सचिव (श्री जो० ना० हजारिका)**: (क) तथा (ख). हमारी जानकारी के अनुसार हमारे सीमान्त की तरफ ऐसी कोई खास कार्यवाही नहीं है। किन्तु सीमान्त की गतिविधियों पर कड़ा नियंत्रण है और हमारी चौकियों वाले आने वाले विस्थापितों की जांच पड़ताल करते हैं।

**भारतीय उद्योग मेला**

†*८८७. **श्री श्रीनारायण दास :**
**पंडित द्वा० ना० तिवारी :**
**श्री विश्वनाथ रेड्डी :**
**श्री रामकृष्ण रेड्डी :**
**श्री रघुनाथ सिंह :**

क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री १ अगस्त, १९६० के अतारांकित प्रश्न संख्या ३९ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारत सरकार ने १९६१ में आयोजित होने वाले दूसरे भारतीय औद्योगिक मेले के आयोजकों को किस प्रकार की सहायता देने का निश्चय किया है ;

(ख) क्या सरकार को इस प्रदर्शनी की विस्तृत योजना प्राप्त हुई है ;

(ग) यदि हां, तो इस योजना की महत्वपूर्ण विशेषताएं क्या हैं ; और

(घ) इस पर कुल कितना व्यय होने का अनुमान है ?

†**वाणिज्य तथा उद्योग उपमंत्री (श्री सतीश चन्द्र)**: (क) भारतीय उद्योग मेला १९६१ को मनाने के लिए भारतीय वाणिज्य उद्योग मंडल को मथुरा रोड प्रदर्शनी का स्थान किराये पर दिया जा रहा है। उस स्थान पर विकास तथा आस्तियों के निर्माण के व्यय को सरकार तथा वाणिज्य मंडल पारस्परिक सहमत आधार पर पूरा करेंगे।

(ख) तथा (ग). "प्रोसपेक्ट्स" तथा "नियमों विनियमों" की प्रति सभा पटल पर रखी जाती है। **[पुस्तकालय में रखी गयी। देखिये संख्या एल० टी० २५३६/६०]**

(घ) अभी तक प्रबंध कार्य चल ही रहा है अतः संगठक पक्के अनुमान तैयार नहीं कर पाये हैं।

**जालन्धर में सहकारी औद्योगिक बस्तियां**

†*८८८. **श्री अजित सिंह सरहदी :** क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि जालन्धर (पंजाब) के उद्योगपतियों ने सहकारिता के आधार पर औद्योगिक बस्ती बनाने का काम शुरू किया है ; और

(ख) यदि हां, तो क्या इस सहकारी उपक्रम को कोई प्रविधिक परामर्श अथवा अन्य सहायता दी जा रही है ;

†**उद्योग मंत्री (श्री मनुभाई शाह)** : (क) नहीं श्रीमान्, न तो हमने और न ही राज्य सरकार ने ऐसा प्रस्ताव प्राप्त किया है

(ख) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता।

---

†मूल अंग्रेजी में

**रूरकेला इस्पात परियोजना क्षेत्र में छोटे पैमाने के उद्योग**

†*८८९. **श्री वी० चं० शर्मा** : क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि रूरकेला इस्पात परियोजना क्षेत्र के इर्द गिर्द छोटे पैमाने के उद्योग स्थापित करने के लिए सर्वेक्षण किया जा रहा है ; और

(ख) यदि हां, तो इस सर्वेक्षण का क्या परिणाम निकला है ?

†**उद्योग मंत्री (श्री मनुभाई शाह)** : (क) तथा (ख). वहां की औद्योगिक सम्पदा में ठीक प्रकार के लघु उद्योगों की स्थापना का विचार करने के लिए लघु उद्योग सेवा संस्था कलकत्ता ने झरसुगुडा तथा राउरकेला क्षेत्रों का सर्वेक्षण उड़ीसा सरकार की प्रार्थना पर किया था । आशा है रिपोर्ट को शीघ्र ही अंतिम रूप दे दिया जायगा ।

**हल्के उद्योगों में स्त्रियों की नियुक्ति**

†*८९०. **श्री तंगामणि** : क्या **श्रम और रोजगार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि वस्त्र उद्योग और बागान उद्योग जैसे हल्के उद्योगों में महिला कर्मचारियों की संख्या उत्तरोत्तर घट रही है ;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ; और

(ग) इन उद्योगों में महिला कर्मचारियों को एक निश्चित अनुपात में नियुक्त करने के लिए क्या कार्यवाही की जा रही है ?

†**श्रम उपमंत्री (श्री आबिद अली)** : (क) जी हां ।

(ख) आधुनिकीकरण तथा स्त्रियों के लिये कार्य के समय में नियंत्रण करने के कारण व्यवसायिक ढांचे में परिवर्तन हुआ है ।

(ग) विशेष उद्योगों में स्त्रियों के लिए विशिष्ट प्रतिशत स्थान रखना संभव न हो । परन्तु आर्थिक प्रगति के फलस्वरूप स्त्रियों को रोजगार देने के और तरीके निकल आयेंगे ।

**हथकरघों पर बने कपड़े का निर्यात**

†*८९१. **श्री तंगामणि :**
**श्री एन्थनी पिल्ले :**
**श्री न० रा० मनिस्वामी :**
**श्री सुब्बैया अम्बलम् :**
**श्री बालकृष्णन् :**

क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हथकरघा "ब्लीडिंग मद्रास" निर्माता संस्था, मद्रास की ओर से 'ब्लीडिंग मद्रास" नामक कपड़े का स्टाक जमा हो जाने और उसकी बिक्री के सुझावों के बारे में अभ्यावेदन प्राप्त हुआ है ;

(ख) यदि हां, तो सरकार ने उसका क्या उत्तर दिया है ;

(ग) क्या यह सच है कि १५ लाख गज कपड़े का स्टाक अभी तक पड़ा हुआ है ;

---

†मूल अंग्रेजी में

(घ) क्या सरकार ने हथकरघा निर्यात संगठन को स्टाक के बदले ऋण देने और कपड़े की बिक्री की व्यवस्था करने का अनुरोध किया है ; और

(ङ) इस किस्म के हथकरघा बुनकरों के हितों की रक्षा के लिए क्या कदम उठाये जाने का विचार है ?

†**वाणिज्य मंत्री (श्री कानूनगो)** : (क) से (ङ). मद्रास की हथकरघा (ब्लीडिंग मद्रास) निर्माता संस्था से यह अभ्यावेदन प्राप्त हुआ था कि "ब्लीडिंग मद्रास" नाम के निर्मित वस्त्र का काफी भंडार उन के पास जमा हो गया है और उन्होंने प्रार्थना की थी कि इस भंडार को बिकवाने में सहकारी संस्थाओं तथा "मास्टर वीवरों" को सहायता दी जाय । पर इनके पास कितना कपड़ा है यह हमें ज्ञान नहीं है । तदापि अनुमानानुसार यह १० लाख गज़ होगा । सरकार इस मामले में, हथकरघा बोर्ड तथा हथकरघा निर्यात संगठन से सलाह कर रही है कि इन संचित भंडारों के निपटारे के लिए क्या उपाय किये जाएं ।

**अखबारी कागज**

†**१७०१. श्री मुरारका :** क्या वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री सभा पटल पर एक विवरण रखने की कृपा करेंगे जिसमें यह बताया गया है कि :

(क) १९५०–५१ में अखबारी कागज़ का कितना उत्पादन हुआ था ;

(ख) प्रथम पंचवर्षीय योजना काल के लिये उत्पादन का क्या लक्ष्य निर्धारित किया गया था, उस अवधि में उस लक्ष्य को कहां तक पूरा किया गया, उस अवधि के लिये कुल कितनी राशि निर्धारित की गयी थी और वस्तुत: कितनी राशि खर्च की गयी ;

(ग) द्वितीय पंचवर्षीय योजना काल में उत्पादन का क्या लक्ष्य निर्धारित किया गया है, अब तक लक्ष्य कहां तक पूरा किया जा चुका है इस अवधि के लिये कुल कितनी राशि निर्धारित की गयी है और अभी तक वस्तुत: कितनी राशि खर्च की जा चुकी है ; और

(घ) लक्ष्य पूर्ति में यदि कमी रह गयी हो तो उसके क्या कारण हैं ?

†**उद्योग मंत्री (श्री मनुभाई शाह)** : (क) कुछ नहीं । इसका उत्पादन १९५५ में नेपा मिल्स द्वारा प्रारम्भ किया गया था ।

(ख) और (ग ).

| | | |
|---|---|---|
| (१) | प्रथम पंचवर्षीय योजना के लिये उत्पादन क्षमता का लक्ष्य | ३०,००० टन प्रति वर्ष । प्रथम योजना के अन्त तक यह लक्ष्य पूरा कर लिया गया था । |
| (२) | द्वितीय पंचवर्षीय योजना के लिये उत्पादन क्षमता का लक्ष्य | ६०,००० टन प्रति वर्ष |
| | लक्ष्य प्राप्ति . . . | ३०,००० टन प्रति वर्ष । |

निर्धारित राशियों के सम्बन्ध में आंकड़े उपलब्ध नहीं हैं ।

(घ) परम्परागत कच्ची सामग्री जैसे कि देवदारू, सनोबर और पाइन की कम कीमत पर पर्याप्त मात्रा में उपलब्धि के सम्बन्ध में स्थिति अभी तक स्पष्ट नहीं हुई है । अखबारी कागज़ के निर्माण के लिये खोई के प्रयोग के सम्बन्ध में जो यत्न किये गये हैं, उनमें भी अभी तक साफल्य

---

†मूल अंग्रेजी में

प्राप्त नहीं हुआ है, क्योंकि उस की प्रविधिक तथा आर्थिक सुकरता के बारे में अभी तक निर्णय नहीं किया जा सका है। अखबारी कागज़ के देश में उत्पादन कार्य को गति देने के लिये हाल ही में आयात किये गये गूदे से अखबारी कागज़ बनाने की दो योजनायें मंजूर की हैं। इन योजनाओं को चलाने वाले विदेशी मशीनरी संभरण कर्ताओं से बातचीत कर रहे हैं। आशा है कि तीसरी पंच-वर्षीय योजना की समाप्ति पर स्वदेशी अखबारी कागज़ का उत्पादन पर्याप्त सीमा तक बढ़ जायेगा।

**कागज़ और गत्ता**

†१७०२. **श्री मुरारका :** क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री सभा पटल पर एक विवरण रखने की कृपा करेंगे जिस में यह बताया गया है कि :

(क) १९५०-५१ में कागज़ और गत्ते का कितना उत्पादन हुआ था ;

(ख) प्रथम पंचवर्षीय योजना काल के लिये उत्पादन का क्या लक्ष्य निर्धारित किया गया था, उस अवधि में उस लक्ष्य को कहां तक पूरा किया गया, उस अवधि के लिये कुल कितनी राशि निर्धारित की गई थी और वस्तुतः कितनी राशि खर्च की गई।

(ग) द्वितीय पंचवर्षीय योजना काल में उत्पादन का क्या लक्ष्य निर्धारित किया गया है, अब तक लक्ष्य कहां तक पूरा किया जा चुका है, इस अवधि के लिये कुल कितनी राशि निर्धा-रित की गई है और वे अभी तक वस्तुतः कितनी राशि खर्च की जा चुकी है; और

(घ) लक्ष्य पूर्ति में यदि कोई कमी रह गई हो तो उस के क्या कारण हैं ?

†**उद्योग मंत्री (श्री मनुभाई शाह) :** (क) ११४,०४० टन

(ख) और (ग). प्रथम पंचवर्षीय योजना के लिये २१०,००० टन उत्पादन का लक्ष्य निर्धारित था और योजना काल के अन्त में सम्पूर्ण लक्ष्य पूरा हो गया था। द्वितीय पंचवर्षीय योजना के लिये ३५०,००० टन के उत्पादन का लक्ष्य निर्धारित किया गया था और उस का उत्पादन अपने लक्ष्य से भी बढ़ गया है। इन योजनाओं के लिये निर्धारित की गई राशियों और वस्तुतः खर्च की गई राशियों के बारे में आंकड़े उपलब्ध नहीं हैं क्योंकि इस का विकास गैर सरकारी क्षेत्र में हुआ है।

(घ) यह प्रश्न उत्पन्न नहीं होता क्योंकि निर्धारित लक्ष्य पूरे हो गये हैं ?

**साइकिलों के टायर**

†१७०३. **श्री मुरारका :** क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री सभा पटल पर एक विवरण रखने की कृपा करेंगे जिस में यह बताया गया है कि :

(क) १९५०-५१ में साइकलों के टायरों का कितना उत्पादन हुआ था ;

(ख) प्रथम पंचवर्षीय योजना काल के लिये उत्पादन का क्या लक्ष्य निर्धारित किया गया था, उस अवधि में उस लक्ष्य को कहां तक पूरा किया गया, उस अवधि के लिये कुल कितनी राशि निर्धारित की गई थी और वस्तुतः कितनी राशि खर्च की गई ;

(ग) द्वितीय पंचवर्षीय योजना काल में उत्पादन का क्या लक्ष्य निर्धारित किया गया है, अब तक लक्ष्य कहां तक पूरा किया जा चुका है इस अवधि के लिये कुल कितनी राशि निर्धारित की गई है और अभी तक वस्तुतः कितनी राशि खर्च की जा चुकी है ; और

(घ) लक्ष्य पूर्ति में यदि कमी रह गई हो तो उस के क्या कारण हैं ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†**उद्योग मंत्री (श्री मनुभाई शाह)** : (क) से (घ). एक विवरण संलग्न है ।

विवरण

(क) लगभग ३४.८ लाख टन ।

(ख) प्रथम पंचवर्षीय योजना में रबर की वस्तुओं के निर्माण का उद्योग सम्मिलित नहीं था और इसलिये इस बारे में कोई लक्ष्य निर्धारित नहीं किया गया था ।

(ग) द्वितीय पंचवर्षीय योजना काल के लिये क्षमता तथा उत्पादन के निर्धारित लक्ष्य और लक्ष्य पूर्ति के सम्बन्ध में आंकड़े निम्नलिखित हैं :—

| | लक्ष्य | लक्ष्य पूर्ति |
|---|---|---|
| क्षमता . . . | २०० लाख टायर | २४७.३ लाख टायर |
| उत्पादन . . | १६० लाख टायर | ११० लाख टायर (१९६० में) |
| | | १४० लाख टायर (१९६१ में अनुमानतः) |

(घ) उत्पादन में कमी का कारण यह है कि कुछ योजनाओं की कार्यान्विति देर से की गई थी । आशा है कि वह कमी आगामी दो वर्षों में पूरी कर दी जायेगी । परन्तु जहां तक साइकल के टायरों की मांग का सम्बन्ध है, ज़रा भी कमी महसूस नहीं की जा रही है । वास्तव में हम कुछ सीमा तक इन टायरों तथा ट्यूबों का निर्यात भी करने के सम्बन्ध में यत्न कर रहे हैं, क्योंकि इन का उत्पादन देश की मांग से कुछ अधिक है ।

**मोटर गाड़ियों के टायर**

†**१७०४. श्री मुरारका** : क्या वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री सभा पटल पर एक विवरण रखने की कृपा करेंगे जिस में यह बताया गया है कि :

(क) १९५०-५१ में मोटरगाड़ियों के टायरों का कितना उत्पादन हुआ था ;

(ख) प्रथम पंचवर्षीय योजना काल के लिये उत्पादन का क्या लक्ष्य निर्धारित किया गया था, उस अवधि में उस लक्ष्य को कहां तक पूरा किया गया, उस अवधि के लिये कुल कितनी राशि निर्धारित की गई थी और वस्तुतः कितनी राशि खर्च की गई ;

(ग) द्वितीय पंचवर्षीय योजना काल में उत्पादन का क्या लक्ष्य निर्धारित किया गया है, अब तक लक्ष्य कहां तक पूरा किया जा चुका है, इस अवधि के लिये कुल कितनी राशि निर्धारित की गई है और अभी तक वस्तुतः कितनी राशि खर्च की जा चुकी है ; और

(घ) लक्ष्य पूर्ति में यदि कोई कमी रह गई हो तो उस के क्या कारण हैं ?

†**उद्योग मंत्री (श्री मनुभाई शाह)** : (क) से (घ). एक विवरण संलग्न है ।

विवरण

(क) लगभग ७ लाख टायर ।

(ख) रबड़ वस्तु निर्माण उद्योग प्रथम पंचवर्षीय योजना में सम्मिलित नहीं था और इसलिये प्रथम पंचवर्षीय योजना काल के लिये कोई लक्ष्य निर्धारित नहीं किये गये थे ।

---

†मूल अंग्रेजी में

(ग) द्वितीय पंचवर्षीय योजना काल में निर्धारित किये गये लक्ष्यों और लक्ष्य पूर्ति के सम्बन्ध में आंकड़े निम्नलिखित हैं :—

| | लक्ष्य | लक्ष्य पूर्ति |
|---|---|---|
| क्षमता . . . . | २२ लाख टायर | २९.४ लाख टायर (लाइसेन्स प्राप्त) |
| उत्पादन . | १७.६ लाख टायर | १४.० लाख टायर (१९६० में) |

क्योंकि टायर उद्योग का विकास गैर-सरकारी क्षेत्र में हुआ है, इसलिये निर्धारित राशि के सम्बन्ध में जानकारी उपलब्ध नहीं है ।

(घ) आशा है कि कुछ एक योजनाओं की कार्यान्विति पर १९६२ में वास्तविक उत्पादन लक्ष्य पूरा हो जायेगा ।

**साबुन**

†१७०५. **श्री मुरारका** : क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री सभा पटल पर एक विवरण रखने की कृपा करेंगे जिस में यह बताया गया है कि :

(क) १९५०-५१ में साबुन का कितना उत्पादन हुआ था ;

(ख) प्रथम पंचवर्षीय योजना काल के लिये उत्पादन का क्या लक्ष्य निर्धारित किया गया था, उस अवधि में उस लक्ष्य को कहां तक पूरा किया गया, उस अवधि के लिये कुल कितनी राशि निर्धारित की गई थी और वस्तुतः कितनी राशि खर्च की गई ;

(ग) द्वितीय पंचवर्षीय योजना काल में उत्पादन का क्या लक्ष्य निर्धारित किया गया है, अब तक लक्ष्य कहां तक पूरा किया जा चुका है इस अवधि के लिये कुल कितनी राशि निर्धारित की की गई है और अभी तक वस्तुतः कितनी राशि खर्च की जा चुकी है ; और

(घ) लक्ष्य पूर्ति में यदि कमी रह गई हो तो उस के क्या कारण हैं ?

†**उद्योग मंत्री (श्री मनुभाई शाह)** : (क) १९५१ में संगठित क्षेत्र में सभी प्रकार के साबुन का ८३,५२० टन उत्पादन हुआ था ।

(ख) १९५५-५६ तक के लिये २,००,००० टन के उत्पादन का लक्ष्य निर्धारित किया गया था । १९५५-५६ को २,१०,००० टन का उत्पादन किया गया था । स के लिये कोई राशि निर्धारित नहीं की गई थी, क्योंकि यह उत्पादन गैर-सरकारी क्षेत्र में किया गया था ।

(ग) १९६०-६१ तक के लिये ३,००,००० टन के उत्पादन का लक्ष्य निर्धारित किया गया है और अनुमान है कि उस वर्ष तक ३,४०,००० टन का उत्पादन हो जायेगा । इस सम्बन्ध में कोई राशि निर्धारित नहीं की गई है क्योंकि इस का उत्पादन गैर-सरकारी क्षेत्र में हुआ है ।

(घ) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता ।

**नाइट्रो-सेल्युलोज की सुनहरी वार्निश[1]**

†१७०६. **श्री मुरारका** : क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री सभा पटल पर एक विवरण रखने की कृपा करेंगे जिसमें यह बताया गया है कि :

(क) १९५०–५१ में नाइट्रो-सेल्युलोज की सुनहरी वार्निश का कितना उत्पादन हुआ था;

---

†मूल अंग्रेजी में

[1] Nitro—Cellulose Lacquers

(ख) प्रथम पंचवर्षीय योजना काल के लिये उत्पादन का क्या लक्ष्य निर्धारित किया गया था, उस अवधि में इस लक्ष्य को कहां तक पूरा किया गया, उस अवधि के लिये कुल कितनी राशि निर्धारित की गयी थी और वस्तुत: कितनी राशि खर्च की गयी;

(ग) द्वितीय पंचवर्षीय योजना काल में उत्पादन का क्या लक्ष्य निर्धारित किया गया है, अब तक लक्ष्य कहां तक पूरा किया जा चुका है, इस अवधि के लिये कुल कितनी राशि निर्धारित की गयी है और अभी तक वस्तुत: कितनी राशि खर्च की जा चुकी है; और

(घ) लक्ष्य पूर्ति में यदि कमी रह गयी हो तो उसके क्या कारण हैं ?

†**उद्योग मंत्री (श्री मनुभाई शाह)** : (क) १९५०-५१ में लगभग ३२,६०० गैलन नाइट्रो-सेल्युलोज़ की सुनहरी वार्निश का निर्माण किया गया था।

(ख) और (ग). इस सम्बन्ध में प्रथम पंचवर्षीय योजना तथा द्वितीय पंचवर्षीय योजना के लिये निर्यात किये गये लक्ष्य निम्नलिखित हैं :-

**१९५५-५६ के लिये लक्ष्य :**

| | |
|---|---|
| क्षमता सम्बन्धी लक्ष्य . . . . | ३,५०,००० गैलन |
| उत्पादन सम्बन्धी लक्ष्य . . . | ३,००,००० गैलन |

**१९६०-६१ के लिये लक्ष्य :**

| | |
|---|---|
| क्षमता सम्बन्धी लक्ष्य . . . . | ८,००,००० गैलन |
| उत्पादन सम्बन्धी लक्ष्य . . . . | ५,००,००० गैलन |

१९५५ तक प्रथम पंचवर्षीय योजना का लक्ष्य पूरा हो गया था। उस समय २.९५ लाख गैलन का उत्पादन किया गया था। द्वितीय पंचवर्षीय योजना का लक्ष्य भी पूरा हो गया है। १९५९ में २.९८ लाख गैलन का उत्पादन किया गया था। नाइट्रो-सेल्युलोज़ की सुनहरी वार्निश की मांग में वृद्धि नहीं हुई है, क्योंकि अधिकांश उद्योगों में इसके स्थान पर संश्लिष्ट स्टोविंग एनेमल का इस्तेमाल किया जा रहा है। नाइट्रो-सेल्युलोज़ की सुनहरी वार्निश का उद्योग अधिकांशत: गैर-सरकारी क्षेत्र में है और इसलिये उसके लिये प्रथम और द्वितीय पंचवर्षीय योजना काल में कोई राशि निर्धारित नहीं की गयी थी।

(घ) भाग (क), (ख) और (ग) को ध्यान में रखते हुए यह प्रश्न उत्पन्न ही नहीं होता।

## रंग, वार्निश और एनेमल

†**१७०७. श्री मुरारका** : क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री सभा पटल पर एक विवरण रखने की कृपा करेंगे जिसमें यह बताया गया है कि :

(क) १९५०-५१ में तैयार रंग (पेन्ट), वार्निश और एनेमल का कितना उत्पादन हुआ था;

(ख) प्रथम पंचवर्षीय योजना काल के लिये उत्पादन का क्या लक्ष्य निर्धारित किया गया था, उस अवधि में उस लक्ष्य को कहां तक पूरा किया गया, उस अवधि के लिये कुल कितनी राशि निर्धारित की गयी थी और वस्तुत: कितनी राशि खर्च की गयी;

(ग) द्वितीय पंचवर्षीय योजना काल में उत्पादन का क्या लक्ष्य निर्धारित किया गया है, अब तक लक्ष्य कहां तक पूरा किया जा चुका है, इस अवधि के लिये कुल कितनी राशि निर्धारित की गयी है और अभी तक वस्तुत: कितनी राशि खर्च की जा चुकी है; और

---

†नून अंग्रेजी में

(ब) लक्ष्य पूर्ति में यदि कोई कमी रह गयी हो तो उसके क्या कारण हैं ?

†**उद्योग मंत्री (श्री मनुभाई शाह)** : (क) १९५० में लगभग २७,९४५ टन रंग (पेन्ट) वार्निश और एनेमल का उत्पादन हुआ था। (इस में छोटे पैमाने के क्षेत्र का उत्पादन शामिल नहीं है।)

(ख) और (ग). ंग, एनेमल और वार्निश के लिये पहली और दूसरी पंचवर्षीय योजनाओं के लक्ष्य इस प्रकार थे :—

**१९६०–६१ के लिये लक्ष्य :**

| | |
|---|---|
| क्षमता लक्ष्य | ७०,००० टन |
| उत्पादन लक्ष्य . . . . . | ६०,००० टन |

१९५५ में उत्पादन ३९,०३४ टन और १९५९ में ५४,२४५ टन।

रंग, वार्निश और एनेमल उद्योग अधिकांशत: गैर-सरकारी क्षेत्र में है इसलिये पहली और दूसरी योजनाओं की अवधियों में इसके विकास के लिये कोई वित्तीय आवंटन नहीं किया गया था।

(घ) उपरोक्त (ख) और (ग) की दृष्टि से लक्ष्यों की पूर्ति में कमी का प्रश्न उत्पन्न नहीं होता।

## सांचे बनाने का संश्लिष्ट पाउडर

†**१७०८. श्री मुरारका** : क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री सभा पटल पर एक विवरण रखने की कृपा करेंगे जिसमें यह बताया गया है कि :

(क) १९५०–५१ में सांचे बनाने का संश्लिष्ट पाउडर का कितना उत्पादन हुआ था;

(ख) प्रथम पंचवर्षीय योजना काल के लिये उत्पादन का क्या लक्ष्य निर्धारित किया गया था, उस अवधि में उस लक्ष्य को कहां तक पूरा किया गया, उस अवधि के लिये कुल कितनी राशि निर्धारित की गयी थी और वस्तुत: कितनी राशि खर्च की गयी;

(ग) द्वितीय पंचवर्षीय योजना काल में उत्पादन का क्या लक्ष्य निर्धारित किया गया है, अब तक लक्ष्य कहां तक पूरा किया जा चुका है, इस अवधि के लिये कुल कितनी राशि निर्धारित की गयी है और अभी तक वस्तुत: कितनी राशि खर्च की जा चुकी है; और

(घ) लक्ष्य पूर्ति में यदि कमी रह गयी हो तो उसके क्या कारण हैं ?

†**उद्योग मंत्री (श्री मनुभाई शाह)**: (क) १९५०–५१ में देश में केवल फेनौलिक फार्मल-डिहाइट मोल्डिंग पाउडर (सांचे बनाने का पाउडर) बनाया जाता था। १९५० और १९५१ में उत्पादन क्रमश: ३२४ और ४०४ टन था।

(ख) प्लास्टिक उद्योग पर पहली पंचवर्षीय योजना में लक्ष्य निर्धारित करने के लिये विचार नहीं किया गया और शेष का प्रश्न उत्पन्न नहीं होता।

(ग) दूसरी पंचवर्षीय योजना में संश्लिष्ट मोल्डिंग पाउडरों के उत्पादन और क्षमता के लक्ष्य गैर-सरकारी क्षेत्र में क्रमश: ११,४०० और १०,६०० टन थे। तदनुसार कोई अन्तिम आवंटन नहीं किया गया था।

---

†मूल अंग्रेजी में

(घ) दूसरी पंचवर्षीय योजना में गैर-सरकारी क्षेम में क्षमता का लक्ष्य पहले ही लक्ष्य से अधिक पूरा हो चुका है परन्तु वी० वी० सी० और एक दूसरा पोलीथिलीन संयंत्र लगाने में कुछ अनपेक्षित विलम्ब के कारण उत्पादन लक्ष्य में थोड़ी कमी होने की संभावना है ।

**तरल ग्लूकोज़**

†१७०९. **श्री मुरारका** : क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री सभा पटल पर एक विवरण रखने की कृपा करेंगे जिसमें यह बताया गया है कि :

(क) १९५०–५१ में तरल ग्लकोज़ का कितना उत्पादन हुआ था;

(ख) प्रथम पंचवर्षीय योजना काल के लिये उत्पादन का क्या लक्ष्य निर्धारित किया गया था, उस अवधि में उस लक्ष्य को कहां तक पूरा किया गया, उस अवधि के लिये कुल कितनी राशि निर्धारित की गयी थी और वस्तुत: कितनी राशि खर्च की गयी;

(ग) द्वितीय पंचवर्षीय योजना काल में उत्पादन का क्या लक्ष्य निर्धारित किया गया है, अब तक लक्ष्य कहां तक पूरा किया जा चुका है, इस अवधि के लिये कुल कितनी राशि निर्धारित की गयी है और अभी तक वस्तुत: कितनी राशि खर्च की जा चुकी है; और

(घ) लक्ष्य पूर्ति में यदि कोई कमी रह गयी हो तो उसके क्या कारण हैं ?

†**उद्योग मंत्री (श्री मनुभाई शाह)** : (क) १९५० में २१९ टन तरल ग्लूकोज़ तैयार किया गया था ।

(ख) इस उद्योग के लिये पहली पंचवर्षीय योजना का कोई लक्ष्य निर्धारित नहीं किया गया था । इस उद्योग के लिये कोई वित्तीय आवंटन नहीं किया गया था क्योंकि यह गैर-सरकारी क्षेत्र में है ।

(ग) दूसरी योजना के लिये निम्न लक्ष्य निर्धारित किये गये हैं :

| | |
|---|---|
| क्षमता लक्ष्य . . . . . | १३,००० टन |
| उत्पादन लक्ष्य . . . . . | ५,००० टन |

१३,००० टन की लक्ष्यित क्षमता में से ११,४०० टन की क्षमता का विकास हो चुका है । १९५९ में तरल ग्लूकोज़ का उत्पादन ५,००० टन के लक्ष्य के मुकाबले में ६,४३० टन था । १९६० में इसका ८,००० टन का अनुमान लगाया गया है । कोई वित्तीय उपबंध इसके लिये नहीं किया गया क्योंकि यह गैर-सरकारी क्षेत्र में है ।

(घ) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता ।

**ग्लूकोज़ पाउडर**

†१७१०. **श्री मुरारका** : क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री सभा पटल पर एक विवरण रखने की कृपा करेंगे जिसमें यह बताया गया है कि :

(क) १९५०–५१ में ग्लूकोज़ पाउडर का कितना उत्पादन हुआ था;

(ख) प्रथम पंचवर्षीय योजना काल के लिये उत्पादन का क्या लक्ष्य निर्धारित किया गया था, उस अवधि में उस लक्ष्य को कहां तक पूरा किया गया, उस अवधि के लिये कुल कितनी राशि निर्धारित की गयी थी और वस्तुत: कितनी राशि खर्च की गयी;

---

†मूल अंग्रेजी में

(ग) द्वितीय पंचवर्षीय योजना काल में उत्पादन का क्या लक्ष्य निर्धारित किया गया है, अब तक लक्ष्य कहां तक पूरा किया जा चुका है, इस अवधि के लिये कुल कितनी राशि निर्धारित की गयी है और अभी तक वस्तुतः कितनी राशि खर्च की जा चुकी है; और

(घ) लक्ष्य पूर्ति में यदि कोई कमी रह गयी हो तो उसके क्या कारण हैं ?

†**उद्योग मंत्री (श्री मनुभाई शाह)** : (क) कोई नहीं ।

(ख) इस उद्योग के लिये पहली पंचवर्षीय योजना में कोई लक्ष्य निश्चित नहीं किया गया था । चूंकि यह उद्योग गैर-सरकारी क्षेत्र में है इसलिये इसके लिये कोई वित्तीय उपबंध नहीं किया गया था ।

(ग) दूसरी योजना के लिये ये लक्ष्य रखे गये हैं :

| | |
|---|---|
| क्षमता लक्ष्य . . . | ७,७०० टन |
| उत्पादन लक्ष्य . . . . . | २,८०० टन |

७,७०० टन की लक्ष्यित क्षमता में से ७,२०० टन की क्षमता का विकास किया जा चुका है और ४,१०० टन और क्षमता का लाइसेंस दिया गया है । १९५९ में ग्लूकोज का उत्पादन २,८०० टन के लक्ष्य के मुकाबले २,४१३ टन था चूंकि यह उद्योग गैर-सरकारी क्षेत्र में है इसलिये इसके लिये कोई वित्तीय उपबंध नहीं किया गया है ।

(घ) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता ।

**महाराष्ट्र के ऐतिहासिक स्थानों के सम्बन्ध में प्रलेखीय चल चित्र**

†१७११. **श्री पांगरकर** : क्या **सूचना और प्रसारण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या महाराष्ट्र के ऐतिहासिक स्थानों के सम्बन्ध में प्रलेखीय चल चित्र बनाने के बारे में कोई योजना है; और

(ख) यदि हां, तो वह योजना कब कार्यान्वित की जायेगी ?

†**सूचना और प्रसारण मंत्री (डा० केसकर)** : (क) और (ख). महाराष्ट्र के सभी ऐतिहासिक स्थानों के सम्बन्ध में प्रलेखीय चल चित्र तैयार करने के बारे में कोई योजना नहीं है । पर हां महाराष्ट्र के किलों के सम्बन्ध में एक फिल्म तैयार की जा रही है । कुछ फिल्में पहले ही तैयार की जा चुकी हैं जिसमें महाराष्ट्र के ऐतिहासिक स्थानों के कुछ विवरण सम्मिलित हैं । उन फिल्मों के नाम हैं :—

(१) 'दि सेवन आइलैण्डज' (सप्त द्वीप)

(२) 'फोक सांग्स आफ महाराष्ट्र' (महाराष्ट्र के लोक गीत)

(३) कोंकण

(४) 'केव टेम्पल्स आफ इंडिया' (भारत के गुहा मंदिर)

**आकाशवाणी केन्द्र, नागपुर**

†१७१२. **श्री पांगरकर** : क्या **सूचना और प्रसारण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) आकाशवाणी नागपुर के कार्यक्रम केन्द्र की मंत्रणा समिति के सदस्यों के नाम क्या हैं ; और

(ख) क्या उस समिति में कोई आदिवासी सदस्य भी सम्मिलित किया गया है ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†**सूचना और प्रसारण मंत्री (डा० केसकर)** : (क) एक विवरण संलग्न है।

विवरण

आकाशवाणी के नागपुर के केन्द्र की कार्यक्रम मंत्रणा समिति में निम्नलिखित सदस्य सम्मिलित हैं :—

१. श्री जी० टी० माड़खोलकर

२. श्री पी० वाई० देशपांडे

३. श्री एम० बी० नियोगी

४. डा० ए० वी० मदन गोपाल

५. श्रीमती सुमति धनवंत

६. श्री पी० बी० काले

७. डा० (श्रीमती) श्यामला चिटले

८. श्री बी० जी० महेश्वरी

९. डा० (श्रीमती) सुमती मुटाटकर

१०. श्री जी० बी० बडकस

(ख) जी, नहीं ।

**टैगोर के जीवन के सम्बन्ध में फिल्म**

†१७१३. **श्री मे० के० कुमारन ;**
**श्री बी० चं० शर्मा :**

क्या **सूचना और प्रसारण** मंत्री १२ अगस्त, १९६० के अतारांकित प्रश्न संख्या ६७८ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि महाकवि रवीन्द्र नाथ ठाकुर के जीवन के सम्बध में फिल्म तैयार करने के बारे में और क्या प्रगति हुई है ?

†**सूचना और प्रसारण मंत्री (डा० केसकर)** : फिल्म का शूटिंग किया जा रहा है।

**राज सहायता प्राप्त औद्योगिक गृह-निर्माण योजना**

†१७१४. **श्री एन्थनी पिल्ले** : क्या **निर्माण, आवास और संभरण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) जब से राज सहायता प्राप्त औद्योगिक गृह-निर्माण योजना प्रारम्भ हुई है, प्रत्येक राज्य में (१) मालिकों (२) राज्य सरकारी और (३) श्रमिक गृह-निर्माण सहकारी समितियों द्वारा अभी तक कुल कितने मकान बनाये जा चुके हैं ; और

(ख) इस योजना के अधीन जिन वर्गों के लिये मंजूरी दी जा चुकी है, उनके अधीन और कितने मकान तैयार किये जायेंगे ?

†**निर्माण आवास और संभरण उपमंत्री (श्री अनिल कु० चन्दा)** : (क) और (ख). एक विवरण संलग्न है जिसमें अपेक्षित जानकारी दी गई है। **[देखिये परिशिष्ट ३, अनुबन्ध संख्या ३७]**

---

†मूल अंग्रेजी में

**द्वितीय पंचवर्षीय योजना**

†१७१५. **श्री वी० चं० शर्मा :** क्या **योजना** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) द्वितीय पंच वर्षीय योजना के तीसरे और चौथे वर्षों के लिये पंजाब राज्य के लिये कितनी राशि आवंटित की गई थी ;

(ख) इस अवधि में वस्तुतः कितनी राशि खर्च की गई थी ;

(ग) उक्त अवधि में सभी शीर्षों के अधीन कितने प्रतिशत लक्ष्य पूरे किये गये थे ?

(घ) क्या केन्द्रीय सहायता के रूप में दी जाने वाली राशि को चौथे वर्ष में कम कर दिया गया था ;

(ङ) यदि हां, तो कितनी कम की गई थी ; और

(च) उसके क्या कारण हैं ?

†**योजना उपमंत्री (श्री श्या० नं० मिश्र ) :** (क) से (ग). राज्य सरकार से जानकारी एकत्रित की जा रही है ।

(घ) जी, नहीं ।

(ङ) और (च). प्रश्न उत्पन्न नहीं होते ।

**मिट्टी के बर्तन बनाने का उद्योग**

†१७१६. **श्री रामी रेड्डी** : क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आन्ध्र प्रदेश के गुडूर की मिट्टी के बर्तन बनाने की सरकारी फैक्टरी का विस्तार करने का कोई विचार है ;

(ख ) विस्तार के बाद फैक्टरी की क्षमता कितनी बढ़ जायेगी ;

(ग) विस्तार कार्य पर लगभग कितना खर्च होगा ;

(घ) यह योजना कब तक पूरी हो जायेगी और उसके अनुसार कार्य कब चालू हो जायेगा ; और

(ङ) यह विस्तार कार्य किन किन वस्तुओं के निर्माण के लिये किया जा रहा है ?

†**उद्योग मंत्री (श्री मनुभाई शाह)** : (क) गुडूर की वर्तमान सरकारी फैक्टरी में पर्याप्त विस्तार करने के सम्बन्ध में आन्ध्र प्रदेश सरकार से उद्योग (विकास तथा विनियमन) अधिनियम, १९५१ के अधीन अनुमति के लिये कोई आवेदन पत्र प्राप्त नहीं हुआ है ।

(ख) से (ङ). प्रश्न उत्पन्न नहीं होते ।

**इस्पात के ढांचों का निर्माण**

†१७१७. **श्री रामी रेड्डी** : क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आन्ध्र प्रदेश में हैदराबाद में इस्पात के ढांचों के निर्माण के लिये एक फैक्टरी के निर्माण के सम्बन्ध में कोई योजना है ;

(ख) उस कारखाने की कितनी क्षमता होगी और उस पर कितनी लागत आयेगी ; और

(ग) उस सम्बन्ध में अन्य प्रमुख ब्योरे क्या हैं ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†**उद्योग मंत्री (श्री मनुभाई शाह)** : (क) जी नहीं ।

(ख) और (ग) प्रश्न उत्पन्न नहीं होते ।

**सरकारी प्रेसों में कर्मचारी**

†१७१८. **श्री तंगामणि** : क्या **निर्माण, आवास और संभरण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि भारत सरकार की प्रत्येक प्रेस में प्रत्येक वर्ग के अनुसार केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग के कितने कर्मचारी काम कर रहे हैं ?

†**निर्माण, आवास और संभरण मंत्री (श्री क० च० रेड्डी)** : जानकारी एकत्रित की जा रही है और सभा-पटल पर रख दी जायेगी ।

**केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग का पालम का बिजलीघर**

†१७१९. **श्री तंगामणि** : क्या **निर्माण, आवास और संभरण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग के पालम के बिजलीघर में प्रत्येक वर्ग के कितने कर्मचारी काम कर रहे हैं ?

†**निर्माण, आवास और संभरण मंत्री (श्री क० च० रेड्डी)** : जानकारी निम्नलिखित है :—

| क्रम संख्या | वर्ग | कर्मचारियों की संख्या |
|---|---|---|
| १ | इंजन ड्राइवर | ३ |
| २ | खलासी | ५ |
| ३ | स्विच बोर्ड एटेंडेंट | २ |

इसके अतिरिक्त बिजली घर में एक फिटर और एक हेड मेकैनिक अंशकालिक कर्मचारियों के रूप में लगे हुये हैं ।

**मोटर गाड़ियों का निर्माण**

†१७२०. **श्री वी० चं० शर्मा** : क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि १९६० के उत्तरार्ध में अभी तक कितनी मोटर कारों, जीपों और ट्रकों का निर्माण किया गया है ?

†**उद्योग मंत्री (श्री मनुभाई शाह)** : जुलाई से नवम्बर, १९६० तक के पांच महीनों में कारों, जीपों और अन्य ट्रक गाड़ियों के निर्माण के सम्बन्ध में ब्योरा निम्नलिखित है :—

| | |
|---|---|
| कारें . . . . . | ७९८१ |
| जीपें . | २६६९ |
| व्यापारिक ट्रक आदि | ११४२२ |
| कुल | २२०७२ |

†मूल अंग्रेजी में

## पश्चिमी बंगाल के विस्थापित व्यक्तियों को अकर्म वेतन[1]

†१७२१. **श्री दी० चं० शर्मा** : क्या **पुनर्वास तथा अल्पसंख्यक-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि १९६० में कितने मामलों में पश्चिमी बंगाल के विस्थापित व्यक्तियों को अकर्म वेतनों का दिया जाना बंद कर दिया गया ?

†**पुनर्वास तथा अल्पसंख्यक-कार्य उपमंत्री (श्री पू० शे० नास्कर)** : अगस्त, १९६० के अन्त तक ३९४७ । उसके बाद के सम्बन्ध में जानकारी अभी उपलब्ध नहीं है ।

## रेडियो सेटों का निर्माण

†१७२२. **श्री दी० चं० शर्मा** : क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारत में रेडियो सेट तैयार करने वाले कितने सार्थ हैं ;

(ख) इन द्वारा इस समय कितने सेट तैयार किये जा रहे हैं और भविष्य में निर्माण सम्बन्धी उनके क्या लक्ष्य हैं ; और

(ग) इन सार्थों की पूंजी में भारतीय और विदेशी पूंजी का कितना कितना अंश है ?

†**उद्योग मंत्री (श्री मनुभाई शाह)** : (क) और (ख). रेडियो सेट तैयार करने वाले सार्थों के सम्बन्ध में विकास विंग की सूची में २० नाम दर्ज हैं । इन केन्द्रों द्वारा फिलहाल लगभग २,७५,०००रेडियो सेट प्रतिवर्ष तैयार किये जा रहे हैं । इसके अतिरिक्त लघु उद्योग क्षेत्र में १५० से अधिक यूनिट हैं जो कि रेडियो सेट तैयार कर रहे हैं, परन्तु उनके सम्बन्ध में निश्चित संख्या का पता नहीं लग रहा है और न ही उनके ब्योरे उपलब्ध हैं ।

१९६०–६१ के लिये निर्माण के सम्बन्ध में ३००,००० रेडियो सेटों का लक्ष्य निर्धारित किया गया है और १९६५–६६ के लिये लगभग १० लाख सेटों के निर्माण का लक्ष्य निर्धारित किया गया है ।

(ग) बड़े पैमाने की २० फर्मों में से ६ फर्मों में विदेशी पूंजी का भी अंश है । उनके सम्बन्ध में ब्यौरा निम्नलिखित है :—

| क्रम संख्या | फर्म का नाम | सहयोग देने वाले विदेश का नाम | प्रतिशत विदेशी पूंजी | प्रतिशत भारतीय पूंजी |
|---|---|---|---|---|
| १ | मेसर्स फिलिप्स इंडिया लिमिटेड, कलकत्ता | हालैण्ड | ८० | २० |
| २ | मेसर्स जनरल इलैक्ट्रिक कम्पनी आफ इंडिया प्राईवेट लिमिटेड, कलकत्ता | ब्रिटेन | १०० | — |
| ३ | मेसर्स ग्रोमोफोन कम्पनी लिमिटेड, कलकत्ता | ब्रिटेन | १०० | — |
| ४ | मेसर्स मर्फी रेडियो आफ़ इंडिया, बम्बई | ब्रिटेन | ४९ | ५१ |
| ५ | मेसर्स मूलचन्दानी इलैक्ट्रिकल एण्ड रेडियो इंडस्ट्रीज़ लिमिटेड, बम्बई । | ब्रिटेन | ४९ | ५१ |
| ६ | मेसर्स नेशनल ईको रेडियो एण्ड इंजीनियरिंग को०, लिमिटेड, बम्बई । | ब्रिटेन | २० | ८० |

†मूल अंग्रेजी में

[1] Doles.

**पंजाब में श्रम विवाद**

†१७२३. **श्री दी० चं० शर्मा** : क्या **श्रम और रोजगार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) १९६० में पंजाब राज्य में अभी तक कितने श्रम विवाद उत्पन्न हुए हैं ; और

(ख) उनमें से कितनों को निपटा लिया गया है ?

†**श्रम उपमंत्री (श्री आबिद अली)** : (क) और (ख). यह विषय राज्य क्षेत्र के अंतर्गत आता है। फिर भी 'इंडियन लेबर जर्नल्स' में प्रकाशित जानकारी के अनुसार सितम्बर, १९६० तक वहां १२ विवाद उत्पन्न हुए थे जिसके परिणामस्वरूप लगभग १० मजदूरों ने काम बन्द कर दिया था। इस सम्बन्ध में और कोई जानकारी उपलब्ध नहीं है।

**चकरौता की विमान दुर्घटना के पीड़ितों को प्रतिकर**

१७२४. **श्री भक्त दर्शन** : क्या **प्रधान मंत्री** ३१ अगस्त, १९६० के तारांकित प्रश्न संख्या ९४४ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि चकरौता के निकट हुई विमान दुर्घटना में मृत तथा घायल व्यक्तियों के परिवारों को क्षतिपूर्त्ति के रूप में कितनी राशि दी गई ?

**प्रधान मंत्री तथा वैदेशिक-कार्य मंत्री (श्री जवाहरलाल नेहरू)** : मृत तथा घायल व्यक्तियों के परिवारों को अभी तक कोई हरजाना नहीं दिया गया है। विमान के मालिक एयर कैरियर सर्विस कार्पोरेशन ने सारे यात्रियों अथवा उनके वैध प्रतिनिधियों के साथ, यदि कुछ हरजाने के दावे हैं तो उनके विषय में पक्षपातरहित बातचीत तथा छानबीन करने के लिए बम्बई के कानूनी सलाहकार और लेख्य प्रमाणिक (सालिस्टरज़ एण्ड नौटरीज़) "सर्वश्री मुल्ला एण्ड मुल्ला एण्ड करेगी बलन्ट एण्ड करो" को अपने अधिकार दिये हैं। उसी प्रकार उन व्यक्तियों को, जिन का संबंध प्रमाणु शक्ति विभाग से है, बता दिया गया है कि वह उक्त कानूनी सलाहकार से इस विषय में बात-चीत करें।

**औद्योगिक विवाद अधिनियम, १९४७ में संशोधन**

†१७२५. **श्री राम कृष्ण गुप्त** :<br>**श्री अमजद अली** :<br>**श्री एन्थनी पिल्ले** :

क्या **श्रम और रोजगार** मंत्री ७ सितम्बर, १९६० के अतारांकित प्रश्न संख्या २२७२ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि औद्योगिक विवाद अधिनियम, १९४७ में संशोधन करने सम्बन्धी सुझाव की इस समय क्या स्थिति है ?

†**श्रम उपमंत्री (श्री आबिद अली)** : औद्योगिक विवाद अधिनियम, १९४७ के प्रस्तावित संशोधनों पर अभी विचार किया जा रहा है।

**कर्मचारी राज्य बीमा योजना**

†१७२६. **श्री राम कृष्ण गुप्त** : क्या **श्रम और रोजगार** मंत्री १८ अगस्त, १९६० के अतारांकित प्रश्न संख्या ९३८ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने कर्मचारी राज्य बीमा योजना के अधीन संविहित दर को बढ़ाने के सम्बन्ध में इस बीच कोई अन्तिम निर्णय कर लिया है ; और

---

†मूल अंग्रेजी में

(ख) यदि हां, तो क्या निर्णय किया गया है ?

†**श्रम और रोजगार तथा योजना उपमंत्री (श्री ल० ना० मिश्र)** : (क) जी, नहीं ।

(ख) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता ।

**कानपुर में कर्मचारी राज्य बीमा अस्पताल**

†**१७२७. श्री स० मो० बनर्जी** : क्या श्रम और रोजगार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कानपुर में कर्मचारी राज्य बीमा अस्पताल १९६० के अन्त तक पूरा हो जायेगा ;

(ख) यदि नहीं तो कब तक पूरा होने की आशा है ; और

(ग) इस पर कुल कितनी राशि खर्च होगी ?

†**श्रम और रोजगार तथा योजना उपमंत्री (श्री ल० ना० मिश्र)** : (क) जी, नहीं ।

(ख) आशा है कि निर्माण कार्य मार्च, १९६१ तक पूरा हो जायेगा ।

(ग) निर्माण कार्य तथा उपकरणों पर लगभग ३३ लाख रुपये ।

**उत्तर प्रदेश के पहाड़ी जिलों के लिए विकास कार्यक्रम**

**१७२८. श्री भक्त दर्शन** : क्या योजना मंत्री ७ सितम्बर, १९६० के तारांकित प्रश्न संख्या ११६४ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वित्तीय वर्ष १९५९–६० में उत्तर प्रदेश के विभिन्न पिछड़े हुए क्षेत्रों के विशेष विकास कार्यक्रम के लिए सहायता के रूप में मंजूर की गई कुल राशि में से प्रत्येक क्षेत्र पर वस्तुतः कितना खर्च किया गया ;

(ख) चालू वित्तीय वर्ष अर्थात् १९६०–६१ के लिए उत्तर प्रदेश के प्रत्येक पिछड़े हुए क्षेत्र के विशेष विकास के लिए कितनी कितनी राशि मंजर की गई ; और

(ग) उनका पूर्ण उपयोग करने के लिए क्या कार्यवाही की जा रही है ?

**योजना उपमंत्री (श्री श्या० नं० मिश्र)** : (क) और (ख). एक विवरण सभा पटल पर रखा गया है ।

विवरण

| | क्षेत्र | १९५९–६० वास्तविक व्यय | (रुपये लाखों में) १९६०–६१ मंजर धन- राशि |
|---|---|---|---|
| १. | पहाड़ी जिले . . . . . | ३०.९२ | ८७.९८ |
| २. | पूर्वी जिले . . . . | ३७.०३ | ११९.१७ |
| ३. | बुन्देलखंड . . | १०.०२ | ४९.०० |
| ४. | मिर्ज़ापुर . . . . | ०.९३ | ८.५० |
| ५. | पश्चिमी जिलों की नालियों की स्कीम . | २२.४६ | ३७.९० |
| | | १०१.३६ | ३०२.५५ |

†मूल अंग्रेजी में

(ग) राज्य सरकार ने कार्यक्रमों को चलाने तथा मंजूर की गई धन राशि को उपयोग में लाने का आवश्यक इन्तजाम कर लिया है ।

**श्री जे० ई० डा० फोनेस्का को दिया गया मकान**

**१७२९. श्री भक्त दर्शन :** क्या **निर्माण, आवास और संभरण** मंत्री १२ अगस्त, १९६० के तारांकित प्रश्न संख्या ३५० के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि नई दिल्ली में **श्री जे० ई० डा० फोनेस्का** को दिये गये मकान को खरीदने के सम्बन्ध में अब तक क्या प्रगति हुई है ?

**निर्माण, आवास और संभरण मंत्री (श्री क० च० रेड्डी) :** इस बीच सरकार ने इस मकान को खरीद लिया है ।

**उर्वरक के कारखाने**

†१७३०. **श्री राजेन्द्र सिंह :**
**श्री दी० चं० शर्मा :**

क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि १ अक्तूबर, १९६० से देश के विभिन्न उर्वरक के कारखानों को चलाने और उनकी व्यवस्था करने के लिये एक निगम स्थापित किया गया है ;

(ख) यदि हां, तो उस निगम के कार्य, स्वरूप और पदाधिकारियों आदि का ब्योरा क्या है और निगम को किस सीमा तक शक्ति प्रत्यायोजित की जायेगी ; और

(ग) निगम की स्थापना के सम्बन्ध में अभी तक कितनी प्रगति हुई है ?

†**वाणिज्य तथा उद्योग उपमंत्री (श्री सतीश चन्द्र) :** (क) से (ग). मेसर्स सिन्दरी फर्टिलाइज़र्स एण्ड केमिकल्स लिमिटेड और मेसर्स हिन्दुस्तान कैमिकल्स एण्ड फर्टिलाइज़र्स लिमिटेड को मिला कर एक उर्वरक निगम स्थापित करने का निर्णय किया गया है । २६ नवम्बर, १९६० को भारत के गज़ट में समवाय अधिनियम, १९५६ (१९५६ का १) की धारा ३९६ के अधीन यह घोषित कर दिया गया है कि १ जनवरी, १९६१ से यह निगम अपना कार्य प्रारम्भ कर देगा । उस आदेश में निगम के सम्बन्ध में सभी ब्योरे सम्मिलित हैं । निगम के पदाधिकारियों आदि की नियुक्ति निगम द्वारा अपनी शक्ति के अधीन की जायेगी । जिन मामलों में यह शक्ति निगम को प्राप्त नहीं होगी उनमें ये नियुक्तियां भारत सरकार द्वारा की जायेंगी ।

**रेलवे सामान का निर्यात**

†१७३१. **श्री सुबोध हंसदा :**
**श्री रा० च० माझी :**

क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कोई ऐसा संगठन या अभिकरण है जिसके द्वारा रेलवे सामान का निर्यात किया जाता है ;

(ख) यदि नहीं, तो इस समय किस के द्वारा निर्यात कार्य किया जाता है ; और

(ग) १९६० में रेलवे सामान के निर्यात से अभी तक कुल कितनी विदेशी मुद्रा प्राप्त हुई है ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†**वाणिज्य तथा उद्योग उपमंत्री (श्री सतीश चन्द्र)**: (क) और (ख). गैर-सरकारी फैक्टरियों द्वारा तैयार किया जाने वाला सामान उन फर्मों द्वारा स्वयं निर्यात किया जाता है। रेलवे बोर्ड के अधीन कारखानों द्वारा तैयार किया जाने वाला सामान राज्य व्यापार निगम द्वारा भेजा जाता है।

(ग) जनवरी से सितम्बर, १९६० तक १,८३,००० रुपयों की विदेशी मुद्रा प्राप्त हुई।

**कच्ची फिल्मों का कारखाना**

†१७३२. **श्री नंजप्पा :**
**श्री प्र० के० देव :**
**श्री दलजीत सिंह :**
**श्रीमती पार्वती कृष्णन :**
**श्री तंगामणि :**

**क्या वाणिज्य तथा उद्योग** मन्त्री १८ अगस्त, १९६० के अतारांकित प्रश्न संख्या ९४७ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) ऊटकामण्ड में कच्ची फिल्मों के कारखाने की स्थापना के सम्बन्ध में अभी तक क्या प्रगति हुई है ;

(ख) क्या उसके लिये स्थान के बारे में निर्णय कर लिया गया है; और

(ग) निर्माण और उत्पादन कार्य कब से प्रारम्भ होगा ?

†**उद्योग मंत्री (श्री मनुभाई शाह)**: (क) से (ग). फ्रांसीसी फर्म द्वारा संभरित की गयी फिल्मों पर सितम्बर में तजरबे किये गये थे और वे तजरबे सफल सिद्ध हुए थे। १७ अक्तूबर, १९६० को संविदा प्रारम्भ हो गया था। परियोजा की कार्यान्विति के लिये ३० नवम्बर, १९६० को एक सरकारी कम्पनी को पंजीबद्ध किया गया था और स्थान को हमवार करने और संचार सम्बन्धी सुविधाओं के विकास के बारे में प्रारम्भिक कार्य प्रारम्भ कर दिया गया है। इस निर्माण कार्य को शीघ्रातिशीघ्र प्रारम्भ करने का विचार है और आशा है कि १९६२ के अन्त तक कारखाने में उत्पादन कार्य प्रारम्भ हो जायेगा।

**केन्द्रीय रेशम कृमि पालन अनुसंधान केन्द्र, बरहामपुर**

†१७३३. **श्री स० चं० सामन्त :**
**श्री सुबोध हंसदा :**

**क्या वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री २२ अगस्त, १९६० के अतारांकित प्रश्न संख्या १२१९ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) बरहामपुर में केन्द्रीय रेशम कृमि पालन अनुसन्धान केन्द्र के विस्तार कार्य में कितनी प्रगति हुई है ;

(ख) विस्तार के बाद कौन-कौन से नये कार्य प्रारम्भ किये गये हैं और क्या कर्मचारियों की संख्या में भी पर्याप्त वृद्धि की जायेगी ;

(ग) केन्द्रीय संस्था और प्रादेशिक संस्थाओं में यथासम्भव अधिक से अधिक समन्वय कैसे रखा जा सकेगा; और

---

†मूल अंग्रेजी में

(घ) विस्तार के बाद वार्षिक व्यय में कितनी वृद्धि होगी ?

[1]**उद्योग मंत्री (श्री मनुभाई शाह)** : (क) (१) बरहामपुर में इमारत के निर्माण के लिये अक्तूबर, १९६० में खर्च राशि मंजूर कर दी गयी थी और केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग ने अन्तिम रूप से प्राक्कलन भी तैयार कर लिये हैं ।

(२) पश्चिमी बंगाल सरकार के द्वारा कालिम्पोंग में भूमि और इमारतों के अर्जन का कार्य किया जा रहा है ।

(३) केवल सीमित संख्या में ही अतिरिक्त कर्मचारी भर्ती किये गये हैं; और

(४) अनुसन्धान केन्द्र के लिये सामान और उपकरणों की मांग के सम्बन्ध में केन्द्रीय रेशम बोर्ड द्वारा अनुसन्धान समन्वय समिति द्वारा विचार किया जा रहा है ।

(ख) विस्तार योजना के अधीन शहतूत की बढ़िया किस्मों का निर्धारण करने के लिये प्रयोग किये जायेंगे, शहतूत के बागों के लिये खाद और उर्वरक के उपयुक्त मिश्रण, शहतूत के सन्तोषजनक विकास के लिये भूमि की अवस्था और रेशम कृमि सम्बन्धी बीमारियों की रोक थाम के सम्बन्ध में प्रयोग किये जायेंगे और रेशम कृमि पालकों को बांटने के लिये अधिक रेशम पैदा करने वाले रेशम के कीड़ों का उत्पादन किया जायेगा ।

इस केन्द्र के लिये २९ अतिरिक्त प्रविधिक स्थान (टैक्निकल पोस्ट्स) मंजूर कर दिये गये हैं। इन स्थानों के लिये भर्ती का कार्य धीरे धीरे अनुसन्धान केन्द्र के विस्तार कार्यक्रम के अनुसार ही किया जायेगा ।

(ग) केन्द्रीय रेशम बोर्ड के स्थान पर केन्द्रीय अनुसन्धान समन्वय समिति द्वारा केन्द्रीय तथा प्रादेशिक केन्द्रों के कार्यक्रम में समन्वय उत्पन्न किया जायेगा ।

(घ) वर्तमान अनुमान के अनुसार वार्षिक आवर्तक व्यय में लगभग ३० प्रतिशत की वृद्धि होगी ।

## गोआ

**१७३४. श्री पद्म देव :** क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गोआ में भारतीय पेंशन पाने वालों (भारतीय नागरिकों) को आजकल कैसे और कहां से पेंशन मिलती है; और

(ख) क्या यह सच है कि इन व्यक्तियों को पेंशन प्राप्त करने में बड़ी कठिनाई होती है ?

**प्रधान मंत्री तथा वैदेशिक-कार्य मंत्री (श्री जवाहरलाल नेहरू)** : (क) गोआ में भारत सरकार के पेंशनरों में कोई भारतीय राष्ट्रिक नहीं है । वे सभी गोआनी हैं और वे या तो केन्द्रीय सरकार के या राज्य सरकारों अथवा भारत में अर्द्ध-सरकारी संगठनों के मुलाज़िम रहे हैं । उन्हें बाको नेशनल अल्ट्रामारिनो, मारगोआ (गोआ) के सहयोग से गोआ स्थित भारत सरकार के पेंशन कार्यालय के द्वारा अदायगी की जाती है ।

(ख) भारत सरकार का ध्यान किसी कठिनाई की ओर नहीं आकर्षित किया गया है ।

---

[1]मूल अंग्रेज़ी में

## प्रधान मंत्री का राष्ट्रीय सहायता कोष

**१७३५. श्री पद्म देव** : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) १ जनवरी १९६० से ३१ अक्तूबर १९६० तक प्रधान मन्त्री के राष्ट्रीय सहायता कोष में कितना धन एकत्रित हुआ ;

(ख) यह धन कहां-कहां इकट्ठा किया गया; और

(ग) उपरोक्त अवधि में किन-किन सहायता कार्यों के लिये कितना-कितना धन दिया गया ?

**प्रधान मंत्री तथा वैदेशिक-कार्य मंत्री (श्री जवाहरलाल नेहरू)** : (क) १ जनवरी १९६० से ३१ अक्तूबर १९६० तक प्रधान मन्त्री के राष्ट्रीय सहायता कोष में ४,११,१६५ रुपये ६० नये पैसे प्राप्त हुए ।

(ख) ये चंदे भारत तथा बाहर के देशों के कुछ व्यक्तियों तथा संस्थाओं ने अपनी इच्छा से भेजे ।

(ग) उपरोक्त अरसे में ६,२८,५९७ रुपये ५४ नये पैसे की रकम इस कोष में से दी गई । उन व्यक्तियों तथा संस्थाओं के नाम जिन को कि धन दिया गया, और जिस मकसद के लिये धन दिया गया, का विवरण साथ जुड़ी हुई फहरिस्त में दर्ज है । **[देखिये परिशिष्ट ३, अनुबन्ध संख्या ३८]**

## राजामुन्दरी में कागज़ के कारखाने

†**१७३६. श्री रामी रेड्डी** : क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री १८ अगस्त, १९६० के तारांकित प्रश्न संख्या ५२४ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आन्ध्र प्रदेश सरकार ने राजामुन्दरी के कागज़ के कारखाने के लिये ५० टन की क्षमता वाले एक संयंत्र की खरीद के सम्बन्ध में इस बीच कोई प्रबन्ध कर लिया है ; और

(ख) उसे लगाने के सम्बन्ध में अभी तक कितनी प्रगति हुई है ?

†**उद्योग मंत्री (श्री मनुभाई शाह)** : (क) आन्ध्र प्रदेश सरकार ने कागज़ के संयंत्र तथा मशीनरी के लिये एक फ्रांसीसी फर्म के साथ करार कर लिया है ।

(ख) विदेशी संभरणकर्त्ता जून १९६१ से मशीनरी भेजना प्रारम्भ करेंगे ।

## फासफोरस का कारखाना

†**१७३७. श्री कोडियान** : क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या तृतीय पंचवर्षीय योजना में देश में फासफोरस का एक कारखाना स्थापित करने का कोई विचार है ;

(ख) यदि हां, तो उस योजना की मुख्य बातें क्या हैं; और

(ग) उसमें उत्पादन कार्य कब से प्रारम्भ हो जायेगा ?

†**उद्योग मंत्री (श्री मनुभाई शाह)** : (क) से (ग). फिलहाल राष्ट्रीय औद्योगिक विकास निगम द्वारा देश में फासफोरस के कारखाने की स्थापना के सम्बन्ध में प्रारम्भिक जांच कार्य किये जा रहे हैं ।

---

†मूल अंग्रेजी में

**कल्याणखानी (आन्ध्र प्रदेश) में प्रादेशिक अस्पताल**

†१७३८. **श्री त० ब० विट्ठलराव**: क्या **श्रम और रोजगार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कोयला खान कल्याण संगठन द्वारा सिंगरेनी कोयला खान (आन्ध्र प्रदेश) के कल्याणखानी क्षेत्र में आन्ध्र प्रदेश का एक प्रादेशिक अस्पताल बनाने के सम्बन्ध में कोई निर्णय कर लिया गया है ;

(ख) यदि हां, तो उस पर लगभग कुल कितना खर्च आयेगा ; और

(ग) निर्माण कार्य कब से आरम्भ किया जायेगा ?

†**श्रम और रोजगार तथा योजना उपमंत्री (श्री ल० ना० मिश्र)**: (क) आन्ध्र प्रदेश की सिंगरेनी कोलियरीज़ कम्पनी की तइंर कोयला खान में ३० पलंगों वाले एक प्रादेशिक अस्पताल के निर्माण को सिद्धान्त रूप में स्वीकार कर लिया गया है। इस अस्पताल के स्थान के सम्बन्ध में अभी तक निर्णय नहीं किया गया है, परन्तु यह अस्पताल कल्याणखानी क्षेत्र की मांग को भी पूरा करेगा।

(ख) लगभग ७,८४,८०० रुपये

(ग) विस्तृत योजनायें और प्राक्कलन तैयार किये जा रहे हैं।

**टायर और ट्यूब बनाने वाले कारखाने**

†१७३९. **श्री वारियर** : क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि इस वर्ष मोटर गाड़ियों के टायर और ट्यूब बनाने वाले कितने नये यूनिटों को लाइसेंस दिये गये हैं, वे यूनिट कहां कहां स्थापित किये जायेंगे और उनके अन्य ब्यौरे क्या हैं ?

†**उद्योग मंत्री (श्री मनुभाई शाह)** : एक विवरण संलग्न है।

विवरण

१९६० में निम्नलिखित चार यूनिटों को लाइसेंस दिये गये थे :—

| संख्या | उपक्रम का नाम | स्थान | वार्षिक क्षमता |
|---|---|---|---|
| १. | मेसर्स जेनरल टायर्ज़ लिमिटेड, कलकत्ता (नई योजना) | कलकत्ता | (१) यात्रीकार टायर— प्रति वर्ष ६०,००० टायर<br>(२) यात्रीकार ट्यूब— प्रति वर्ष ६०,००० ट्यब<br>(३) बड़ी गाड़ियों के टायर— प्रति वर्ष १२०,००० टायर<br>(४) बड़ी गाड़ियों के ट्यूब— प्रति वर्ष १२०,००० ट्यब |
| २. | मेसस डनलप रबड़ कम्पनी, (इंडिया) लिमिटिड, कलकत्ता (विस्तार योजना) | अम्बटूर (मद्रास राज्य) | (१) बड़ी गाड़ियों के— ५४,००० कवर प्रति वर्ष<br>(२) साइकल कवर— ९,९६,००० कवर प्रति वर्ष |

†मूल अंग्रेजी में

| | | | |
|---|---|---|---|
| ३. | मेसर्स डनलप रबड़ कम्पनी (इंडिया) लिमिटिड कलकत्ता | साहगंज, (विस्तार योजना) हुगली जिला, (पश्चिमी बंगाल) | (१) मोटर और बड़ी गाड़ियों के— ४९,२०० कवर प्रति वर्ष<br>(२) मोटर और बड़ी गाड़ियों के— १,३५,६०० ट्यूब प्रति वर्ष<br>(३) पंखे और वी बेल्ट्— २,४०,००० प्रति वर्ष |
| ४ | मेसर्स मद्रास रबड़ फैक्टरी, मद्रास (नया कारखाना) | तिरुवोयीयूर (मद्रास) | (१) मोटर गाड़ियों के टायर— ३,००,००० टायर प्रति वर्ष<br>(२) मोटर गाड़ियों के टयूब— ३,००,००० ट्यूब प्रति वर्ष |

**संसद्-भवन में मरम्मत**

†१७४०. **श्री अ० मु० तारिक** : क्या **निर्माण, आवास और संभरण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) ११वें सत्र की समाप्ति और १२वें सत्र के प्रारम्भ होने के बीच की अवधि में संसद्-भवन के मरम्मत और नवीकरण कार्यों पर कितनी राशि खर्च की गयी थी ; और

(ख) उक्त अवधि में संसद्-भवन के लॉनों के विकास पर कितनी राशि खर्च की गयी थी ?

†**निर्माण, आवास और संभरण मंत्री (श्री क० च० रेड्डी)** : (क) ४,२३६ रुपये ।

(ख) सामान्य संधारण व्यय के अतिरिक्त और कुछ भी खर्च नहीं किया गया है ।

**केन्द्रीय भेषज पुनर्नियंत्रण संस्था**

†१७४१. **श्री राम कृष्ण गुप्त :**
**श्री पांगरकर :**
**श्री दी० चं० शर्मा :**

क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री ४ अगस्त, १९६० के अतारांकित प्रश्न संख्या २६३ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि एक केन्द्रीय भेषज पुनर्नियन्त्रण संस्था की स्थापना की योजना की इस समय क्या स्थिति है ?

†**उद्योग मंत्री (श्री मनुभाई शाह)** : मामला अभी विचाराधीन है ।

**किताबों के लिये अखबारी कागज**

†१७४२. **श्री राम कृष्ण गुप्त** : क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या किताबें छपवाने वालों को अखबारी कागज के आयात के लिये वास्तविक उपभोक्ता लाइसेंस देने की प्रक्रिया का पुनरीक्षण कर लिया गया है ; और

---

†मूल अंग्रेजी में

(ख) यदि हां, तो नयी प्रक्रिया का ब्यौरा क्या है ?

†**वाणिज्य मंत्री (श्री कानूनगो)** : (क) जी, हां ।

(ख) नयी प्रक्रिया का कोटा सार्वजनिक सूचना संख्या १२८-आइ० टी० टी० (पी० एन०)/६०, दिनांक २१ अक्तूबर, १९६० में प्रकाशित किया गया है, जिसकी एक प्रति यहां संलग्न है । **[देखिये परिशिष्ट ३, अनुबन्ध संख्या ३९]**

**हथकरघे का कपड़ा**

†**१७४३. श्री रघुनाथ सिंह** : क्या **वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि सरकार या हथकरघा बोर्ड द्वारा हथकरघों के कपड़े को 'सेनफोराइज़' करने के सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की जा रही है ताकि कपड़ा धुलने के बाद सुकड़े नहीं ?

†**वाणिज्य मंत्री (श्री कानूनगो)** : इस सम्बन्ध में केवल हथकरघा के कपड़ों के लिये एक कारखाना स्थापित करने की संभावनाओं पर विचार किया जा रहा है ।

**बाट और माप**

†**१७४४. श्री कालिका सिंह** : क्या **वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि ब्रिटेन में भी अब दशमिक सिक्के और बाटों तथा मापों के प्रमाप (स्टैण्डर्ड) अपनाये जा रहे हैं और उसके लिये नियुक्त समिति ने शीघ्र ही इस प्रकार का परिवर्तन कर देने के पक्ष में सिफारिश की है ;

(ख) यदि हां, तो उससे ब्रिटेन तथा अन्य राष्ट्रमंडल के देशों से व्यापार के क्षेत्र में भारत को कितना लाभ होगा ;

(ग) क्या ब्रिटेन में भी नयी भारतीय पद्धति के समान ही सिक्के, बाट और माप अपनाये जा रहे हैं और यदि नहीं, तो उनकी पद्धति हमारी पद्धति से किन दृष्टियों में पृथक होगी ; और

(घ) अन्य किन-किन देशों में इसी प्रकार की कार्यवाही की जा रही है ?

†**वाणिज्य तथा उद्योग उपमंत्री (श्री सतीश चन्द्र)** : (क) और (ग). ब्रिटिश वैज्ञानिक प्रगति सन्था तथा ब्रिटिश वाणिज्य मण्डल द्वारा मुद्रा, बाट और मापों के प्रश्न पर विचार करने के लिये नियुक्त की गयी समिति ने अपनी रिपोर्ट पेश कर दी है। उस समिति ने सिक्कों के दशमिकन का समर्थन किया है और पौंड को एक इकाई के रूप में स्वीकार किया है। समिति ने बाटों और मापों के सम्बन्ध में मीट्रिक प्रणाली का सुझाव नहीं दिया है। फिर भी उसने यह सुझाव दिया है कि बाटों और मापों के सम्बन्ध में विश्व की स्थिति पर नजर रखी जाये और विशेषतया जापान तथा भारत और एशिया तथा अफ्रीका के अर्ध-विकसित देशों के रुख को सदा ध्यान में रखा जाये। ब्रिटिश सरकार ने इस सम्बन्ध में अभी तक कोई निर्णय नहीं किया है।

(ख) फिलहाल प्रश्न उत्पन्न नहीं होता ।

(घ) दक्षिणी अफ्रीका ने हाल ही में दशमिक मुद्रा प्रणाली को अपनाने का निर्णय किया है। इसी प्रकार से यह भी ज्ञात हुआ है कि पाकिस्तान ने भी दशमिक मुद्रा प्रणाली और मीट्रिक माप और बाट अपनाने का निर्णय कर लिया है ।

---

†मूल अंग्रेजी में

**जनता होटल, दिल्ली**

†१७४५. **श्री बी० चं० शर्मा :**
**श्री विश्वनाथ रेड्डी :**
**श्री राधा रमण :**
**श्री मे० क० कुमारन :**
**श्री सूर्य प्रसाद :**

क्या **निर्माण, आवास और संभरण** मंत्री ३० अगस्त, १९६० के तारांकित प्रश्न संख्या ९०१ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दिल्ली में जनता होटल के निर्माण के बारे में क्या प्रगति हुई है ; और

(ख) क्या और किसी बड़े शहर के लिये भी ऐसे होटलों का विचार है ?

†**निर्माण, आवास और संभरण मंत्री (श्री क० च० रेड्डी)** : (क) इस सभा में ८ दिसम्बर, १९६० को श्री राधा रमण द्वारा पूछे गये अतारांकित प्रश्न संख्या १५४३ के उत्तर की ओर ध्यान दिलाया जाता है ।

(ख) सरकार दूसरे बड़े शहरों में होटल बनाने का विचार नहीं रखती ।

**कृषि-उत्पादों का किस्म-अंकन[1]**

†१७४६. **श्री आचार** : क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या निर्यात के लिये इस समय कुछ कृषि उत्पादों का किस्म-अंकन किया जाता है ;

(ख) यदि हां, तो किन उत्पादों का ; और

(ग) क्या खाने वाले तेल, घी आदि का विश्लेषण करने के लिये प्रयोगशालाएं स्थापित करने का विचार है ?

†**वाणिज्य तथा उद्योग उपमंत्री (श्री सतीशचन्द्र)** : (क) जी, हां ।

(ख) सन, तम्बाकू, ऊन, कड़े बाल, अगिया घास तेल और चन्दन का तेल ।

(ग) ऐसा विचार है कि राज्य सरकार तीसरी पंचवर्षीय योजना में घी और तेल के ग्रेड बनाने वाली ५० प्रयोगशालाएं स्थापित करेगी ।

**वेस्टर्न कोर्ट होस्टल, नई दिल्ली**

१७४७. **श्री खुशवक्त राय** : क्या **निर्माण, आवास और संभरण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वेस्टर्न कोर्ट होस्टल, नई दिल्ली में कौन-कौन व्यक्ति ठहर सकते हैं ;

(ख) इस के क्या नियम हैं ; और

(ग) श्री दिवाकर पी० पटेल को किस हैसियत से और किस के परिचयपत्र या सिफारिश पर वहां ठहने की अनुमति दी गई थी ?

---

†मूल अंग्रेजी में

[1] Quality Marking of Agricultural Products.

**निर्माण, आवास और संभरण मंत्री (श्री क० च० रेड्डी)** : (क) :

(१) संसद् सदस्य ।

(२) संसद् सदस्यों के अतिथि ।

(३) सरकारी अफसर (राज्य/केन्द्रीय सरकार) ।

(४) प्रत्यायित (सेक्रैडिटिड) संवाददाता ।

(५) मान्यताप्राप्त कलाकार और लेखक ।

(६) कोई अन्य व्यक्ति, जिसे सरकार के विचार से सरकारी होस्टल में ठहराया जा सकता हो ; उदाहरण के लिये सरकारी विभागों की जिम्मेदारी पर आने वाले दर्शक/विद्वान ।

(ख) वैस्टर्न कोर्ट होस्टल में निवास स्थान संसद् सदस्यों को उनकी अपनी और उनके अतिथियों की आवश्यकताओं के बारे में संसद् सदस्यों की ओर से और अन्य लोगों के बारे में सम्बन्धित व्यक्ति से या उसकी ओर से किसी सरकारी विभाग से लिखित अनुरोध के आधार पर दिया जाता है । आपातिक (इमर्जेंट) मामलों में टेलीफोन पर किये गये अनुरोधों पर भी स्थान दे दिया जाता है ।

(ग) श्री दिवाकर पी० पटेल ने वैस्टर्न कोर्ट होस्टल में अपने आप को श्री एच० एस० रानाडे, अपर डिपुटी कमिश्नर, नागपुर बता कर स्थान प्राप्त किया था ।

**दिल्ली में कोयला व्यापारियों को आवंटन**

†**१७४८. श्रीमती सुचेता कृपालानी** : क्या **पुनर्वास तथा अल्पसंख्यक-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दिल्ली और नई दिल्ली में अनधिकृत स्थानों पर बैठे कोयला व्यापारियों की संख्या कितनी है, जो वैकल्पिक आवंटन के लिये अर्ह हैं और जिन्हें ३१ अक्तूबर, १९६० तक कोई आवंटन नहीं किया गया ;

(ख) इन लोगों की वैकल्पिक स्थान के लिये अर्हता किन आधारों पर निर्धारित की गई है ;

(ग) जो मामले अर्हता समिति के सामने निलंबित रह गये थे और जिन का फैसला नहीं किया जा सका था, क्या उन मामलों पर वैकल्पिक आवंटन के लिये विचार किया जायगा ; और

(घ) इन लोगों को वैकल्पिक आवंटन करने के लिये क्या नीति और प्रक्रिया निर्धारित की गई है ?

†**पुनर्वास उपमंत्री (श्री पू० शे० नास्कर)** : (क) ८ ।

(ख) अर्ह होने के लिये निम्न शर्तों को पूरा करना होता है :

(१) कि वह पश्चिम पाकिस्तान का वास्तविक विस्थापित व्यक्ति था

(२) कि वह १९५३ में किये गये सर्वेक्षण में सम्मिलित किया गया था और वह ५ अगस्त, १९५० से सरकारी भूमि या सार्वजनिक स्थान पर लगातार ईंधन का व्यापार कर रहा है और

---

†मूल अंग्रेजी में

(३) उसे दिल्ली में या देश के दूसरे स्थान में कोई दूसरा व्यापार स्थान आवंटित नहीं किया गया है ।

(ग) जी, नहीं ।

(घ) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता ।

**लोकोपयोगी सेवाएं**

†**१७४९. श्री तंगामणि** : क्या **श्रम और रोजगार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) केन्द्रीय सरकार और मद्रास सरकार ने किन-किन उद्योगों को लोकोपयोगी सेवायें घोषित किया है ?

†**श्रम उपमंत्री (श्री आबिद अली)** : औद्योगिक विवाद अधिनियम की धारा २(ढ)(६) के अन्तर्गत केन्द्रीय 'क्षेत्र' में किसी उद्योग को लोकोपयोगी सेवा घोषित नहीं किया गया है । उपलब्ध जानकारी से पता चलता है कि मद्रास सरकार ने निम्न उद्योगों को पिछले १२ महीनों में लोकोपयोगी सेवायें घोषित किया है :

सूती वस्त्र, सीमेंट, चीनी, मोटर परिवहन सेवायें, विमान परिवहन सेवायें और छोटी पत्तनों पर श्रमिक ।

**पश्चिम जर्मनी को इंजीनियरी माल का निर्यात**

†**१७५०. श्री रघुनाथ सिंह** : क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या भारत सरकार ने भारतीय छोटे इंजीनियरी माल पर अत्यधिक आयात शुल्क लगाने के लिये पश्चिम जर्मनी सरकार से विरोध प्रदर्शित किया है ?

†**वाणिज्य तथा उद्योग उपमंत्री (श्री सतीश चन्द्र)** : छोटे इंजीनियरी सामान पर पश्चिमी जर्मनी ने हाल में आयात शुल्क नहीं बढ़ाया है इसलिये भारत सरकार के लिये इस मामले में विरोध करने का कोई अवसर नहीं आया । तथापि समाचार मिले हैं कि एक शासकीय समिति ने अन्य बातों के साथ साथ यह सिफारिश की है कि सिलाई की मशीनों के हैडों पर, जिन की जर्मनी में पहुंचने की लागत, सीधी सिलाई करने वाली मशीनों के मामलों में १०० डी० एम० या कम होती है और टेढ़े मेढ़े सिलाई करने वाली मशीनों के मामले में २०० डी० एम० या कम होती है, विशेष आयात शुल्क लगाया जाय । तथ्यों के बारे में पता किया जा रहा है ।

**आवास योजनायें**

**१७५१. श्री प्रकाशवीर शास्त्री** : क्या **निर्माण आवास और संभरण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उनके मंत्रालय द्वारा स्वीकार की गई सभी आवास योजनाओं का हिन्दी में अनुवाद किया जा चुका है ;

(ख) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ;

(ग) क्या मकान बनाने के लिये ऋण प्राप्त करने के हेतु भरे जाने वाले फार्म हिन्दी में भी उपलब्ध हैं;

---

†मूल अंग्रेजी में

(घ) यदि नहीं, तो इन फार्मों को हिन्दी में छापने के लिये क्या प्रबन्ध किया जा रहा है ; और

(ङ) ये सम्भवत: कब तक हिन्दी में उपलब्ध हो जायेंगे ?

**निर्माण, आवास और संभरण उपमंत्री (श्री अनिल कु० चंदा)** : (क) अभी नहीं ।

(ख) भारत सरकार की सब पुस्तिकाओं (मैनुअल) तथा क्रियाविधि सम्बन्धी साहित्य का अनुवाद शिक्षा मंत्रालय द्वारा किया जायेगा । वह मंत्रालय केन्द्रीय हिन्दी निदेशालय में इस कार्य के लिये एक अनुवाद एकाश (यूनिट) बना रहा है ।

(ग) से (ङ). इस मंत्रालय की आवास योजनायें अलग-अलग राज्य सरकारों की मार्फत क्रियान्वित की जा रही हैं और सीधे इस मंत्रालय द्वारा नहीं। आवेदन के फार्म स्वयं उन राज्य सरकारों द्वारा ही नियत किये जाते हैं ।

## मुद्रणालय के कर्मचारियों के सेवा नियम

**१७५२. श्री प्रकाशवीर शास्त्री** : क्या **निर्माण, आवास और संभरण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत सरकार के मुद्रणालयों के कर्मचारियों पर लागू होने वाले सेवा सम्बन्धी नियमों का हिन्दी में अनुवाद कर लिया गया है ;

(ख) यदि नहीं, तो क्या इस के लिये कोई योजना तैयार की गई है ; और

(ग) इस के कब तक कार्यान्वित किये जाने की संभावना है ?

**निर्माण, आवास और संभरण उपमंत्री (श्री अनिल कु० चन्दा)** : (क) भारत सरकार के मुद्रणालयों के कर्मचारियों पर लागू होने वाले सेवा सम्बन्धी नियमों का अभी तक हिन्दी में अनुवाद नहीं हुआ है ।

(ख) इस काम के लिये किये जाने वाले प्रबन्ध की रूपरेखा राज्य भाषा के बारे में अप्रैल १९६० में जारी किये गये राष्ट्रपति के निदेश में दी गई है।

(ग) इस समय ठीक ठीक कोई ऐसी तिथि सूचित कर पाना सम्भव नहीं है, जिस तक भारत सरकार के कर्मचारियों पर लागू होने वाले सेवा सम्बन्धी नियमों का हिन्दी में अनुवाद कराया जा सकेगा ।

## टायर और ट्यूब

†**१७५३. श्रीमती मफीदा अहमद** : क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि १९५९-६० में देश में राजकीय व्यापार निगम के द्वारा टायरों और ट्यूबों के लिये कितनी फर्मों को आयात लाइसेंस दिये गये हैं ?

†**वाणिज्य मंत्री (श्री कानूनगो)** : टायरों और ट्यूबों के लिये आयात लाइसेंस राजकीय व्यापार निगम के नाम में दिये जाते हैं तथा प्राधिकार पत्र विदेशी संभरण कर्ताओं के भारतीय अभिकर्ताओं के नाम में जारी किये जाते हैं। अभी तक ऐसे प्राधिकार पत्र केवल ३ फर्मों के नाम में जारी किये गये हैं ।

---

†मूल अंग्रेजी में

**राजघाट पर क्वार्टर**

†**१७५४. श्री तंगामणि :** क्या **निर्माण, आवास और संभरण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि राजघाट समाधि क्वार्टरों में रहने वाले सी० पी० डब्ल्यू० डी० के कर्मचारियों से किराया लिया जाता है ;

(ख) क्या यह सच है कि दिल्ली नगरपालिका निगम तथा राजघाट समाधि समिति के कर्मचारियों से, जो इन क्वार्टरों में रहते हैं, कोई किराया नहीं लिया जाता ; और

(ग) यदि हां, तो सी० पी० डब्ल्यू० डी० के कर्मचारियों के प्रति भेदभाव करने का क्या कारण है ?

†**निर्माण, आवास और संभरण मंत्री (श्री क० च० रेड्डी):** (क) से (ग). राजघाट समाधि क्वार्टर राजघाट समाधि समिति तथा सी० पी० डब्ल्यू० डी० के कुछ कर्मचारियों को आवंटित किये गये हैं। समिति के एक निर्णय के अनुसार, इन क्वार्टरों में रहने वालों से किराया नहीं लिया जायेगा। इसलिये समिति अपने कर्मचारियों से किराया नहीं लेती। परन्तु सी० पी० डब्ल्यू० डी० अपने कर्मचारियों के वेतन से, जो अस्थायी तौर पर राजघाट समाधि समिति के पास काम कर रहे हैं, सरकारी कर्मचारियों पर सामान्यतया लागू होने वाले नियमों के अन्तर्गत, जितना सरकारी क्वार्टर के लिये किराया होना चाहिये, उतनी कटौती कर लेता है। पूरे मामले पर पुनर्विचार किया जा रहा है।

**राजघाट पर क्वार्टर**

†**१७५५. श्री तंगामणि :** क्या **निर्माण, आवास और संभरण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि राजघाट समाधि क्वार्टरों में सी० पी० डब्ल्यू० डी० के जो कर्मचारी रहते हैं उनसे जल संभरण के लिये नियमित रूप से शुल्क लिया जाता है ;

(ख) क्या यह सच है कि दिल्ली नगरपालिका निगम तथा राजघाट समाधि समिति के कर्मचारियों को १९६० से पहिले के लिये कोई शुल्क नहीं देना पड़ता था ;

(ग) क्या १९५४ और १९५५ की अवधि के लिये सी० पी० डब्ल्यू० डी० के कर्मचारियों से जल संभरण के लिये कुछ और शुल्क लिया जा रहा है ; और

(घ) यदि हां, तो इसका क्या कारण है ?

†**निर्माण, आवास और संभरण मंत्री (श्री क० च० रेड्डी) :**(क) से (घ). राजघाट के क्वार्टरों में सी० पी० डब्ल्यू० डी० तथा राजघाट समाधि समिति के ही कर्मचारी रहते हैं और नगर निगम का कोई कर्मचारी उन में नहीं। इन सब क्वाटरों में रहने वाले जल संभरण का शुल्क देते हैं। समिति के कर्मचारियों को नवम्बर १९५७ से पहले जल संभरण का शुल्क नहीं देना पड़ता था। तथापि सी० पी० डब्ल्यू० डी० के कर्मचारियों से १९५४ और १९५५ की अवधि के लिये इन शुल्कों की वसूली हो रही है। सी० पी० डब्ल्यू० डी० के कर्मचारियों से, जो अस्थायी तौर पर राजघाट समाधि समिति में काम कर रहे हैं, यह जो वसूली की जा रही है, वह सरकारी कर्मचारियों पर साधारणतया लागू होने वाले नियमों के अन्तर्गत की जा रही है। पूरे मामले पर पुनर्विचार किया जा रहा है।

---

†मूल अंग्रेजी में

**प्रबन्ध में श्रमिकों द्वारा भाग लिया जाना**

†१७५६. **श्री तंगामणि :** क्या **श्रम और रोजगार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पन्द्रहवें भारतीय श्रम सम्मेलन के निर्णय के अनुसार स्थापित की गई इकाइयों में प्रबन्ध में श्रमिकों के भाग लेने की व्यवस्था के कार्य-संचालन के बारे में प्रतिवेदन पेश किया जायेगा ;

(ख) इस आधार पर कितनी इकाइयां अच्छी तरह चली हैं ;

(ग) क्या सरकार ने भारतीय श्रम सम्मेलन के सुझाव के अनुसार इसे ५१ इकाइयों में लागू किया है ;

(घ) यदि नहीं, तो इस समय कितनी इकाइयों में यह लागू है ; और

(ङ) शेष इकाइयां इस व्यवस्था के अन्तर्गत कब आ जायेंगी ?

†**श्रम और रोजगार तथा योजना उपमंत्री (श्री ल० ना० मिश्र):** (क) संयुक्त प्रबन्ध परिषदों के कार्य-संचालन का पुनर्विचार त्रिवर्षीय गोष्ठियों में किया जाता है ।

(ख) १९ ।

(ग) और (घ). अभी तक योजना २३ इकाइयों में जारी की गई है ।

(ङ) योजना स्वेच्छिक है। जितनी अधिक इकाइयों में संभव हो सकेगा, इस योजना को जारी करने के लिये आवश्यक कार्रवाई की जा रही है ।

**नारियल जटा उद्योग का सर्वेक्षण**

†१७५७. **श्री सुब्बया अम्बलम् :**
**श्री चिन्तामणि पाणिग्रही :**

क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री ४ अगस्त १९६० के अतारांकित प्रश्न संख्या २६९ के उत्तर के बारे में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या जटा बोर्ड द्वारा किये गये जटा उद्योग का आर्थिक एवं सांख्यिकी सर्वेक्षण पूरा हो चुका है और प्रतिवेदन प्रस्तुत कर दिया गया है ; और

(ख) यदि हां, तो क्या प्रतिवेदन की प्रति सभा पटल पर रखी जायेगी ?

†**उद्योग मंत्री (श्री मनुभाई शाह):** (क) केरल राज्य और मद्रास के कन्याकुमारी जिले में सर्वेक्षण सम्बन्धी क्षेत्र कार्य पूरा हो चुका है और सर्वेक्षण के दौरान जो सांख्यिकी एकत्र की गई थी जटा बोर्ड उस का अध्ययन कर रहा है । १९६१ के मध्य तक प्रतिवेदन तैयार हो जाने की आशा है। शेष नारियल उत्पादक राज्यों में, जुलाई १९६१ से आरम्भ होने वाले १७वें राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण के साथ अब सर्वेक्षण करने का विचार है ।

(ख) इस समय प्रश्न उत्पन्न नहीं होता ।

**केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग**

†१७५८. **श्री तंगामणि :** क्या **निर्माण, आवास और संभरण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग के कर्मकारों की सेवाओं की शर्तों में परिवर्तन की कोई सूचना पंजीबद्ध कर्मचारी संघ को दी गई है, जैसाकि औद्योगिक विवाद (केन्द्रीय) नियमों, १९५७ के नियम ३४ तथा औद्योगिक विवाद अधिनियम के नियम ९क के अन्तर्गत जरूरी है ; और

---

†मूल अंग्रेजी में

(ख) यदि नहीं, तो इस का क्या कारण है ?

†**निर्माण, आवास और संभरण मंत्री (श्री क० च० रेड्डी)**: (क) और (ख). मूलभूत नियमों और असैनिक सेनाविनियमों के कुछ उपबन्ध, केन्द्रीय असैनिक सेवायें (आचार) नियम, १९५५ और केन्द्रीय असैनिक सेवायें (वेतन संशोधन) नियम, १९६०, केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग के कर्म-भारित कमचारियों पर लागू होते हैं। उपरोक्त उपबन्धों के अधीन, जहां संबंधित कर्मकर मूलभूत तथा अनुपूरक नियमों आदि से विनियमित होते हैं, वहां किसी सूचना देने की आवश्यकता नहीं है ।

## हथकरघा बुनकर

†१७५९. **श्री तंगामणि** : क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या २० नवम्बर, १९६० को दिल्ली में आयोजित अखिल भारतीय हथकरघा बुनकरों की सहकारी संस्थाओं के सम्मेलन ने निर्यात संवर्धन एवं हथकरघा उद्योग के रक्षण के बारे में सुझाव दिये हैं ; और

(ख) यदि हां, तो क्या सुझाव मिले हैं और सरकार की प्रतिक्रिया क्या है ?

†**वाणिज्य मंत्री (श्री कानूनगो)** : (क ) और (ख). विवरण सम्बद्ध है ।

विवरण

२० नवम्बर, १९६० को दिल्ली में एक अखिल भारतीय हथकरघा सम्मेलन हुआ था, और उस में बहुत से सुझाव दिये गये थे । मुख्य सुझाव नीचे दिये जाते हैं :—

(१) हथकरघा उद्योग के लिये संविहित आयोग की स्थापना ;

(२) तीसरी योजना अवधि में हथकरघा उद्योग के विकास के लिये आवंटन बढ़ाना ;

(३) और विद्युत् चालित करघे लगाने को रोकना, वर्तमान विद्युत् चालित करघों को मिलों के बराबर रखना और सब अनधिकृत विद्युत् चालित करघों को बन्द करना ।

(४) साड़ियों और धोतियों का पूरा उत्पादन हथकरघा उद्योग के लिये रक्षित रखना ।

(५) तीसरी योजना अवधि में हथकरघा कपड़े के उत्पादन का लक्ष्य बढ़ाना ;

(६) 'ब्लीडिंग मद्रास' का जमा स्टाक भारत सरकार खरीदे ।

(७) सरकार हथकरघा उद्योग के लिये सस्ते दामों पर और पर्याप्त मात्रा में कच्चा माल उपलब्ध करने के लिये प्रयत्न करे ।

(८) सहकारिता क्षेत्र से बाहर वाले बुनकरों को भी सरकार वित्तीय तथा दूसरी सहायता प्रदान करे ।

(९) हथकरघा निर्यातों को बढ़ाने के लिये कुछ सुझाव सरकार को दिये गये हैं ।

(१०) सहकारी कताई मिलों के लिये तकवों का आवंटन किया जाना चाहिये ।

बहुत से सुझाव पहले से ही सरकार के विचाराधीन थे । सहकारी कताई मिलों वाली सुझाव संख्या १० सरकार को स्वीकार है और यह इस की वर्तमान नीति का अंग है। खेद है कि १, ३, ४ और ५ नम्बर के सुझाव स्वीकार नहीं किये जा सकते । अन्य सुझाव अभी विचाराधीन हैं ।

---

†मूल अंग्रेजी में

**पंजाब में अर्ध-विकसित क्षेत्रों के लिये समिति**

†१७६०. **श्री रामकृष्ण गुप्त :** क्या **योजना** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को पंजाब के अर्द्ध-विकसित क्षत्रों के लिये एक सलाहकार समिति की स्थापना के बारे में कोई प्रस्ताव मिला है ; और

(ख) यदि हां, तो इस बारे में क्या निर्णय किया गया है ?

†**योजना उपमंत्री (श्री श्या० नं ० मिश्र) :** (क) जी, नहीं ।

(ख) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता ।

**अशोधित पेनिसिलीन का आयात**

†१७६१. **डा० सुशीला नायर :** क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) हिन्दुस्तान एंटी बॉयोटिक्स लिमिटेड ने १९५७-५८, १९५८-५९ और १९५९-६० में फर्स्ट क्रिस्टल (क्रूड) पेनिसिलिन का कितना आयात किया है और प्रतिवर्ष प्रति मेगा यूनिट का क्या मूल्य दिया है ;

(ख) इस आयात की गई पेनिसिलिन में से कितनी प्रपुंज में बेची गई और शोधने के पश्चात् वायलों में तैयार माल के तौर पर कितनी बेची गई तथा उपरोक्त प्रति वर्ष में प्रति मेगा यनिट क्या मूल्य लिया गया तथा इस से कितना लाभ हुआ ;

(ग) उपरोक्त अवधि में संयंत्र द्वारा उबाल कर वास्तव में तैयार की गई पैनिसिलिन के प्रति मेगा यूनिट की उत्पादन लागत क्या थी ;

(घ) यह पेनिसिलिन प्रपुंज में प्रति मेगा यूनिट और वायलों में किस भाव पर बेची गई तथा प्रति वर्ष इस से कितना लाभ हुआ ;

(ङ) १९५७-५८, १९५८-५९ तथा १९५९-६० में आयात किये गये स्ट्रैप्टोमाइसिन की मात्रा तथा प्रति ग्राम दाम क्या थे, और यह किस मूल्य पर प्रपुंज में प्रति ग्राम और या बायलों में बेची गई ;

(च) प्रति वर्ष आयातित स्ट्रैप्टोमाइसिन के विक्रय से कुल कितना लाभ हुआ ; और

(छ) प्रति वर्ष हिन्दुस्तान एंटी बायोटिक्स को कुल कितना लाभ हुआ ?

†**उद्योग मंत्री (श्री मनुभाई शाह) :** (क) से (छ). एक विवरण संलग्न है । **[देखिये परिशिष्ट ३, अनुबन्ध संख्या ४०]।**

**अशोक होटल**

†१७६२. **श्री अन्सार हरवानी :**
**श्री रामकृष्ण गुप्त :**
**श्री प्रकाशवीर शास्त्री :**
**श्री राधेलाल व्यास :**

क्या **निर्माण, आवास और संभरण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि अशोक होटल के वर्तमान जनरल मैनेजर, होटल प्रबन्ध का अध्ययन करने के लिये यूरपीय देशों में गये थे ; और

---

†मूल अंग्रेजी में

(ख) यदि हां, तो क्या उन्हों ने अशोक होटल के बोर्ड आफ डायरेक्टर को कोई प्रतिवेदन दिया है ?

†**निर्माण, आवास और संभरण उपमंत्री (श्री अनिल कु० चन्दा)** : (क) अशोक होटल का जनरल मैनेजर यूरोप, अमरीका, कनाडा और मिश्र में वहां के 'लक्ज़री' होटलों में उपलब्ध सुविधाओं और अवस्थाओं को देखने तथा उन देशों में अन्तर्राष्ट्रीय दृष्टि से प्रसिद्ध यात्रा अभिकर्ताओं विमान कम्पनियों आदि के साथ संबंध स्थापित करने के लिये गया था।

(ख) जी, हां।

## प्रलेखीय चलचित्र

**१७६३. श्री जगदीश अवस्थी** : क्या **सूचना और प्रसारण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार द्वारा और ठेके पर तैयार किये जाने वाले प्रलेखीय चल-चित्रों की लागत में कोई अन्तर है ;

(ख) यदि हां, तो इस अन्तर के क्या कारण हैं;

(ग) चल चित्रों को तैयार करने की लागत में प्रति फुट क्या अन्तर है; और

(घ) १९५९ में सरकार द्वारा और ठेके पर तैयार किये गये चल-चित्रों की संख्या अलग-अलग क्या है ?

**सूचना और प्रसारण मंत्री (डा० केसकर)**: (क) से (घ). १९५९ में फिल्म डिवीजन ने ७६ फिल्में आप तैयार की और १९ फिल्में ठेके पर तैयार कराईं। फिल्म डिवीजन डाक्यूमेंटरी फिल्में तैयार करने के लिये उत्तरदायी है, चाहे उन्हें वह आप तैयार करे चाहे वे ठेके पर तैयार कराई जायें। हर हलत में फिल्म डिवीज़न तैयारी की भिन्न अवस्थाओं को अग्रसर करने के लिये उत्तरदायी है, जैसे कि रूपरेखा (सिनोप्सिस) प्रस्तुत करना, स्क्रिप्ट की जांच करना, और मन्त्रालय या अन्य सम्बन्धित सलाहकार से परामर्श करना। ठेके पर काम कराने के लिये फिल्म डिवीज़न मान्यता प्राप्त निर्माताओं से, जिनकी एक सूची बनी हुई है, टेण्डर मांगता है, आम तौर पर कम से कम टेण्डर वाले को चुनता है, और उससे करार करता है। इस क़रार की पूर्ति के लिये भी फिल्म डिवीजन उत्तरदायी है। इस प्रकार फिल्म डिवीज़न को दोनों हालतों में, अर्थात् चाहे वह आप फिल्म तैयार करे चाहे ठेके पर तैयार कराए, कार्य करना पड़ता है, और ठेके पर तैयार हुई फिल्मों पर भी अपना ऊपरी खर्च करना पड़ता है। क्योंकि ठेकेदार निर्माता, आम तौर पर छोटे संगठन से ही काम चला लेते हैं और ठेका लेने के लिये कम से कम रेट देते हैं, इसलिये उनके तैयार किये फिल्मों की लागत का फिल्म डिवीज़न की आप तयार की गई फ़िल्मों की लागत से मुकाबला करना ठीक न होगा। फिर भी मोटे तौर पर, यह कहा जा सकता है कि आप तैयार की गई और ठेकेदारों द्वारा तैयार की गई फ़िल्मों की लागत में लगभग २ रुपये प्रति फुट का अन्तर है। उसका कारण यह है कि फिल्म डिवीजन को संस्थागत व्यय भी करना पड़ता है।

## चाय का निर्यात

†**१७६४. श्री प्र० चं० बरुआ** : क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान भारतीय वाणिज्य तथा उद्योग व्यापार मण्डलों के फैडरेशन के महासचिव के वक्तव्य की ओर दिलाया गया था कि चाय भारत के निर्यात आन्दोलन में अत्यधिक उपेक्षित वस्तु है;

---

†मूल अंग्रेजी में

(ख) इटली में चाय का निर्यात बढ़ाने के लिये क्या कार्रवाई की जा रही है, वहां चाय पीने की आदत अधिकाधिक लोकप्रिय हो रही है; और

(ग) पश्चिमी जर्मनी, स्वीडन, और स्विटजरलैण्ड में, जो भारतीय चाय के लिये संभाव्य बाजार हैं, भारतीय चाय को लोकप्रिय बनाने के लिये क्या कार्रवाई की जा रही है ?

†**वाणिज्य तथा उद्योग उपमंत्री (श्री सतीश चन्द्र)** : (क) जी, हां।

(ख) चाय बोड, जो विदेशों में भारतीय चाय के निर्यात को बढ़ाने के लिये जिम्मेवार है, इटली में व्यापार मेलों में भाग ले रहा है। बोर्ड चुने हुए आयातकों की सहायता से भारतीय चाय बाहर भेजने का प्रयत्न कर रहा है।

(ग) पश्चिम जर्मनी में चाय संवर्धन का प्रयास भारत, लंका और स्थानीय चाय व्यापार के द्वारा पश्चिम जर्मन चाय निगम के द्वारा संयुक्त रूप से किया जा रहा है। बोर्ड ने फैसला किया है कि औद्योगिक कैंटीनों आदि के द्वारा भारतीय चाय को लोकप्रिय बनाने के लिये फ्रैंक फर्ट में एक चाय संविधान पदाधिकारी नियुक्त करे। बोर्ड स्वीडन में एक भारतीय वितरक की सहायता से एक वाणिज्यिक किसम की चाय भेजने में सफल रहा है जो भारत में बिकती है। बोर्ड ने लन्दन में एक चाय सलाहकार नियुक्त किया है जो स्वीडन में भी भारतीय चाय के हितों की देखभाल करेगा।

स्विटरजलैंड में बोर्ड ने औद्योगिक कैंटीनों में भारतीय चाय चलाई है, तथा एयर इंडिया इंण्टर-नेशनल के सहयोग से एक प्रसिद्ध विभागीय स्टोर के द्वारा 'भारत सप्ताह' समारोह मनाया है। स्विट-जरलैंड में चाय स्थिति का हाल में किये गये बाजार सर्वेक्षण में यह बताया गया है कि स्विटरज़रलैण्ड के उपभोक्ता दार्जिलिंग चाय को अधिक पसन्द करते हैं और बोर्ड इसका उत्पादन बढ़ाने के लिये उपाय कर रहा है।

**'इंस्टेंट' चाय[1]**

†**१७६५. श्री प्र० चं० बरुआ** : क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार 'इन्स्टेंट' चाय के तरीकों का अनुसन्धान करना चाहती है जैसा कि यूरो-पीय देशों में किया जाता है; और

(ख) क्या 'इन्स्टेंट' चाय से भारतीय चाय का निर्यात बढ़ने की सम्भावना है ?

†**वाणिज्य तथा उद्योग उपमंत्री (श्री सतीश चन्द्र)** : (क) और (ख). 'इन्स्टेंट' चाय तैयार करने से सम्बन्धित अनुसन्धान यूनिवर्सिटी विज्ञान और प्रौद्योगिकीय कालेज कलकत्ता, में, चाय बोर्ड द्वारा चलाई गई एक योजना के अन्तर्गत किया जा रहा है। 'इन्स्टेंट' चाय से अंशतः हमारा निर्यात बढ़ने की आशा है यदि हमारी चाय इस के लिये उपयुक्त सिद्ध हुई।

**पूंछ क्षेत्र में पाकिस्तानियों द्वारा मारे गये भारतीय**

†**१७६६. श्री रघुनाथ सिंह** : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या यह सच है कि २२ नवम्बर, १९६० को पाकिस्तानी आक्रमणकारियों द्वारा पूंछ क्षेत्र में दो भारतीयों के मारे जाने की सूचना मिली है ?

†**प्रधान मंत्री तथा वैदेशिक-कार्य मंत्री (श्री जवाहर लाल नेहरू)** : २१ नवम्बर, १९६० को, २२ नवम्बर को नहीं, लगभग ८ बजे रात्रि को पूंछ के उत्तर पूर्व रेंज से लगभग ४ मील दूर और युद्ध

---

†मूल अंग्रेजी में

[1]Instant tea

विराम रेखा की हमारी तरफ कालाज के दो नागरिक कुछ पहचाने गये बदमाशों द्वारा मारे गये, जिनके पास दो राइफलों और एक स्टैन मशीन कारबाइन थे। क्योंकि हमारे दस्तों को गांव वालों से सूचना देर में मिली, बदमाश भाग गये।

**तेलगू में महात्मागांधी एलबम**

†१७६७. **श्री इ० मधुसूदन राव** : क्या **सूचना और प्रसारण** मंत्री २५ अगस्त, १९६० के अतारांकित प्रश्न संख्या १४७० के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि तेलगू में महात्मा गांधी ऐलबम के प्रकाशन के बारे में तब से क्या प्रगति हुई है ?

†**सूचना और प्रसारण मंत्री (डा० केसकर)** : तेलगू में महात्मा गांधी एलबम अब प्रगति पर है और शीघ्र ही प्रकाशित की जाएगी।

**खान मार्केट, दिल्ली**

†१७६८. **श्री राम गरीब** : क्या **पुनर्वास तथा अल्पसंख्यक-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि खान मार्केट, नई दिल्ली में दुकानों के बहुत से अलाटियों ने अनधिकृत रूप से अधिक किराये पर जगह सब-लेट कर दी है;

(ख) क्या यह भी सच है कि दुकानों के बाहर बरांडे/वीथिकायें भी किराये पर चढ़ा दी गयी हैं; और

(ग) यदि हां, तो इस दुराचरण को रोकने के लिये सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

†**पुनर्वास उपमत्री (श्री पू० शे० नास्कर)**: (क) से (ग). खान मार्केट की दुकानों को क्षतिपूर्ति योजना के अधीन बेच दिया गया है। अब उनको किराये पर देने, सब-लेट करने और बिक्री से इस मन्त्रालय का कोई सम्बन्ध नहीं है।

जहां तक बरांडों/वीथिकाओं के गलत ढंग से इस्तैमाल का सम्बन्ध है, वह स्थानीय निकाय का मामला है।

**औद्यानिक कार्यों का केन्द्रीय लोक निमार्ण विभाग से दिल्ली नगर निगम को हस्तांतरण**

†१७६९. **श्री तंगामणि** : क्या **निर्माण, आवास और संभरण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कुछ औद्यानिक कार्यों को केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग से दिल्ली नगर निगम को हस्तान्तरित करने के बारे में फैसला कर लिया गया है ;

(ख) यदि हां, तो कार्यों के इस हस्तान्तरण से प्रभावित पदों की प्रत्येक श्रेणी के अनुसार ऐसे कार्यों और श्रमिकों की संख्या की क्या सूची है ;

(ग) क्या इन कार्यों में लगे श्रमिकों को छंटनी के नोटिस दे दिये गये हैं;

(घ) यदि हां, तो पदों की प्रत्येक श्रेणी में ऐसे कर्मचारियों की क्या संख्या है ;

(ङ) क्या इन कार्यों से कुछ श्रमिकों को उन कार्यों पर स्थानान्तरित किया गया है जिन्हें दिल्ली नगर निगम को हस्तान्तरित नहीं किया जा रहा है; और

---

†मूल अंग्रेजी में

(च) यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं ?

†**निर्माण, आवास और संभरण मंत्री (श्री क० च० रेड्डी)** :(क) जी, हां।

(ख) दो विवरण संलग्न हैं जिनमें अपेक्षित जानकारी दी हुई है । **[देखिये परिशिष्ट ३, अनुबन्ध संख्या ४१]**

(ग) जी, हां ।

**(घ)**

| क्रम संख्या | पद | श्रमिकों की संख्या |
|---|---|---|
| १. | असिस्टेंट चौधरी | २ |
| २. | माली . | १६९ |
| ३. | चौकीदार . | ४ |
| ४. | भंगी . | १ |
| ५. | भिश्ती . | ७ |
| ६. | झाड़ीवाला . | ३ |
| ७. | बैल वाला | ६ |
| ८. | मशीन वाला . . | १ |
| ९. | चौधरी . . . . . | १ |

(ङ) कार्यों को हस्तान्तरित करने की सहमति की तिथि के बाद किसी श्रमिक को स्थानान्तरित नहीं किया गया ।

(च) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता ।

**पंजाब हथकरघा श्रमिकों का आवास**

†**१७७०. श्री दलजीत सिंह** : क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) द्वितीय पंचवर्षीय योजना में पंजाब राज्य में हथकरघा बुनकरों के आवास के लिये कितनी रकम अलग रखी गयी है; और

(ख) अब तक कितनी रकम खर्च की गयी है ?

†**वाणिज्य मंत्री (श्री कानूनगो)** : (क) राज्य सरकार ने बताया है कि द्वितीय योजना-काल में हथकरघा बुनकरों के लिये मकान बनाने के लिये २,६७,००० रुपये की रकम अलग रखी गयी है।

(ख) वर्ष १९५८–५९ में ८१,६०० रुपये की रकम खर्च की जा चुकी है। चालू वित्तीय वर्ष में १,६३,८०० रुपये खर्च किये जाने की प्रस्थापना है ।

**अमृत सर में गन्दी बस्तियों को हटाना**

†**१७७१. श्री दलजीत सिंह** : क्या **निर्माण आवास और संभरण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अमृतसर में गन्दी बस्तियों को हटाने की योजना के लिये वर्ष १९६०–६१ के लिये पंजाब सरकार को आवंटित रकम दे दी गयी है; और

(ख) यदि हां, तो अब तक कितनी रकम दी गयी है ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†**निर्माण, आवास और संभरण उपमंत्री(श्री अनिल कु० चन्दा)**: (क) और (ख). वर्ष १९६०–६१ में पंजाब सरकार को राज्य में गन्दी बस्तियों को हटाने की योजना को क्रियान्वित करने के लिये केन्द्रीय सहायता के रूप में १०.६० लाख रुपये आवंटित किये गये हैं। इस आवंटन का तीन चौथाई भाग मार्गोपाय अन्तिम राशि के रूप में मासिक किश्तों पर दिया जाना है जिसका वित्तीय वर्ष के अन्त में समायोजन किया जायेगा। योजना के अधीन केन्द्रीय सरकार द्वारा उनको दी गयी निधि में से राज्य सरकार स्वयं शहर-वार शहरों में परियोजनाओं की स्वीकृति और परियोजनाओं पर व्यय को ध्यान में रखते हुए रकम का वितरण करती है।

## डिप्लोमेटिक एन्क्लेव, नई दिल्ली में मार्केट

†**१७७२. श्रीमती सुचेता कृपालानी** : क्या **निर्माण, आवास और संभरण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि डिप्लोमेटिक एन्क्लेव (नई दिल्ली) के निवासियों का जो शिष्टमण्डल उन्हें पिछले मई महीने मिला था, उसको उन्होंने आश्वासन दिया था कि इस वर्ष के अन्त तक मार्केट तैयार हो जायेगा; और

(ख) यदि हां, तो इस मामले में अब तक क्या प्रगति की गयी है ?

†**निर्माण, आवास और सम्भरण मंत्री (श्री क० च० रेड्डी)** : (क) २३ अप्रैल, १९६० को चाणक्यपुरी (डिप्लोमेटिक एन्क्लेव) के कुछ निवासी मेरे से मिले और उन्होंने मेरे से बस्ती में मार्केट सुविधा के लिये कहा। ऐसी सुविधाओं की व्यवस्था करना नगरपालिका का काम है परन्तु नई दिल्ली नगरपालिका और दिल्ली नगर निगम की वित्तीय कठिनाइयों को देखते हुए, सरकार ने इस बस्ती में और अन्य सरकारी बस्तियों में मार्केट बनाने का फैसला किया है जो कि केन्द्रों की निर्माण-लागत के भुगतान पर सम्बन्धित स्थानीय निकायों को हस्तान्तरित कर दिये जायेंगे। इस निर्णय के अनुरूप, प्रतिनिधि मण्डल को सूचित किया गया कि नक्शे तैयार किये जा रहे हैं। ऐसा कोई आश्वासन नहीं दिया गया कि इस तारीख तक मार्केट तैयार हो जायेगा।

(ख) केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग द्वारा तैयार किये गये नक्शों और प्राक्कलनों को नई दिल्ली नगरपालिका के परामर्श से अन्तिम रूप दिया जा रहा है।

---

## स्थगन प्रस्ताव के बारे में

†**राजा महेन्द्र प्रताप** (मथुरा) : मेरे स्थगन प्रस्ताव का क्या हुआ ?

†**अध्यक्ष महोदय** : माननीय सदस्य को सूचना मिल गई होगी कि मैंने उसे अस्वीकार कर दिया है।

---

†मूल अंग्रेजी में

# सभा पटल पर रखे गये पत्र

## दादरा और नागर हवेली के बारे में पुनरीक्षक पदाधिकारी का प्रतिवेदन

†**प्रधान मंत्री तथा वैदेशिक-कार्य मंत्री (श्री जवाहरलाल नेहरू)**: मैं दादरा और नागर हवेली के बारे में पुनरीक्षक पदाधिकारी के प्रतिवेदन की एक प्रति सभा पटल पर रखता हूं। **[पुस्तकालय में रखी गयी। देखिये संख्या, एल० टी०—२५२२/६०]**

## समवाय अधिनियम के अधीन अधिसूचनायें

†**वाणिज्य मंत्री (श्री कानूनगो)**: मैं समवाय अधिनियम, १९५६ की धारा ६३७ की उप-धारा (३) के अन्तर्गत दिनांक ३ दिसम्बर, १९६० को अधिसूचना संख्या जी० एस० आर० १४३५ की एक प्रति सभा पटल पर रखता हूं। **[पुस्तकालय में रखी गई। देखिये संख्या एल० टी०—२५२३—६०]**

## प्रशुल्क आयोग के प्रतिवेदन

†**उद्योग मंत्री (श्री भानुभाई शाह)**: मैं प्रशुल्क आयोग अधिनियम, १९५१ की धारा १६ की उप-धारा (२) के अन्तर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति सभा पटल पर रखता हूं :—

(एक) बाल बीयरिंग उद्योग का संरक्षण जारी रखने के बारे में प्रशुल्क आयोग का प्रतिवेदन (१९६०)।

(दो) दिनांक ८ दिसम्बर, १९६० का सरकारी संकल्प संख्या १८(६)-टी० आर०/६०।

(तीन) बिजली और डिस्ट्रिब्यूशन ट्रांसफार्मर उद्योग का संरक्षण जारी रखने के बारे में प्रशुल्क आयोग का प्रतिवेदन (१९६०)।

(चार) दिनांक ९ दिसम्बर, १९६० का सरकारी संकल्प संख्या ११(१)-टी० आर०/६०।

(पांच) ऊपर (तीन) और (चार) में उल्लिखित दस्तावेजों की एक-एक प्रति उक्त उप-धारा में निर्धारित अवधि के अन्दर सभा पटल पर क्यों नहीं रखी जा सकी इसके कारण बताने वाला एक वक्तव्य।

(छः) अल्यूमीनियम उद्योग का संरक्षण जारी रखने के बारे में प्रशुल्क आयोग का प्रतिवेदन (१९६०)।

(सात) दिनांक १० दिसम्बर, १९६० का सरकारी संकल्प संख्या ३(३)-टी० आर०/६०।

(आठ) बेअर कॉपर कंडक्टर, ए० सी० एस० आर० (अल्यूमीनियम कंडक्टर स्टील रीइन्फोर्स्ड) तथा ए० ए० सी० (आल अल्यूमीनियम कंडक्टर) तैयार करने वाले उद्योग का संरक्षण जारी रखने के बारे में प्रशुल्क आयोग का प्रतिवेदन (१९६०)।

(नौ) दिनांक १० दिसम्बर, १९६० का सरकारी संकल्प संख्या ३(१)-टी० आर०/६०।

---

†मूल अंग्रेजी में

[श्री मनुभाई शाह]

(दस) सूती वस्त्र मशीनरी (स्पिनिंग रिंग फ्रेम्स, स्पिडल्स, स्पिनिंग रिंग्स, फ्लूटेड रोलर्स और स्वचालित करघे) उद्योग का संरक्षण जारी रखने के बारे में प्रशुल्क आयोग का प्रतिवेदन (१९६०)।

(ग्यारह) दिनांक १० दिसम्बर, १९६० का सरकारी संकल्प संख्या १८(७)-टी० आर०/६०।

(बारह) बाइसिकल उद्योग का संरक्षण जारी रखने के बारे में प्रशुल्क आयोग का प्रतिवेदन (१९६०)।

(तेरह) दिनांक १० दिसम्बर, १९६० का सरकारी संकल्प संख्या ७(२)-टी० आर०/६०।

**[पुस्तकालय में रखी गई। देखिये क्रमशः एल०टी०—२५२४/६०, २५२५/६०, २५२६/६०, २५२७/६० २५२८/६० और २५२९/६०]**

†**श्री ब्रजराज सिंह** (फिरोजाबाद) : अभी सभा पटल पर रखे गये पत्रों की मद (५) के बारे में मैं यह जानना चाहता हूं कि सरकार इनको निश्चित समय पर सभा पटल पर क्यों नहीं रख सकी ?

†**श्री मनुभाई शाह** : विवरण में विलम्ब के कारण बताये गये हैं। कुछ मामलों में भारत सरकार के कहने पर प्रशुल्क आयोग और जांच करता है। हम सभा में इन विवरणों को पूरी जांच के बाद ही सभा पटल पर रख सकते हैं।

**कर्मचारी भविष्य निधि अधिनियम के अधीन अधिसूचनायें**

†**श्रम उपमंत्री (श्री आबिद अली)** : मैं निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति सभा पटल पर रखता हूं :—

(१) कर्मचारी भविष्य निधि अधिनियम, १९५२ की धारा १ की उप-धारा (३) के खंड (ख) के अन्तर्गत निकाली गई दिनांक २९ अक्तूबर, १९६० की जी० एस० आर० १२७४।

(२) कमचारी भविष्य निधि अधिनियम, १९५२ की धारा ४ की उप-धारा (२) के अन्तर्गत दिनांक ३ दिसम्बर, १९६० की जी० एस० आर० १४४३।

(३) कर्मचारी भविष्य निधि अधिनियम, १९५२ की धारा ७ की उप-धारा (२) के अन्तर्गत कर्मचारी भविष्य निधि योजना, १९५२ में कुछ और संशोधन करने वाली दिनांक ३ दिसम्बर, १९६० की जी० एस० आर० १४४४।

**[पुस्तकालय में रखी गई। देखिये संख्या क्रमशः एल० टी०—२५३०/६०, २५३१/६० और २५३२/६०]**

**बांट तथा माप के प्रमाप (प्रतिमान बाटों में परिवर्तन) नियम**

†**वाणिज्य तथा उद्योग उपमंत्री (श्री सतीश चन्द्र)** : मैं बाट तथा माप के प्रमाप अधिनियम, १९५६ की धारा १७ की उप-धारा (३) के अन्तर्गत दिनांक १९ नवम्बर, १९६० की अधिसूचना संख्या एस० ओ० २७६० में प्रकाशित बाट तथा माप के प्रमाप (प्रतिमान बाटों में परिवर्तन) नियम १९६० की एक प्रति सभा पटल पर रखता हूं। **[पुस्तकालय में रखी गई। देखिये संख्या एल० टी०—२५३३/६०]**

---

†मूल अंग्रेजी में

## राज्य-सभा से संदेश

†सचिव : श्रीमान्, मुझे सभा को यह बताना है कि मझे राज्य-सभा के सचिव से यह संदेश मिले हैं :—

(१) कि राज्य सभा ३० नवम्बर, १९६० की अपनी बैठक में लोक-सभा द्वारा २३ फरवरी, १९६० को दहेज निषेध विधेयक, १९५९ में किये गये निम्नलिखित संशोधनों से सहमत हो गई है :—

**संशोधन**

खण्ड १

(एक) कि पृष्ठ १, पंक्ति १ में
"1959" ["१९५९"] के स्थान पर "1960" ["१९६०"] अंक रखे जायें ।

(दो) कि पृष्ठ १, पंक्ति १ में
"Tenth year" ["दसवें वर्ष"] के स्थान पर "Eleventh year" ["ग्यारहवें वर्ष"] शब्द रखे जायें ।

राज्य सभा ने अपनी उसी बैठक में, राज्य-सभा द्वारा १६ दिसम्बर, १९५९ को दहेज निषेध विधेयक १९५९ में किये गये निम्नलिखित संशोधनों पर भी, जिन से लोक-सभा ने असहमति प्रकट की थी, विचार किया और इन संशोधनों पर आग्रह किया :—

**संशोधन**

खण्ड २

(एक) कि पृष्ठ १, पंक्ति ९ के अन्त में "given" ["दे दिया"] शब्द के पश्चात् either directly or indirectly" ["प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप में"] शब्द जोड़े जायें ।

(दो) कि पृष्ठ २ में, पंक्ति १ से ६ हटा दी जाये ।

खण्ड ४

(तीन) कि पृष्ठ २ में, खण्ड ४ हटा दिया जाये ।

तदनुसार मुझे लोक-सभा को यह बताने का कि लोक-सभा ने जिन संशोधनों से असहमति प्रकट की थी, राज्य-सभा उन पर आग्रह करती है और राज्य-सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन सम्बन्धी नियमों के नियम १३० के अनुसार दहेज निषेध विधेयक, १९५९ को वापस करने का निदेश मिला है ।

(२) मुझे सभा को यह बताना है कि मुझे राज्य-सभा के सचिव से एक संदेश प्राप्त हुआ है जिसके साथ उन्होंने राज्य-सभा द्वारा ८ दिसम्बर, १९६० की अपनी बैठक में पारित किये गये बाल विधेयक, १९६० की प्रति संलग्न की है ।

---

## दहेज निषेध विधेयक

†सचिव : म दहेज निषेध विधेयक १९५९ को जिसे राज्य-सभा ने वापस कर दिया है, सभा-पटल पर रखता हूं ।

---

†मूल अंग्रेजी में

## बाल विधेयक

†सचिव : मैं राज्य-सभा द्वारा पारित रूप में बाल विधेयक, १९६० को सभा-पटल पर रखता हूं।

---

## अविलम्बनीय लोक-महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना

### सरकारी आदेश के फलस्वरूप ऊनी कपड़ा मिलों को कठिनाइयां

†श्री स० मो० बनर्जी (कानपुर) : नियम १९७ के अन्तर्गत मैं अविलम्बनीय लोक महत्व के निम्न विषय की ओर वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री का ध्यान दिलाता हूं और यह प्रार्थना करता हूं कि वह उसके सम्बन्ध में एक वक्तव्य दें :—

"ऊनी कपड़ा (उत्पादन तथा वितरण नियंत्रण) आदेश, १९६० के अन्तर्गत सरकारी आदेश के फलस्वरूप उत्तरी भारत की ऊनी कपड़ा मिलों के सामने आने वाली कठिनाइयां"

मेरा यह ध्यान दिलाने का प्रस्ताव मुख्यतः कानपुर वूलन मिल्स के बारे में है क्योंकि वह बन्द होने जा रही है। इसलिए माननीय मंत्री से मेरा अनुरोध है कि उसके बारे में मख्यतः बताय।

†उद्योग मंत्री (श्री मनुभाई शाह) : ऊनी उद्योग के विभिन्न क्षेत्रों में जो कठिनाई सामने आ रही थी वह थी आवश्यकतानुसार विभिन्न प्रकार के वर्स्टेड धागों (श्रेष्ठ प्रकार के धागों) का न मिल पाना। मुख्यतः हौज़री उद्योग को बड़ी कठिनाई हो रही थी। भारत सरकार ने संबंधित व्यक्तियों तथा संस्थाओं आदि से सलाह लेकर विभिन्न प्रकार के धागे का संतुलित रूप में संभरण करने के प्रश्न पर कार्यवाही करने के बारे में विचार किया था। इसलिये यह निर्णय किया गया कि विभिन्न प्रकार के धागों के उत्पादन पर कुछ नियंत्रण होना चाहिए। जिससे ऊनी धागों की कमी के कारण उद्योग के किसी भी क्षेत्र को कोई कठिनाई न हो। इसीलिए पहले वर्षों में विभिन्न प्रकार के धागों की उत्पादन के ढांचे की जांच करके तथा उद्योग के विभिन्न क्षेत्रों की आवश्यकता का ध्यान रखते हुए यह निर्णय किया गया कि वर्स्टेड धागे का प्रत्येक निर्माता मशीन की बुनाई का धागा (वीविंग यार्न) होज़री का धागा और हाथ की बुनाई का धागा (निटिंग यार्न) क्रमशः ४७½ प्रतिशत, ३२½ प्रतिशत तथा २० प्रतिशत के अनुपात में बनायें। ऊनी धागा (उत्पादन और वितरण नियंत्रण) आदेश, १९६० के अधीन वस्त्र आयुक्त ने यह आदेश दिए कि १ अक्तूबर, १९६० से वर्स्टेड धागे का उत्पादन इसी अनुपात में किया जाये। आशा है कि इससे उद्योग के सभी क्षेत्रों को विभिन्न प्रकार का धागा उचित मात्रा में मिल जायेगा।

उद्योग के एक भाग से मुख्यतः संयुक्त मिलों से, जिनमें कानपुर की एल्गिन मिल भी है अध्यावेदन मिले हैं कि उत्पादन के लिए इस अनुपात को अपनाने का मिलों पर बहुत बुरा प्रभाव पड़ेगा क्योंकि संभव है विभिन्न प्रकार के धागे बनाने की मशीनें सभी मिलों में न हों। यह कहा गया कि इसके अतिरिक्त संयुक्त मिलों को जो अपनी बुनाई मिलों के लिये अपने आप बनाये गये धागे पर ही निर्भर करती है कड़ी कठिनाइयों का सामना करना पड़ेगा और इससे मिलों के विभिन्न विभागों में कुछ असंतुलन भी पैदा हो जायेगा। यह सच है कि कुछ मिलों में वास्तव में कठिनाई हो परन्तु यह भी संभव है कि कुछ मिलें उत्पादन के इस

---

†मूल अंग्रेजी में

ढंग को स्वीकार करना न चाहती हों क्योंकि ऐसा करने से वह ऐसे धागे नहीं बना पायेंगी जिनसे उन्हें अधिक लाभ होता है। वस्त्र आयुक्त से प्रत्येक मिल के मामले की जांच करने को कहा गया है तथा मिल की क्षमता और अपने ही बुनाई विभाग में धागे की आवश्यकता के आधार पर मिलों को उत्पादन के इस ढांचे में आवश्यकतानुसार परिवर्तन करने की अनुमति दे दी गई है।

महत्वपूर्ण बात यह है कि उद्योग के बड़े भाग ने उत्पादन के इस ढंग का स्वागत किया गया है क्योंकि इससे धागे के मूल्य कम होने लगे हैं।

†**श्री स० मो० बनर्जी**: क्या माननीय मंत्री जानते हैं कि ब्रिटिश इंडिया कारपोरेशन की कानपुर 'वूलन' मिल्स ने मिल को बन्द करने का नोटिस दे दिया है ?

†**श्री मनुभाई शाह**: इस कम्पनी के मैनेजिंग डाइरेक्टर मुझसे मिले थे। जब भी कभी हम किसी समाज विरोधी बात को समाप्त करना चाहते हैं तो मिल अथवा उद्योग इस प्रकार के अभ्यावेदन करते हैं यह कोई नई बात नहीं है। मैं सभा को आश्वासन देना चाहता हूं कि हम मिलों की कठिनाइयों का ध्यान रखेंगे और जैसा मैंने अभी कहा है जहां वास्तव में कठिनाइयां होंगी वहां उत्पादन के इस ढांचे में परिवर्तन करके उन्हें दूर किया जायेगा।

---

## कार्य मंत्रणा समिति

### उनसठवां प्रतिवेदन

†**संसद्-कार्य मंत्री (श्री सत्य नारायण सिंह)**: मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि यह सभा कार्य मंत्रणा समिति के उनसठवें प्रतिवेदन से, जो १२ दिसम्बर, १९६० को सभा में उपस्थापित किया गया था, सहमत है।"

**अध्यक्ष महोदय द्वारा प्रस्ताव मतदान के लिये रखा गया तथा स्वीकृत हुआ।**

---

## पशु निर्दयता निवारण विधेयक—(जारी)

†**अध्यक्ष महोदय**: अब सभा की स० का० पाटिल द्वारा १२ दिसम्बर, १९६० को प्रस्तुत इस प्रस्ताव पर आगे चर्चा करेगी :—

"कि पशुओं को अनावश्यक पीड़ा या कष्ट पहुंचाने को रोकने और इस प्रयोजन के लिये पशुओं के प्रति निर्दयता निवारण संबंधी विधि को संशोधत करने वाले विधेयक पर, राज्य सभा द्वारा पारित किये गये रूप में, विचार किया जाये।"

माननीय मंत्री महोदय उत्तर दें।

†**खाद्य तथा कृषि मंत्री (श्री स० का० पाटिल)**: इस विधेयक पर बहुत से माननीय सदस्यों ने अपने विचार व्यक्त किये हैं। उन्होंने इस सम्बन्ध में बहुत से सुझाव प्रस्तुत किये हैं। परन्तु यह बात लगभग सभी ने स्वीकार की है कि यह समस्या बड़ी कठिन है। इसके हल के बारे में एकरूपता

---

†मूल अंग्रेजी में

[श्री स० का० पाटिल]

माना बड़ा कठिन है । इस दिशा में माननीय सदस्यों ने जो सुझाव और संशोधन दिये हैं यदि एक साथ सब को स्वीकार कर लिया जाय तो विधेयक का अस्तित्व ही समाप्त हो जाता है । अतः हमें बड़े धीमे धीमे आगे बढ़ना है । परन्तु चुप बैठे रहने से यह अच्छा है कि कुछ श्रीगणेश कर दिया जाये । यदि हम इस प्रतीक्षा में रहे कि कोई ऐसा समय आये जब कि सभी प्रकार के धर्म के नाम पर होने वाली ये हत्यायें समाप्त हो जायें तो हमें अनन्त काल तक प्रतीक्षा करनी पड़ेगी । कोई समय ही नहीं आयेगा जब कि इस प्रकार का कोई विधान प्रस्तुत करना सम्भव हो । अतः इन पशुओं के प्रति होने वाली निर्दयता का निवारण आरम्भ करने के उद्देश्य से ही इस विधेयक को प्रस्तुत किया गया है । माननीय सदस्यों द्वारा प्रस्तुत विभिन्न सुझावों का उत्तर देते हुए मैं सदन को बताने का प्रयत्न करूंगा कि सरकार किस प्रकार इस विधेयक के विभिन्न उपबन्धों को कार्यान्वित करने का विचार रखती है ।

मेरे माननीय मित्र श्री अमजद अली 'पशु' की परिभाषा की बात कर रहे थे, संयुक्त समिति में भी जब इस बात पर चर्चा हो रही थी तो वह भी हमारे साथ थे । वहां उन्होंने बहुत ही महत्वपूर्ण ढंग से इस समिति में कार्य किया । यदि मैं उन्हें यह बताऊं कि 'पशु' शब्द के कितने निर्वचन है, और विभिन्न देशों की विधि में इसकी किस प्रकार परिभाषा की गयी है तो आप इस बात को स्वीकार करेंगे कि हमारी परिभाषा ठीक ही है और स्वाभाविक भी है । हमारी दंड प्रक्रिया संहिता में धारा ४७ के अन्तर्गत 'पशु' शब्द की यह परिभाषा दी गयी है "मानव के अतिरिक्त कोई जीव" । इंग्लैण्ड में पशुओं के प्रति निर्दयता का १८७६ का अधिनियम मच्छरों आदि की हत्या पर लागू नहीं होता, जिसका कि उल्लेख किया गया था । इंग्लैंड के पशु रक्षा अधिनियम १९११ के अन्तर्गत 'पशु' की परिभाषा 'एक घरेलू पशु' के रूप में की गयी है जो कि किसी व्यक्ति के कब्जे में होता है । हमने अपनी परिभाषा में इसे घरेलू पशु नहीं पालतू पशु कहा है । दोनों में काफी अन्तर होता है । हमने काफी व्यापक परिभाषा कर दी है और इसके अन्तर्गत मच्छरों आदि की हत्या के मार्ग में बाधा नहीं पड़ सकेगी । हमारा उद्देश्य तो यह है कि पशुओं के प्रति होने वाली अनावश्यक निर्दयता को रोका जाय । इसके अन्तर्गत शिकार करने का निषेध नहीं है । मच्छर मक्खी आदि मारना पहले की तरह ही जारी रहेगा । इस विधेयक में उस पर कोई प्रतिबंध नहीं लगाया गया है ।

श्री अमजद अली के मन में कुछ काल्पनिक भय है और वह खंड ३० और ३२ पर आपत्ति कर रहे हैं । मैंने यह बात बिल्कुल स्पष्ट कर दी है कि जनता की धार्मिक परिपाटियों का समुचित ध्यान रखा गया है । कई मामलों में पशु हत्या करने की अनुमति दे दी गई है, क्योंकि उसके प्रति जनमत काफी प्रबल है । इसी उद्देश्य से विधेयक में खंड २८ की व्यवस्था की गयी है । उसमें कहा गया है :

"किसी धर्म अथवा सम्प्रदाय के नियमानुसार मारे गये पशु पर यह अधिनियम लागू नहीं होगा और उसे अपराध नहीं माना जायेगा ।" यह तो मैंने कल बताया था कि इसमें मुस्लिम अथवा इस्लाम और अन्य किसी धर्म विशेष का उल्लेख करना मैंने ठीक नहीं समझा । विधान में यह अच्छा नहीं लगता । परन्तु सारा मतलब इसके अन्तर्गत आ जाता है । खंड ३० बाद में आता है और उसका सम्बन्ध पशुओं का चमड़ा उतारने से है । यह कहना गलत है कि खंड ३० के अन्तर्गत पशुओं को मारने वाले मुसलमानों के लिए व्यवस्था नहीं हो सकी है । वास्तविकता यह है कि उसी चीज को सामने रखते हुये ही सब कुछ किया गया है । खंड २८ को इसलिये रखा गया है कि धार्मिक परिपाटियों के अनुसार पशुओं को मारने का काम ज्यों का त्यों नहीं रह जाना चाहिए ।

इस सम्बन्ध में यह उल्लेखनीय है कि पशुओं के प्रति निर्दयता निवारक अधिनियम १८९०, ७० वर्ष से चल रहा है और अभी तक एक मामला उसके अन्तर्गत नहीं आया, परन्तु अब तो इसके साथ खंड २८ भी जोड़ दिया गया है जिस से इस दिशा में किसी भी प्रकार के सन्देह की गुंजाइश नहीं रहती। यह अंतिम सीमा है, जहां तक इस प्रकार का कोई विधान बनाया जा सकता है। अतः मैं इस में किसी प्रकार का कोई संशोधन स्वीकार करने को तैयार नहीं हूं। धर्म अथवा मत के नाम पर पशु बध करने वालों को हमने काफी संरक्षण दे दिया है।

श्री सूपकार ने खण्ड १७ (घ) और (ङ) पर आपत्ति की है। पशुओं पर जो प्रयोग किये जाते हैं उनके सम्बन्ध में नियम बनाना समिति का कर्त-य है। उन्होंने कहा है कि जहां तक सम्भव हो पशुओं पर प्रयोग बन्द होने चाहिये। उदाहरण के तौर पर यह प्रयोग मैडीकल स्कूलों, अस्पतालों, कालिजों तथा अन्य स्थानों पर पढ़ाई के उद्देश्य से पुस्तकों, फिल्मों तथा कृत्रिम आकृतियों का प्रयोग किया जाना चाहिये। मद (ङ) में कहा गया है कि बड़े बड़े पशुओं पर उस हालत में बिल्कुल प्रयोग न किये जाय जब कि उसी तरह के परिणाम छोटे प्रयोग शालाओं में पशुओं पर करके प्राप्त किये जा सकते हैं, जैसे मेंढक, सुअर, तथा खरगोश इत्यादि। यह सब धारा १४ के अन्तर्गत आता है जो कि पहले आता है। पशुओं पर प्रयोग के लिये उसमें कहा गया है कि डाक्टरी ज्ञान की खोज अथवा प्रगति के लिये किये गये पशुओं पर प्रयोग, अथवा प्राणिजगत की भलाई की दृष्टि से किये गये इसी प्रकार के प्रयोग इस अधिनियम के अन्तर्गत अवैध नहीं होंगे। यह धारा इतनी व्यापक है कि जहां अपेक्षित हो पशुओं पर दया की जा सकती है। इस पर आपत्ति करने का कोई आधार दिखाई नहीं देता। इस सब को देखते हुये ही हमने इन मदों की व्यवस्था खंड १७ में की है। मैं यह नहीं कहता कि काटना पीटना एक दम बंद हो जाना चाहिये। यह उद्देश्य बिल्कुल नहीं है कि वैज्ञानिक परीक्षण के लिये पशुओं का बध बन्द कर दिया जायेगा और यह विधेयक वैज्ञानिक प्रगति में बाधा पहुंचायेगा।

एक आपत्ति यह है कि यह मामला राज्य सरकारों का है अतः केन्द्र को इस में हस्तक्षेप नहीं करना चाहिये। इस सम्बन्ध में मेरा निवेदन है कि प्रारूपित किये जाने के पश्चात् विधेयक को राज्य सरकारों के पास उनकी राय जानने के लिये भेजा गया था। जहां तक सम्भव हो सका है हमने उनकी राय को विधेयक में सम्मिलित कर लिया है। अतः ऐसी कोई बात नहीं है कि हमने उनकी इच्छा के विरुद्ध कार्य किया है। श्री दी० चं० शर्मा की आपत्ति है कि यह आदर्श विधेयक नहीं है। यह ठीक है कि वह आदर्श विधेयक नहीं है। जो भी आगे आने वाले दिनों में हमें अनुभव प्राप्त होगा उसके अनुसार इसमें सुधार किया जा सकता है, इस पर भी शायद वह इस यग में तो आदर्श विधेयक नहीं हो सकता।

उन्होंने कहा है कि धन की व्यवस्था की जानी चाहिये। खण्ड ८ और १५ के अन्तर्गत धन की व्यवस्था करने की दिशा में प्रयत्न किया गया है। केन्द्रीय सरकार ही कुछ धन नहीं देगी बल्कि कुछ धन जुर्मानों इत्यादि से एकत्रित हो जाया करेगा। धन की कमी नहीं रहेगी। यदि इस दिशा में किया जाने वाला प्रचार कार्य ठीक हुआ तो सरकार अथवा पशु कल्याण बोर्ड धन की व्यवस्था कर देगा। अतः हमें यह भय और सन्देह कभी भी मन में नहीं लाना चाहिये कि इस कार्य में धन की किसी भी प्रकार कमी रह जायेगी। बशर्ते कि यह कार्य सही दिशा में किया जाये।

अब मैं डा० गोविंद दास की बात पर आता हूं। वह पूछना चाहते हैं कि मानवीय बध क्या होता है? डाक्टर साहब चाहते हैं कि धार्मिक तौर पर पशुओं का काटना बंद होना चाहिये। आप की धारणा यह है कि मार देने में मानवीय भावना का क्या अर्थ है। हमारे बूचड़खानों में जिस प्रकार पशु मारे जाते हैं और ूरोप में जिस प्रकार मारे जाते हैं उसमें बड़ा अन्तर है। यूरोप और अमरीका में मानवीय ढंग से पशुओं को मारा जाता है, उन्हें इस से बहुत ही कम कष्ट होता है और इसे ही मारने का मानवीय ढंग कहते हैं। पश्चिमी देशों में यह कृत्य प्रायः स्वाद के लिये किया जाता है। अमेरिका में तो हजारों

[श्री स० का पाटिल]

पशुओं को देखते देखते ही गैस छोड़ कर मार लिया जाता है। परन्तु यह ढंग बड़ा खर्चीला है। हम और अन्य देश उस ढंग को नहीं अपना सकते। सरकार की यह भी इच्छा है कि हमारे बूचड़खानों की टैक्नीक को सुधारा जाये और उसे और अच्छा बनाया जाये ताकि मानवीय ढंग से पशुओं का बध करना संभव हो सके।

डा० गोविंद दास जी ने एक और प्रश्न पूछा है कि इन पशुओं की रक्षा करने के लिये हम क्या कर रहे हैं। पशुधन का विषय मेरे ही मंत्रालय का विषय है, अतः मैं इस सम्बन्ध में सदन को अपेक्षित जानकारी दे सकता हूं। हमने इस कार्य के लिये ५० करोड़ रुपया पशु पालन बोर्ड को दिया गया है। इस बोर्ड का स्वरूप भी बदल दिया गया है। इससे पूर्व मंत्री बोर्ड का अध्यक्ष होता था, अब बोर्ड के लिये एक गैर-सरकारी सभापति की व्यवस्था भी की जा रही है। और इसके लिये मैंने इस विषय के योग्य जन सेवक श्री ढेबर से प्रार्थना की कि वह यह पद स्वीकार कर लें। उन्होंने यह पद स्वीकार कर लिया है। यद्यपि समिति का कार्य केवल सलाह देना है परन्तु हमने उन्हें सभी प्रकार के अधिकार दे दिये हैं, कि वह अपने निर्णयों को कार्यान्वित भी कर सके। तात्पर्य यह है कि जिन लोगों की इस विषय में रुचि है उनको लिया जाये। गो संवर्धन मंडल को भी इसमें लिया गया है। तीसरी योजना के अन्त तक स्थिति यह हो जायेगी कि पशु पालन देश में अच्छी प्रकार से होने लगेगा। हमें अच्छे पशु भी उपलब्ध होंगे और पशुओं के प्रति दया दिखाने की भावना को भी बढ़ावा मिल सकेगा।

श्री पट्टाभिरमन ने सर्कस के पशुओं का उल्लेख किया है। मैं इस बात को स्वीकार करता हूं कि सर्कस वाले भी इस दिशा में काफी गड़बड़ करते हैं। मैं सदन को आश्वासन देता हूं कि सरकार इस की देखभाल के लिये प्रबन्ध करेगी कि सर्कस के जानवरों के साथ अमानवीय व्यवहार न किया जाये और उनकी अनावश्यक रूप से रक्षा की जाये। इस के लिये अपेक्षित मशीनरी की स्थापना की जायेगी। माननीय सदस्य ने पशुओं को मारना और पीछा करना आय का साधन नहीं होना चाहिये यह व्यवस्था होनी चाहिये कि राष्ट्रीय उद्यान हो और उन उद्यानों की सीमाओं में पशुओं को मारा न जाय। अफ्रीका में २५ वर्गमील से लेकर १०००० वर्ग मील तक के उद्यान हैं, यहां पशुओं को पाला जाता है, उन्हे वहां चलने फिरने की स्वतंत्रता होती है। उन्हें सुखपूर्वक और शांति पूर्वक जीवन व्यतीत करने के लिये प्रोत्साहन दिया जाता है। हम और आप वहां जाकर उन पशुओं को देख सकते हैं। वे पशु बहुत ही अच्छे होते हैं। यदि आप स्वयं उनको तंग न करें तो वे अपने आप आप से कुछ नहीं कहेंगे। शेर, चीता, हाथी और अन्य प्रकार के कई हिंसक पशु भी उनमें होते हैं। अतः यह राष्ट्रीय पार्क का विचार बिल्कुल ही नया विचार है जो कि माननीय सदस्य ने प्रस्तुत किया है। हम अपने देश में भी इस विचार को कार्यान्वित करने का पूरा प्रयत्न करेंगे।

प्रत्येक व्यक्ति को शिकार की भी अनुमति नहीं दी जानी चाहिये। कहा गया है और मैं भी यही चाहता हूं कि इंगलैण्ड की साम्राज्ञी जब भारत आये तो उन्हें और उनके दल को यह निवेदन किया जाये कि वह शिकार न करें। यह बात गलत है अथवा ठीक इसके बारे में परीक्षण किया जा सकता है। फिर भी श्री नरसिंहन् की यह प्रार्थना माननीय प्रधान मंत्री तक पहुंचा दी जायेगी यह बात विचार करने योग्य है और इस पर अवश्य विचार होगा। परन्तु मैं उन्हें यह आश्वासन देता हूं कि ऐसा करने में किसी पशु को अनावश्यक दुःख और कष्ट देने का कोई विचार नहीं है।

जंगली जीवन के संरक्षण का विषय राज्य के अन्तर्गत आता है। राज्यों द्वारा इस विषय की ओर ध्यान दिया जा रहा है परन्तु भारत सरकार भी इस मामले में पीछे नहीं है। जंगली जीवन के संरक्षण की व्यवस्था करने वाला एक प्रभावशाली बोर्ड भारत सरकार ने नियुक्त कर रखा है और इस को इस मामले की पूरी रुचि और जानकारी है। इस के लिये वर्ष में एक सप्ताह भी मनाया

जाता है। तात्पर्य यह कि हम इस प्रकार लोगों में चेतना पैदा करके पशुओं के प्रति निर्दयता की भावना को रोकने का प्रयत्न कर रहे हैं। म जब अपने माननीय सदस्यों को इस विषय में इतनी रुचि लेते हुये देखता हूं तो मुझे आशा होती है कि शीघ्र ही ऐसा समय आयेगा जब कि हमारे यहां इस कार्य के लिये राष्ट्रीय उद्यान बना दिये जायेंगे। लोग वन जीवन को मानव जीवन जैसा एक पवित्र अंग मानने लगेंगे।

माननीय श्री मुहम्मद इमाम का मत है कि इस से गड़बड़ हो जायेगी और खामखां परेशानी होगी। यदि इस कार्य के लिये योग्य अधिकारी उपलब्ध न हुये तो यह कार्य ठीक से नहीं हो सकेगा। अधिकारी तो ठीक प्रकार होने ही चाहिये, परन्तु यह कठिनाई तो लगभग सभी विधानों की हो सकती है। परन्तु विधि के विरुद्ध इसे मुक्ति के रूप में प्रयोग नहीं किया जा सकता। जब सामाजिक चेतना देश में जागृत हो उठती है तो किसी भी अधिकारी के लिये अनुचित कार्य करना सम्भव नहीं हो सकता। इस दिशा में माननीय सदस्यों की चिन्ता को मैं अनुभव करता हूं। हम पूरी कोशिश करेंगे कि इस विधि को पूरी चेतना के साथ कार्यान्वित किया जाये। सरकार इस मामले में भावनाओं के वश में होकर ही कार्य नहीं कर रही। पशुओं के प्रति निर्दयता निवारण के लिये अनेक नगरों में समितियां काम कर रहीं है। हम यह प्रयत्न कर रहे हैं कि इस कार्य का क्षेत्र बढ़ा कर अखिल भारतीय कर दिया जाय। इस भय से कि विधि को कार्यान्वित करने के लिये योग्य अधिकारी नहीं मिलेंगे, विधि के निर्माण को रोका नहीं जा सकता। उसे तो पशुओं और इन्सानों दोनों में सामूहिक हितों की दृष्टि से पारित करना ही होता है।

इस बात का भी उल्लेख हुआ है कि विधेयक पर बहुत खर्च होगा यह बात तो इस बात पर आधारित रहेगी कि इस विधेयक का कार्य किस प्रकार चलता है। अभी तो हम इस पर बहुत खर्च नहीं कर रहे। ५०,००० रुपये की व्यवस्था की गयी है, यह कोई बहुत बड़ी राशि नहीं। तीसरी योजना में इसके लिए ३.५ लाख की व्यवस्था है। यदि काम अच्छा रहा तो और धन भी प्राप्त हो सकता है और कोई नहीं कह सकेगा कि इस दिशा में धन को नष्ट किया जा रहा है। श्री प्रकाशवीर शास्त्री ने अपने ओजस्वी भाषण से मेरा ध्यान इस समस्या के विविध अंगों की ओर आकृष्ट कराया है। उन्होंने इस मामले में वेदों और उपनिषदों का उल्लेख कर पुराने युग की याद ताजा की है। सचमुच वह युग बहुत ही महान् था और उस समय के लोग भी महान् थे। उनका उद्देश्य यह बताने का था कि हमें वे पुराने आदर्श कायम रखने चाहिए। उन्होंने इस बारे में राष्ट्र पिता गांधी जी के विचारों का भी उल्लेख किया और कहा कि यदि हम पूर्णतः उनके उच्च आदर्शों का पालन नहीं कर सकते तो जितना कर सकते हैं उतना तो करें।

इस सम्बन्ध में डा० मेलकोटे ने बहुत ही खोजपूर्ण और महत्वपूर्ण बातें कही हैं। उन्होंने दिन और रात के पशुओं का अन्तर बताया है। उनकी आदतों को बताते हुए उन्होंने कहा कि दिन के पशु मांसाहारी नहीं और रात के पशु मांसाहारी हैं। यह बड़ी महत्वपूर्ण बात है, उन्हें अपनी इस खोज को पशु कल्याण बोर्ड के पास भेजना चाहिए। मैं उन्हें विश्वास दिलाता हूं कि इसका उचित परीक्षण किया जायेगा। श्री वारियर भी पशुओं के साथ की जाने वाली परेशानी से भयभीत हैं. मैंने बताया है कि हम देख रहे हैं कि तेल की धार किधर है। काफी समय है, आवश्यकता अनुभव हुई तो अपेक्षित संशोधन किया जायगा।

श्री जयपाल सिंह जी ने विधेयक का विरोध किया है। पता नहीं क्यों अपने सामान्य जोश में इसे समय नष्ट करने वाला, धोखा और दम्भ कहा है। पता नहीं इसके बारे में वह क्या क्या बातें कह गये। परन्तु मुझे अपने निजी अनुभव से पता है कि वह पशुओं के मित्र हैं। शब्द तो काटते नहीं। यदि वह मनुष्यों को नहीं काटते तो पशुओं को क्या काटेंगे। इस आधार पर मैं कह सकता हूं कि अन्ततोगत्वा जब वि यक को कार्यान्वित किया जायेगा तो वह सरकार का साथ देंगे, क्योंकि पशुओं के प्रति उनका प्रेम उन्हें इस मामले में दूर नहीं रख सकता।

[श्री स० का० पाटिल]

श्री गणपति को इस बात से भयभीत नहीं होना चाहिए, कि इससे मद्रास अधिनियम का निरसन हो जायेगा। जब इस विधेयक का प्रारूप तैयार किया जा रहा था तो यह नियम वहां मौजूद था। मद्रास राज्य सरकार ने अपने यहां पशुओं का वध कानूनन बन्द कर दिया है। ऐसा करने का अधिकार उन्हें प्राप्त है। उन्हें ही नहीं बल्कि सभी राज्यों को यह अधिकार प्राप्त है। जो कुछ कानूनी परामर्श हमें मिला है वह यही है कि उनका यह भ्रम निराधार है।

मैंने यह कहा था और अन्त में पुनः कहता हूं कि यह एक आदर्श विधेयक नहीं है। यह तो आरम्भ है, अब हम इस मार्ग पर धीरे धीरे आगे चलेंगे। पशुओं की सुरक्षा के लिए जो कुछ भी अपेक्षित और सम्भव होगा करते चले जायेंगे। अन्त में मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि यह विधेयक श्रीमती रुक्मिणी देवी अरुण्डेल के प्रति एक श्रद्धांजलि है, जो कि वर्षों से मूक पशुओं के हित के लिए संघर्ष करती रही थीं। आज से ६ वर्ष पूर्व उन्होंने यह विधेयक प्रस्तुत किया था।

†**अध्यक्ष महोदय :** अब मैं इस प्रस्ताव को सभा में मतदान के लिये रखता हूं। प्रश्न यह है

"कि पशुओं को अनावश्यक पीड़ा या कष्ट पहुंचाने को रोकने और इस प्रयोजन के लिये पशुओं के प्रति निर्दयता निवारण सम्बन्धी विधि को संशोधित करने वाले विधेयक पर, राज्य सभा द्वारा पारित किये गये रूप में, विचार किया जाये।"

**प्रस्ताव स्वीकृत हुआ**

†**अध्यक्ष महोदय :** अब हम विधेयक पर खंडवार विचार करेंगे। क्या खंड २ के बारे में कोई संशोधन है ?

†**श्री अमजद अली** (चुरुरी) : मैं अपना संशोधन संख्या ४ प्रस्तुत करता हूं।

†**अध्यक्ष महोदय :** क्या आप इस संशोधन को मतदान के लिये रखवाना चाहते हैं।

†**श्री अमजद अली :** जी हां।

**अध्यक्ष महोदय द्वारा संशोधन मतदान के लिये रखा गया और अस्वीकृत हुआ।**

†**अध्यक्ष महोदय :** प्रश्न यह है :

"कि खंड २ विधेयक का अंग बने।"

**प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।**

**खण्ड २ विधेयक में जोड़ दिया गया।**

**खंड ३ से १० विधेयक में जोड़ दिये गये।**

**खण्ड ११—(पशुओं के साथ निर्दयता का व्यवहार)**

†**अध्यक्ष महोदय :** क्या खंड ११ के बारे में कोई संशोधन है ?

†**श्री मुहम्मद ताहिर** (किसनगंज) : मैं अपना संशोधन संख्या १ प्रस्तुत करता हूं।

---

†मूल अंग्रेजी में।

मैंने यह संशोधन इसलिये रखा है कि पशुओं के साथ इस प्रकार की निर्दयता का उल्लेख इस विधेयक में कहीं नहीं किया गया है। हमारे देश के कुछ भागों में लोग गर्भ वाले पशुओं को मार देते हैं और धनोपार्जन के लिये उनके बच्चों को उनके पेट से निकाल लेते हैं। उन बच्चों की खाल से टोपियां बनाते हैं जो ३०० से ४०० रुपये तक बिकती हैं। रुपया कमाने का यह बहुत ही निर्दयतापूर्ण व्यवहार है। मेरा विचार है कि इस निर्दयता को रोका जाना चाहिये और इसीलिये मैंने यह संशोधन प्रस्तुत किया है।

†**अध्यक्ष महोदय** : क्या इसका उल्लेख दूसरे खंडों में नहीं आता।

†**श्री स० का० पाटिल** : मैं बता चुका हूं कि हजारों प्रकार की निर्दयता की जाती है। हमारी सूची तो उदाहरणात्मक है न कि व्यापक। फिर "अनावश्यक निर्दयता" के अन्तर्गत सभी कुछ आ जाता है। मैं कोई और वस्तु अधिनियम में जोड़ना नहीं चाहता वर्ना सैकड़ों वस्तुओं के नाम गिनाये जायेंगे और विधेयक का क्रियान्वित करना टल जायेगा। ६ वर्ष तो पहले ही हो गये हैं। अतः अनुभव के बाद यदि आवश्यक हुआ तो इस प्रकार की निर्दयताओं को इसमें सम्मिलित कर लिया जायेगा। माननीय सदस्य ने जो कुछ कहा है उससे मैं सहमत हूं लेकिन इस समय मैं इस संशोधन करने के लिये तैयार नहीं हूं क्योंकि यह निर्दयता साधारण खंड में ही सम्मिलित है।

†**अध्यक्ष महोदय** : क्या आपने इस विधेयक में "आवश्यक प्रयोजन" शब्दों की व्याख्या दी है।

†**श्री स० का० पाटिल** : इसकी परिभाषा तो नहीं दी गई है। लेकिन इस विधेयक को इस आधार पर बनाया गया है कि जब हम "आवश्यक" शब्द का उपयोग करते हैं तो इसका अभिप्राय खाने एवं धार्मिक प्रयोजन से होता है। इसके अतिरिक्त अन्य मामलों में इसका प्रयोजन "अनावश्यक" है।

मैं बता चुका हूं कि अनुभव के पश्चात यदि आवश्यकता हुई तो मैं आगामी संशोधन विधेयक में इस निर्दयता को निश्चय ही सम्मिलित कर लूंगा। फिर इस विधेयक के अधीन नियम बनाने का अधिकार भी तो है। नियमों के अनुसार हम ऐसा कर सकते हैं।

†**अध्यक्ष महोदय** : आप स्पष्ट रूप से यह कहें कि ऐसे नियम बनाये जा सकते हैं जो यह बतायेंगे कि अमुक अमुक कार्यवाहियां इस अधिनियम के अधीन निर्दयता मानी जायेंगी।

†**श्री मुहम्मद ताहिर** : इस खंड के बारे में मैं अपने संशोधन संख्या २ और ३ भी प्रस्तुत करता हूं।

इस खंड के अधीन खाने के प्रयोजन की दृष्टि से कुछ पशुओं को मारने की अनुमति दी गई है। मैंने अपने संशोधन में यह निवेदन किया है कि दूध देने के दौरान में अथवा गर्भावस्था के समय पशुओं को इस प्रयोजन से भी न मारा जाये।

†**श्री स० का पाटिल** : यदि इस प्रकार संशोधन रखे जाते रहे और निर्दयता का उल्लेख किया जाता रहा तो इसकी कोई इतिश्री नहीं होगी। मैं निवेदन कर चुका हूं कि यह हमारा पहिला प्रयास है अतः हमें अनुभव प्राप्त करना चाहिये। यदि नियम इस सम्बन्ध में अपर्याप्त हुए तो हम संशोधन विधेयक प्रस्तुत करेंगे और उसमें इस बात की व्यवस्था करेंगे।

†**श्री मुहम्मद ताहिर**: यह एक सारवान बात है जो नियमों में नहीं बल्कि विधेयक में ही सम्मिलित की जानी चाहिये।

---

†मूल अंग्रेजी में

†**श्री स० का० पाटिल** : यदि पिछले ७० वर्षों से यह मामला ऐसे ही चला आ रहा था तो क्या माननीय सदस्य कुछ दिनों तक जब तक कि हम अनुभव करके संशोधन विधेयक प्रस्तुत करें तब तक इसकी प्रतीक्षा नहीं कर सकते ।

अतः मैं इस संशोधन को स्वीकार नहीं कर सकता ।

†**अध्यक्ष महोदय** : चूंकि माननीय मंत्री महोदय आश्वासन देते हैं कि कुछ अनुभव प्राप्त करने के पश्चात वे संशोधन विधेयक प्रस्तुत कर सकते हैं, अतः इस मामले को अभी यहीं तक छोड़ दिया जाये । फिर नियम बनाने का भी तो अधिकार दिया गया है । मैं समझता हूं कि माननीय सदस्य अपने संशोधनों पर बल नहीं दे रहे हैं ।

**संशोधन, सभा की अनुमति से, वापस लिये गये ।**

†**अध्यक्ष महोदय** : प्रश्न यह है :

"कि खंड ११ विधेयक का अंग बने ।"

**प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।**

**खंड ११ विधेयक में जोड़ दिया गया ।**

**खंड १२ से २९ विधेयक में जोड़ दिये गये**

**खण्ड ३०—(कुछ मामलों में अपराध की पूर्व धारणा)**

†**अध्यक्ष महोदय** : इस खंड के बारे में कोई संशोधन नहीं है ।

†**श्री अमजद अली** : मैं इस खंड का विरोध करता हूं । मेरा निवेदन है कि यदि इस खंड को निकाला नहीं गया तो कुछ परेशानियां हो सकती हैं । यदि सिद्ध करने की बात रखी गई तो परेशानियों का क्षत्र और भी बढ़ जायेगा । इस खंड में "खाल उतारना" शब्द का प्रयोग नहीं किया गया है । मान लीजिये कि कोई व्यक्ति हलाल करता है तो उसे यह सिद्ध करना होगा कि उसने उस पशु की खाल नहीं उतारी । ऐसी स्थिति में मुझे इस बात का डर है कि उसे परेशान किया जायेगा । अतः मैं चाहता हूं कि माननीय मंत्री महोदय इन उपबन्धों में इसकी व्यवस्था करें । मेरा विचार है कि यदि इस खंड को निकाल ही दिया जाये तो कोई हानि नहीं होगी । मैं यह जानना चाहता हूं कि माननीय मंत्री इस खंड को क्यों रखना चाहते हैं । मैं नहीं चाहता कि किसी बेचारे को इस बात का प्रमाण देना पड़े कि उसने अमुक पशु का हलाल ही किया है उसकी खाल नहीं उतारी । इसलिये उसने कोई अपराध नहीं किया ।

†**श्री मुम्मद ताहिर** : मुसलमान धर्म के अनुसार हलाल करना जायज़ है लेकिन खंड ३० के अनुसार किसी पशु की खाल उतारना अपराध है । अतः इस प्रकार हलाल करना अपराध हो गया । इसलिये खंड २८ और ३० परस्पर विरोधी हैं । इसलिये खंड ३० अनावश्यक है ।

†**श्री स० का० पाटिल** : यह खंड २८ इस मूल विधेयक में बिल्कुल भी नहीं था । खंड ३० का उद्देश्य तो यही है कि जब लोग खाल प्राप्त करने की दृष्टि से जानवरों का निर्दयता के साथ उन्हें कष्ट देकर वध करते हैं तो ऐसे मामलों में उन्हें दण्ड दिया जाये लेकिन होता क्या है कि वे कह सकते हैं कि उन्होंने इन जानवरों का वध पशुओं को कष्ट देकर नहीं किया है । जब मुसलमानों के प्रतिनिधियों ने मुझसे, गृह-कार्य मंत्री, और प्रधान मंत्री से भेंट की तो हमने सामान्य सहमति से यह निर्णय किया

---

†मूल अंग्रेजी में

कि इसे अपवाद बनाया जाये। इसलिये खंड २८ विशेष रूप से बनाया गया है और वह भी मुसलमानों के संशय को दूर करने की दृष्टि से ही। यह खंड व्याख्या की दृष्टि से बहुत जोरदार तथा व्यापक है। अतः जिन सन्देहों का उल्लेख किया गया है वे काल्पनिक हैं। अतः मैं इन संशोधनों को स्वीकार नहीं करता। यदि अनुभव के पश्चात् यह देखने में आया कि किसी मुसलमान को वास्तव में ही परेशान किया गया है तो मैं पहला व्यक्ति हूंगा जो इस अधिनियम में संशोधन करूंगा।

†**अध्यक्ष महोदय** : प्रश्न यह है :

"कि खंड ३० विधेयक का अंग बने।"

**प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।**

**खण्ड ३० विधेयक में जोड़ दिया गया।**

**खण्ड ३१ से ४१, खण्ड १, अधिनियमन सूत्र, और विधेयक का नाम विधेयक में जोड़ दिये गये।**

†**श्री स० का० पाटिल** : मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि विधेयक को पारित किया जाये।"

†**अध्यक्ष महोदय** : प्रश्न यह है :

"कि विधेयक को पारित किया जाये।"

**प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।**

---

## औद्योगिक रोजगार (स्थायी आदेश) संशोधन विधेयक

†**श्रम उपमंत्री (श्री आबिद अली)** : मैं प्रस्ताव करता हूं।

"कि औद्योगिक रोजगार (स्थायी आदेश) अधिनियम, १९४६ में अग्रेतर संशोधन करने वाले विधेयक पर विचार किया जाये।"

यह विधेयक सरल है और इसका उद्देश्य औद्योगिक रोजगार (स्थायी आदेश) अधिनियम, १९४६ के क्षेत्र का विस्तार करना तथा स्थायी आदेशों के शीघ्र प्रमाणीकरण का सुनिश्चयन करना है। जैसा कि माननीय सदस्य जानते हैं आजकल मूल अधिनियम १०० या १०० से अधिक लोगों को नौकर रखने वाली संस्थाओं पर ही लागू होता है। इस विधेयक के उपबन्धों के अधीन सरकार को इसे उन कारखानों पर भी लागू कर सकने का अधिकार दिया जा रहा है जिनमें इससे कम कर्मचारी हों। हालांकि इसमें यह व्यवस्था की गयी है कि वस्तुतः इसको वहां लागू करने से पूर्व दो महीने की सूचना देनी होगी।

हमारा विचार कोई नई न्यूनतम सीमा निर्धारित करने का तथा इसको समान रूप से सभी उद्योगों एवं क्षेत्रों पर लागू करने का नहीं है। हमने यह सोचा था कि यह अधिक व्यावहारिक होगा अगर हम इसे छोटे संस्थानों पर उसी स्थिति में लागू करें जब कि परिस्थिति उपयुक्त हों।

---

†मूल अंग्रेजी में

[श्री आबिद अली]

इस विधेयक को प्रमाणित करने वाले अतिरिक्त पदाधिकारियों की नियुक्ति की भी व्यवस्था है। इससे प्रमाणित करने का काम शीघ्रता से हो सकेगा। हमारा उद्देश्य नये पद बनाने का नहीं है। इस प्रयोजन के लिये हम सम्पर्क पदाधिकारियों की सेवाओं का उपयोग करने का ही अधिकार ले रहे हैं।

एक और संशोधन केन्द्रीय सरकार को यह अधिका देता है कि वह अधिनियम के अधीन अपनी शक्ति राज्य सरकारों को दे सकती है। यह अधिनियम की क्रियान्वित करने में और भी सहायता देगा। अपील करने सम्बन्धी समय सीमा को भी २१ दिन से बढ़ा कर ३० दिन कर दिया गया है ताकि उस पक्ष को इस प्रयोजन के लिये पर्याप्त समय मिल सके।

माननीय सदस्य देखेंगे कि इस विधेयक के उपबन्ध प्रगतिशील हैं और विवादास्पद नहीं हैं। मैं आशा करता हूं कि सभी सदस्य इस विधेयक का स्वागत करेंगे। इन शब्दों के साथ मैं यह विधेयक प्रस्तुत करता हूं।

†**अध्यक्ष महोदय :** प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ। क्या प्रचालित करने के लिये कोई संशोधन है।

†**श्री आबिद अली :** जी नहीं।

†**श्री स० मो० बनर्जी** (कानपुर) : जब विभिन्न उद्योगों में काम करने वाले कर्मचारियों की सेवाओं की शर्तों को विनियमित करने के लिये कोई आदेश नहीं थे तब कार्मिक संघों द्वारा इन स्थायी आदेशों का स्वागत किया गया था। उसके बाद से प्रमाणीकरण करने वाले पदाधिकारी समय समय पर प्रश्नावली अथवा आदर्श स्थायी आदेशों के कुछ अंश विभिन्न इकाइयों को भेजते रहे हैं ताकि वे इन प्रमाणीकरण करने वाले पदाधिकारियों के सामने अपने सुझाव दे सकें। लेकिन आज इन आदर्श स्थायी आदेशों को बनाते समय केन्द्रीय कार्मिक संगठनों को अपने मत देने तक के लिये पूछा नहीं गया है। इसलिये मेरा निवेदन है कि इन आदर्श स्थायी आदेशों को बनाने से पूर्व केन्द्रीय कार्मिक संघों से परामर्श लिया जाना चाहिये।

राज्य सरकारों के भी अपने स्थायी आदेश हैं। इन स्थायी आदेशों के विरुद्ध अपील भी नहीं की जा सकती। और हमें इन आदेशों को उसी रूप में लेना पड़ता है जिस रूप में कि वे हैं। जब स्थायी आदेश बनाये गये थे लोगों ने इसका स्वागत किया कि कर्मचारियों को नियोजकों के कष्टों से मुक्ति मिलेगी। लेकिन हम देखते हैं कि आज इनको बनाने से पूर्व उन पर उचित रूप से विचार नहीं किया गया है। कार्मिक संघों से परामर्श भी नहीं लिया गया है। अतः मेरा निवेदन है कि इन आदेशों पर त्रिदलीय सम्मेलन में चर्चा होनी चाहिये ताकि कर्मचारियों को उन से कोई हानि न होने पावे। मेरा सुझाव है कि कर्मचारियों के सुझावों पर सहानुभूति से विचार किया जाये।

†**श्री इन्द्रजीत गुप्त** (कलकत्ता-दक्षिण पश्चिम) : ऐसा प्रतीत होता है कि सरकार स्थायी आदेशों के प्रभावों के सम्पूर्ण प्रश्न को टाल रही है। मेरा ऐसा विचार है कि देश में ऐसी भावना बढ़ती जा रही है कि औद्योगिक रोजगार (स्थायी आदेश) अधिनियम के उपबन्ध औद्योगिक झगड़ों के मुख्य कारण बन गये हैं। और देश में औद्योगिक अशान्ति के मुख्य कारण बन गये हैं। अनुशासन के नाम पर नियोजक कर्मचारियों को बहुत परेशान करते हैं। आज नियोजकों द्वारा

---

†मूल अंग्रेजी में।

इन स्थायी आदेशों का उपयोग कर्मचारियों को परेशान करने के लिये किया जाता है और उनका कोई दोष न होते हुए भी उन्हें सताया जाता है। जहां तक कार्मिक संघों का सवाल है, मूल अधिनियम औद्योगिक विवादों का एक बहुत बड़ा कारण बन सकता है क्योंकि वह कर्मचारियों को परेशान करने तथा उनसे बदला निकालने का साधन नियोजकों के हाथ में देता है। अतः इस प्रश्न पर गम्भीरता से विचार करने की आवश्यकता है।

(श्री मूलचन्द दुबे पीठासीन हुये)

विद्यमान विधि के अधीन श्रम न्यायाधिकरणों को नियोजकों के कृत्यों के सही होने या गलत होने का निर्णय करने का अधिकार प्राप्त नहीं है। जब तक औद्योगिक विवाद अधिनियम तथा औद्योगिक रोजगार (स्थायी आदेश) अधिनियम में महान संशोधन नहीं किये जाते, तब तक इस प्रकार का कोई भी विधान व्यर्थ है। न्यायाधिकरणों को सौंपे गये सभी मामलों के गुण दोषों और साक्ष्य पर विचार करने का अधिकार होना चाहिये।

अनुशासन संहिता के बारे में शिकायत करने सम्बन्धी प्रक्रिया जिसका एक महत्वपूर्ण भाग है, सर्वसम्मत त्रिदलीय निश्चय हो चुके हैं। उन निश्चयों तथा आदर्श स्थायी आदेशों में कोई भी बात एक सी नहीं है। बल्कि इन आदेशों द्वारा एक असंगत स्थिति पैदा कर दी गई है।

दुर्व्यवहार के आरोप में जब कर्मचारी की जांच की जाती है और उसके विरुद्ध कार्यवाही की जाती है तो उसकी ओर से वहां कोई भी प्रतिनिधि नहीं होता। प्रबन्ध जो निर्णय कर लेता है उसके विरुद्ध कोई अपील नहीं की जा सकती।

इसलिये मेरा सुझाव है कि औद्योगिक विवाद अधिनियम में संशोधन करना चाहिये ताकि न्यायाधिकरण, श्रम न्यायालय तथा इसी प्रकार के अन्य निकायों को वे अधिकार मिल जायें जो उच्चतम न्यायालय के निर्णय द्वारा उनसे नहीं ली गई है। उनको जो मामले भेजे जाते हैं उनकी गुणिता एवं साक्ष्यों की जांच कर सके। अतः न्यायाधिकरणों को वे अधिकार मिल जायें जो अब उनके पास नहीं हैं। दूसरे इन आदर्श स्थायी आदेशों को कम से कम सर्वसम्मत त्रिदलीय शिकायत प्रक्रिया के उपबन्धों के अनुरूप बनाया जाना चाहिये।

†**श्री ओझा** (झालावाड़): वैसे तो मैं इस विधेयक का स्वागत करता हूं लेकिन इसके उद्देश्य से पूर्णतः सहमत नहीं हूं। इसके द्वारा यह अधिनियम १०० से कम कर्मचारियों वाले प्रतिष्ठानों पर भी लागू होगा।

हम देखते हैं कि बड़े प्रतिष्ठानों में संगठित कार्मिक-संघ आन्दोलन होता है जो मजदूरों के हितों की देख भाल कर सकता है। लेकिन छोटे छोटे प्रतिष्ठानों के सम्बन्ध में यह जरूरी है कि सरकार आगे आकर उनके मजदूरों के हित की रक्षा करे।

[उपाध्यक्ष महोदय पीठासीन हुये]

यह ठीक है कि अदालतों को सिर्फ ऐसे ही मामलों में हस्तक्षेप करना चाहिये, जिनमें मजदूरों से बदला लेने अथवा बुरी नीयत से नियोजकों द्वारा कोई कार्यवाही की गयी हो। अन्यथा यदि प्रत्येक शिकायत को अदालत में ले जाने की छूट दे दी गई तो अदालतों में शिकायतों की भरमार हो जायेगी और कारखानों के लिये काम करना कठिन हो जायेगा।

---

†मूल अंग्रेजी में

[श्री ओझा]

उत्पीड़न तथा दूसरे औद्योगिक मामलों का निवारण भी एक उचित रूप से होगा। दिन प्रति दिन के प्रशासन का कार्य भी प्रबन्ध पर ही छोड़ देना चाहिये। आशा है कि इस विधेयक से छोटे छोटे प्रतिष्ठानों के कर्मचारियों को काफी लाभ होगा।

†**श्री नौशीर भरूचा** (पूर्व खानदेश): मुख्य कठिनाई स्थायी आदेशों की व्याख्या करने के सम्बन्ध में आती है। उसका मसौदा इस ढंग से तैयार किया गया है कि न्यायालयों ने उनका जो अर्थ किया है, उससे श्रमिकों के लिये बड़े भयावह परिणाम हुए हैं। अतः इस बात की व्यवस्था की जानी चाहिये कि न्यायालय के फैसलों का बाकायदा अध्ययन करने के पश्चात् आदर्श स्थायी आदेश इस ढंग से तैयार किये जायें जिससे उनके आधार पर स्थायी आदेश तैयार करके मालिक लोग श्रमिकों को उनके उचित अधिकारों से वंचित न कर सकें।

अन्त में मैं इस विधेयक का स्वागत करता हूं क्योंकि यह उचित दशा की ओर एक कदम बढ़ाता है।

†**श्री अरविंद घोषाल** (उलुबेरिया): इस विधेयक का उद्देश्य स्थायी आदेशों का क्षेत्र छोटे छोटे प्रतिष्ठानों पर भी लागू करना है। लेकिन हम देखते हैं कि छोटे कारखाने के श्रमिकों को हम जो भी लाभ प्रदान करना चाहते हैं और उस के लिये जो प्रयास कर रहे हैं उस से श्रमिकों को कोई लाभ होने की अपेक्षा उन्हें हानि ही होगी। इस का कारण यह है कि स्थायी आदेशों का उपयोग मालिक लोग अपने हित में करते हैं और भी उन का जो अर्थ करती हैं वह भी मालिकों के हित में ही होता है। आदेशों को इस ढंग का बनाया जाना चाहिये जिससे उन के पीछे जो मंशा हो वह पूरी हो सके।

स्थायी आदेशों का प्रचार करने के सम्बन्ध में बहुत कम काम किया गया है। कई कारखानों के श्रमिक तो यह जानते तक नहीं हैं कि ऐसे आदेश होते हैं भी या नहीं। अधिकतर ये आदेश अंग्रेजी में बनाये जाते हैं और अंग्रेजी मजदूरों को आती नहीं है। उन्हें इन का पता उस समय चलता है जब वे किसी केस में फंसते हैं और उन्हें नोटिस दिया जाता है।

अतः मैं माननीय मंत्री महोदय से निवेदन करता हूं कि वे इन आदर्श स्थायी आदेशों में सुधार करें। अगर यह हो गया तो निर्वचन के कारण होने वाले बहुत से झगड़े दूर हो जायेंगे। सरकार को भारतीय श्रम सम्मेलन में किये गये निर्णयों के अनुसार बिल्कुल नये आदेश तैयार करने चाहियें ताकि उन का उपयोग श्रमिकों का शोषण करने के साधनों के रूप में न किया जा सके।

**श्री रामसिंह भाई वर्मा** (निमाड़): श्रीमान्, बहुत अरसे के बाद या यों कहा जाय कि भारत आजाद होने के बाद जब से पार्लियामेंट बनी है, उस में पहली ही दफा इंडस्ट्रियल एम्पलायमेंट स्टेंडिंग आर्डर्स के अन्दर यह अमेंडमेंट बिल लाया गया है और इस पार्लियामेंट के माननीय सदस्यों को इस विषय पर अपने विचार रखने का अवसर प्राप्त हुआ है।

यह जो इस ऐक्ट में संशोधन लाया गया है यह कोई ज्यादा महत्व नहीं रखता है। इंडस्ट्रियल एम्पलायमेंट ऐक्ट जो बना है और उस के शिड्यूल के अन्दर जो विषय रखे गये हैं उन के अनुसार स्टेंडिंग आर्डर्स बने हैं जो एक प्रकार से मजदूरों और उद्योगपतियों के बीच काम करने और काम लेने की शर्तें हैं। ये दोनों के बीच की शर्तें हैं जो बतलाती हैं कि मजदूर किन शर्तों के आधार पर काम करेंगे और मालिक किन शर्तों के आधार पर काम ले सकेंगे। ये शर्तें दोनों के बीच का करार है जोकि दोनों की स्वीकृति से किया जाना चाहिये।

---

†मूल अंग्रेजी में

हमारी पार्लियामेंट ने और भारत सरकार ने देश आजाद हो जाने के बाद मजदूरों की बेहतरी के बहुत बड़े अच्छे कानून बनाये हैं, जिन से मजदूरों को इन्साफ मिले और वह आगे बढ़ सकें, और आज उन के द्वारा वह आगे बढ़े हैं इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन जो काम लेने की शर्तें हैं वे गुलामी के जमाने की हैं, आजादी के जमाने की नहीं हैं। सन् १९४३, १९४४ और १९४५ में जो इंडियन लेबर कानफरेंसें हुईं और उन में जो विचार सामने रखे गये, उन के आधार पर वह ऐक्ट बना था और उस के आधार पर स्टेंडिंग आर्डर बने। उस समय में लेबर कानफरेंस में जाने वाले केवल एक मात्र सेंट्रल लेबर आरगेनाइज़ेशन, ट्रेड यूनियन कोट्र्स ऐंटक के होते थे, जिन के सामने मजदूरों का हित नहीं होता था और वही लोग जो इंडियन लेबर कानफरेंस में जाते थे उन को ही उस समय की अंग्रेज़ी सरकार पार्लियामेंट के लिये नामजद करती थी। आज भी वही पुराने एक्ट की परम्परा चल रही है। मैं ऐसा मानता हूं कि गवर्नमेंट को उस एक्ट में संशोधन उन महत्व-पूर्ण बातों के आधार पर करना चाहिये था जो सन् १९५७, १९५८ और १९५९ की इंडियन लेबर कानफरेंसों में तै की गईं, मालिक, मजदूर और गवर्नमेंट के प्रतिनिधियों ने एक राय से तै किया। उस समय यह भी जिक्र आया कि इस ऐक्ट में जो विषय हैं उन को भी बदला जाना चाहिये और उस में जो डिसिप्लिन इन इंडस्ट्री और कोड आफ डिसिलिप्न एक राय से मंजूर किया गया उसे भी इस में लाना चाहिये था, लेकिन इस चीज का इस बिल में कोई दर्शन नहीं होता और हम वहीं के वहीं हैं जहां से चले थे। तो मैं आप के द्वारा माननीय मंत्री महोदय से यह निवेदन करना चाहता हूं कि आज यह जो काम लेने की शर्तें मजदूर और मालिक के बीच की हैं, वे वास्तव में मजदूर और मालिक के बीच नहीं हैं बल्कि वे केवल एम्पलायर की हैं कि वह किस तरह से काम ले सकता है और किस तरह मजदूरों के साथ बरताव कर सकता है।

अभी कुछ माननीय सदस्यों ने बताया कि इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट्स एक्ट के अनुसार इस में अपील की गुंजाइश है। अगर स्टेंडिंग आर्डर के माने के बारे में कोई सन्देह हो तो वह मामला कोर्ट के सामने जा सकता। लेकिन आज कोर्टों का यह हाल है कि अगर कोई कोर्ट में उस समय जाता है जब उस के रेखें निकलती होती हैं, तो फैसला होते तक उस के बाल सफेद हो जाते हैं। और मजदूर का तो दाल रोटी का सवाल होता है। उस को मिल में से निकाल बाहर किया जाता है। उस के पास इतने साधन कहां हैं कि वह उस जमाने तक कोर्ट में मामला चलाता रहे और बड़े बड़े वकील कर सके और सारी बातें कर सके। लेकिन यह तो दोनों की आपसी शर्तें हैं। इस में स्टेंडिंग आर्डर एक्ट के अनुसार जो मौडल स्टेंडिंग आर्डर्स हैं वह दोनों के बीच का करार है और न एम्पलायर और न मजदूर दोनों को अदालत में जाने की जरूरत है। इन आर्डर्स में बतलाया गया है कि किन शर्तों पर श्रमिक काम करेंगे और यह करार किया गया है कि किन शर्तों पर काम किया जायेगा। लेकिन यह बातें इन के अन्दर नहीं हैं और जो है एकतरफा एम्पलायर्स के पक्ष का ही है। जिस तरीके से शैड्यूल का पहला ही जो आइटम है उस में श्रमिकों की व्याख्या नहीं की गई है, परमानेंट, टेम्पोरेरी, बदली, सिखाऊ वगैरह वगैरह लेकिन श्रीमन् परमानेंट को यह अधिकार दिया गया है कि मालिक अगर उसे काम से बन्द करना चाहता है तो उसे साकाज नोटिस देगा उस की जांच करेगा लेकिन बदली वालों के लिये टेम्पोरेरी वालों के लिये ऐसी कोई गुंजाइश नहीं है। एम्पलायर की मर्जी जब चाहे उसे निकाल कर बाहर कर देगा। होता क्या है कि जो परमानेंट मजदूर काम करता है और जब वह काम पर नहीं रहता है तो उस की जगह पर काम करने वाला मजदूर बदली वाला कहलाता है और तीन महीने मुतवातिर अगर वह उस जगह पर काम कर ले तो वह परमानेंट हो जाता है। लेकिन व्यवहार में क्या देखने में आता है ? इस ऐक्ट की खामी के कारण एम्पलायर क्या करता है। एक जगह परमानेंट वरकर की खाली हो गई। वह वर्कर मर गया या काम छोड़ कर चला गया तो बदली वालों को जो

[श्री रामसिंह भाई वर्मा]

उस खाली जगह पर रक्खा जायगा तो होता यह है कि दो चार दिन इस बदली वाले को रक्खा और दो दिन बाद उसी जगह पर उसे हटा कर दूसरे बदली वाले को रख लिया और इसी तरह एक के बाद एक बदलते गये। एक ही बदली वाले को वह इसलिये उस जगह पर नहीं रखते क्योंकि उस जगह पर उस को परमानेंट करना पड़ जायगा। ऐक्ट के अन्दर यह गुंजाइश है, स्टैंडिंग आर्डर्स के अन्दर गुंजाइश है कि एक जगह के ऊपर अगर किसी से तीन महीने तक काम लिया जायगा तो वह बदली वाला मजदूर परमानेंट हो जायगा और इसलिये मालिकान तीन महीने तक उस जगह पर किसी एक को काम नहीं करने देते हैं और एक के बाद दूसरे को बदलते रहते हैं। इसी का नतीजा यह है कि आज हमारे कारखानों के अन्दर परमानेंट मजदूरों की संख्या अधिक नहीं है। परमानेंट मजदूरों की अपेक्षा टेम्पोरेरी मजदूरों की संख्या कहीं अधिक है, बदली वालों की संख्या परमानेंट की अपेक्षा काफी अधिक है। ऐसा इस वजह से है कि २४० दिन की हाज़िरी की कैद सब जगह लगी हुई है। २४० दिन की बराबर हाजिरी होगी तो उस का प्राविडेंट फंड होगा और अमुक अमुक बात करनी होगी और मिल मालिकान उन सारी चीजों से बचने के लिये यह सब हरकतें करते हैं ताकि मजदूर टेम्पोरेरी बदली वाले ही बने रहें और वह परमानेंट न हो सकें। और उन की २४० दिन की हाज़िरी ही होने पाये।

परमानेंट मजदूर को अगर मिल मालिक हटाना चाहे तो स्टैंडिंग आर्डर में मजदूर की अदालत में सुनवाई होने की गुंजाइश है वह कोर्ट में उस के खिलाफ अर्ज़दाश्त कर सकता है लेकिन टेम्पोरेरी और बदली वालों को हटाने के लिये कोर्ट में सुनवाई की कोई गुंजाइश नहीं है और इसलिये मालिकान अपनी सारी बातें चलाने के लिये इस तरह की बातें किया करते हैं।

इस अमेंडमेंट के द्वारा ऐक्ट में केवल यह तबदीली की जा रही है कि जहां पहले १०० से अधिक श्रमिकों को एम्पलाय करने वाले कारखानों पर यह स्टैंडिंग आर्डर्स लागू होते थे वहां अब यह आर्डर्स १०० से कम श्रमिक रखने वाले कारखानों पर भी बाइंडिंग हो जायेंगे। जब आप इन को उद्योग के साथ साथ दूसरे व्यवसायों में भी लागू करना चाहते हैं तो मैं मानता हूं कि इंडस्ट्रियल एम्पलायमेंट आर्डर्स का सवाल ही नहीं रहता है क्योंकि यह खाली इंडस्ट्रीज़ का ही सवाल नहीं है वरन् ऐसी सब जगहों पर जहां पर भी श्रमिक काम करते हैं यह स्टैंडिंग आर्डर्स लागू हो सकेंगे। जहां तक मजदूरों की संख्या का सवाल है जिस जमाने में यह स्टैंडिंग आर्डर्स बने थे उस वक्त कितने मजदूर काम करते थे और जो उस वक्त मशीनरीज़ थीं उन में अब काफी परिवर्तन हो गया है और नई नई मशीनों का आविष्कार हो गया है और उन को कारखानों में लगाया जा चुका है। सन् १९४७ के पहले जो हमारे कारखानों में मशीनरीज़ थीं और जहां पहले जिस पर १०० आदमी काम करते थे आज नई मशीनें लग जाने के कारण उसी मशीन पर ६ आदमी काम कर रहे हैं। चूंकि नई नई मशीनें आ गई हैं इसलिये मैन पावर घटा दी गई है। मुनाफे की गुंजाइश ज्यादा हो गई है और श्रमिकों की संख्या कम हो गई है। इस आधार पर एक्ट बनाना चाहिये कि श्रमिकों को इंसाफ सहूलियत के साथ मिले और उन के ऊपर अन्याय न हो यह अब देखने की जरूरत है। लेकिन होता क्या है? इस ऐक्ट के अनुसार जो आप का मौडल स्टैंडिंग आर्डर बना है एक मजदूर गुनाह करता है, मिसकंडक्ट में आप उसको शरीक करते हैं तो उसकी एनक्वायरी कौन करता है? उसकी सारी इनक्वायरी भी वही कारखाने का लेबर आफिसर करेगा। और जैसा चाहे रेकार्ड बना वह मैनेजर से आर्डर भी पास करा देगा कि उस मजदूर को डिसमिस किया जाय या उसको डिस्चार्ज किया जाय लेकिन ऐक्ट के अनुसार जब एक डिसमिस मजदूर उस सम्बन्ध में कोर्ट में जा कर केस फाइल करता है तो अब उसके पक्ष में उस कारखाने के मजदूर तो गवाही देंगे ही नहीं क्योंकि रोजी

सबको प्यारी है। जिस कारखाने के अन्दर वह काम करते हैं उसी कारखाने के एक मजदूर को डिसमिस किया गया तो अदालत में जा कर उसी कारखाने का कोई मजदूर डिसमिसशुदा मजदूर के हक में गवाही देने जाने वाला नहीं है क्योंकि अगर वह ऐसा करने की हिम्मत करता है तो फिर उस की रोजी रोटी सलामत नहीं है।

दूसरा सवाल क्या होता है। कोर्ट के अन्दर वह रिकार्ड्स मंगाये जाते हैं जोकि स्टैंडिंग आर्डर्स के अन्दर यह बताया गया है कि इस की इनक्वायरी की जायगी और यह देखा जायगा कि उस इनक्वायरी में क्या फैक्ट्स सामने आये हैं। अब उस इनक्वायरी को मैनेजर करेगा। निकालने वाला मिलमालिक जांच करने वाला मैनेजर एम्पलायर, एविडेंस में आने वाला एम्पलायर और उनकी ही सब बातें कोर्ट के सामने रक्खी जाती हैं और कोर्ट उन के आधार पर उस मजदूर को दोषी मानता है और इस तरह उस के ऊपर अन्याय होता है। इस में यह भी बताया गया है कि मजदूर और मालिकों के अधिकार क्या हैं। एक अधिकार यह दिया गया है कि किसी मालिक या किसी एम्पलायर ने एक मजदूर के साथ दुर्व्यवहार किया, मजदूर के साथ बुरा सलूक होता है तो स्टैंडिंग आर्डर्स के अनुसार वह मजदूर मैनेजर से या और किसी आफिसर से उस की बाबत शिकायत करे और दुर्व्यवहार करने वाले को दंड दे। अब मजदूर अगर इस के लिये शिकायत करता है तो उस की शिकायत के ऊपर जांच कौन करेगा ? जांच भी वही एम्पलायर करेगा और निर्णय भी एम्पलायर ही देगा। यह तो श्रीमन्, अंधेर नगरी चौपट राजा, टके सेर भाजी, टके सेर खाजा वाली बात हो गई। अब इस में सारे के सारे अधिकार मिलमालिकों को एम्पलायर्स ही को दिये गये हैं और मजदूरों और उन के प्रतिनिधियों को कोई अधिकार प्राप्त नहीं है। अब उदाहरणस्वरूप मान लीजिये कि एक मिल के अन्दर कोई वीविंग मास्टर है और वह वीविंग मास्टर किसी मजदूर के दो चांटे मार देता है तो वह बेचारा मजदूर शिकायत करने कहां जायगा ? वह जायगा अपनी फरियाद लेकर मैनेजर के पास या जो मिल का सुपरिनटेंडेंट होगा उसके पास जायगा और वे अधिकारी उस सम्बन्ध में चांज करेंगे तो आप स्वयं समझ सकते हैं कि उसका क्या नतीजा निकलने वाला है ? मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि कोई भी आज एम्प्लायर आपको ऐसा नहीं मिलेगा जो अपने बराबरी के अधिकारी के विरुद्ध कोई जजमेंट देगा। आज तक तो ऐसा कोई जजमेंट देखने में नहीं आया। एक मिल आधिकारी ने मजदूर को पीटा और स्टैंडिंग आर्डर के अनुसार जांच करने का भी अधिकार उस मिल के अधिकारी को प्राप्त हो। यह एक बड़ा अजीब मामला है।

इसके अलावा एक और बड़ी अजीब चीज मैं आपको बतलाना चाहता हूं। अब स्टैंडिंग आर्डर के अन्दर मजदूर द्वारा आज्ञा न मानने की भी सजा है तो मैं उस सम्बन्ध में एक सच्चा किस्सा जो कि अहमदाबाद शहर का है उसे मैं बतलाना चाहता हूं कि एक कारखाने में सेठ जी ने एक मजदूर से जो कि जरा मूंछें ऐंठ कर और ऊपर चढ़ा कर चलता था उसे आज्ञा दी कि उसे आफिस के सामने से इस प्रकार से मूंछें ऐंठ कर निकलना नहीं होगा। अब रास्ता दूसरा तो है नहीं और उसी रास्ते से उस बेचारे को निकलना पड़ता था। उससे कहा गया कि वह मूंछें साफ करके काम पर आये। उस मजदूर ने सेठजी की आज्ञा का निरादर किया और मूंछें साफ नहीं कीं और इस हेतु उसको डिसमिस किया गया। अब मैं पूछना चाहता हूं कि क्या यह भी कोई आज्ञा है ?

**एक माननीय सदस्य** : यह कब की बात है ?

**श्री रामसिंह भाई वर्मा**: उसको कुछ समय हो गया है। अब इस तरह की आज्ञा सेठ जी की कहां तक उचित कही जा सकती है और उसको न मानने की जो सजा डिसमिस की उस गरीब मजदूर को

[श्री रामसिंह भाई वर्मा]

मिली वह कहां तक उचित है ? यह भी कोई आज्ञा हुई कि अगर उसे काम पर रहना है तो उसे अपनी मूंछें साफ करके आना होगा ? मेरा निवेदन है कि इन सब चीजों को बदलना होगा ।

आप उद्योगों के मैनेजमेंट में मजदूरों को भागीदार बनाने के लिये ज्वाएंट कौंसिलें बना रहे हैं तो आपको सचमुच में उनके साथ बराबरी का व्यवहार करना होगा । अगर कोई आफीसर मिल मालिक श्रमिक के साथ दुर्व्यवहार करता है तो उसके प्रतिनिधि यूनियन को अधिकार होगा कि वह वहां जाकर उसकी जांच करे ठीक उस प्रकार से जैसे कि एक मजदूर जब किसी एक अफसर के साथ दुर्व्यवहार करता है या गलती करता है तो एम्प्लायर को यह अधिकार दिया हुआ है कि वह उसकी जांच करे। सवाल समानता का है । इस एक्ट का मतलब दोनों के बीच में मजदूर और मालिक के बीच में जो काम करने और लेने की शर्तें हैं वे समानता के आधार पर होनी चाहिएं । एक पक्षीय नहीं होना चाहियें । वर्तमान स्टैंडिंग आर्डर्ज में तो सारे अधिकार एम्प्लायर को मजदूर को चारों तरफ से बांध कर रख दिया गया है ।

श्रीमन्, इन स्टैंडिंग आर्डर्स के अनुसार मजदूर के छुट्टी लेने की बात आती है । उसमें बताया गया है कि छुट्टी लेने का तरीका क्या है । मजदूर को ऐप्लीकेशन देनी होगी, अर्जी देनी होगी और अर्जी के ऊपर जो एम्पलायर है वह विचार करेगा । और वह चाहे तो छुट्टी दे और चाहे, तो न दे । मान लीजिए कि किसी मज़दूर की पत्नी या कोई उस के देश में बीमार है, मरने की हालत है। वह प्रार्थना करता है कि उसे देश जाने के लिए छुट्टी दी जाये । अगर एम्पलायर चाहे, तो वह उस को छुट्टी देने से इन्कार कर सकता है । इसका मतलब तो यह हुआ कि या तो वह अपनी नौकरी को कायम रखे, या अपनी पत्नी के इलाज के लिए जाये । इस परिस्थिति में उस को बिना छुट्टी के जाना पड़ता है और इस लिए वह अपनी नौकरी को खो बैठता है । अगर कोई मज़दूर घर छुट्टी पर जा कर या तो स्वयं बीमार हो जाये, या उस के घर में कोई और बीमार हो जाये, और वह अपनी छुट्टी बढ़ाना चाहे और इस के लिए तार दे, या चिट्ठी लिखे, तो उस में भी एम्पलायर की मर्जी है कि उस को स्वीकार करे, या न करे, जवाब दे या न दे । जब वह आठ दिन के बाद वापस आता है, तो उस को स्टैंडिंग आर्डर के अनुसार अपनी नौकरी से हाथ धोना पड़ता है । क्यों? किस लिए ? इस का कारण यह है कि आज के ज़माने में प्राविडेंट फंड, ग्रैटुइटी आदि की व्यवस्था है और अगर किसी मज़दूर की ऐसे कारणों से डिसमिस किया जाये, तो एम्पलायर के ऊपर कोई लायबिलिटी नहीं है ।

इस विषय में इसी महीने का मेरा एक सवाल है । एक मज़दूर एक मिल में बहुत अच्छा काम करता है । बाइंडिंग डिपार्टमेंट में काम करता है । अगर कुछ मज़दूर तीन डाफ़ लपेटते हैं, तो वह चार डाफ़ लपेटता है । उसी डिपार्टमेंट के एक अधिकारी ने वहां अपने कुटुम्ब वालों को रख रखा है, जो दिन भर इधर उधर हुक्का पिया करते हैं और गप्पें मारा करते हैं । वह मज़दूर जितना माल लपेट रहा है, उस अधिकारी के रिश्तेदार उतना माल नहीं लपेटते हैं । जब सेठ जी के पास यह रिपोर्ट जाती है कि जब एक मज़दूर इतना माल लपेटता है, तो दूसरे मज़दूर क्यों नहीं इतना लपेटते हैं और इस पर एक्शन क्यों नहीं लिया जाता है । एक्शन यह लिया जाता है कि वही अधिकारी एक नये आदमी को पास दे वहां दाखिल करता है और उस को उस ज्यादा काम करने वाले मज़दूर की मशीन पर जा कर उस से झगड़ा करने के लिए कहता है । वह नया आदमी उसके पास जा कर उस से झगड़ा करता है और वह अधिकारी उन दोनों को डिसमिस कर देता है, क्योंकि स्टैंडिंग आर्डर्ज के अनुसार वहां कारखाने में झगड़ा नहीं करना चाहिए था, हालांकि तथ्य यह है कि झगड़ा करने के लिए उस आदमी को कारखाने में दाखिल किया गया

था। जब एन्क्वायरी होती है, दोनों को डिसमिस करने का आर्डर दिया जाता है। बड़ा भारी सवाल हमारे सामने यह है कि किसी आदमी को–वह ट्रेड यूनियन का अच्छा वर्कर हो या कोई साधारण मज़दूर––फाटक से बाहर निकालने के लिए मिल वालों के पास एक तरीका है। वह तरीका यह है कि वे किसी भी आदमी को एक या दो दिन के लिए दाखिल कर लेंगे और उस को लालच दे कहेंगे कि हमें फ़लां मज़दूर को निकालना है, तुम जा कर उस से झगड़ा करो। वह आदमी जाकर उस मज़दूर से झगड़ा करेगा, जिस के परिणामस्वरूप वह मज़दूर निकाल दिया जायगा, क्योंकि स्टैंडिंग आर्डर्ज़ के अनुसार मिल में झगड़ा नहीं करना चाहिए। रास्ता साफ है।

मैं माननीय मंत्री जी से निवेदन करना चाहता हूं कि इस बारे में कुछ विचार करने की ज़रूरत है। मैं समझता हूं कि इस का एक ही तरीका है जो करना चाहिये। और वह यह है कि किसी भी आदमी को डिसमिस या डिसचार्ज नहीं किया जावे––पहले उस को सस्पेंड किया जाये। और प्रतिनिधि यूनियन एम्पलायर वह और गवर्नमेंट लेबर आफ़िसर तीनों उस की जांच करें और जितने दिन वह आदमी सस्पेंड रहेगा, उस को उतने दिनों का पूरा वेतन मिले। और तीनों की राय से अंतिम निर्णय हो। गवर्नमेंट सरविस में भी यही होता है। हम ने गवर्नमेंट सर्विस में देखा है कि सस्पेंड होने वाला व्यक्ति खुशी मनाता है, क्योंकि उस को खाली बैठे पगार मिलती है। अगर यह व्यवस्था यहां भी की जाये कि हर व्यक्ति सवेतन सस्पेंड होगा, तो फिर कोई भी सस्पेंड होने वाला नहीं है और काम भी बिगड़ने वाला नहीं है। स्टैंडिंग आर्डर्ज़ में जो खामियां हैं, उन के कारण देश में हमारी ट्रेड यूनियन्ज़ पनप नहीं रही हैं। यह बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण बात है। यह जरूरी है कि उन खामियों को दूर किया जाये। इसके लिये सेंट्रल एक्ट में सुधार होना चाहिये।

स्टैंडिंग आर्डर्ज़ में एक और खामी यह है। अगर कोई कारखाना, या डिपार्डमेंट या शिफ्ट बन्द कर दिया जाता है और वह महीना, दो महीना, छः महीना, बारह महीना बन्द रहा, तो वहां के वर्कर वहां बैठे तो नहीं रहेंगे। हम ने देखा है कि उत्तर प्रदेश का कारखाना है और उस में मद्रास के भी मज़दूर मिलेंगे और इसी तरह मद्रास के कारखानों में मारवाड़ी वर्कर भी काम करते हैं। कारखाना, डिपार्टमेंट या शिफ्ट बन्द होने पर वे अपने अपने देश चले जाते हैं, क्योंकि उन की रोटी रोज़ी खत्म हो जाती है। स्टैंडिंग आर्डर्ज़ में बताया गया है कि जब वह कारखाना, डिपार्टमेंट या शिफ्ट चालू हो, तो अगर उस के सात दिन के अन्दर वह मज़दूर नहीं आता है, तो वह अपनी नौकरी खो बैठेगा। यह बात मेरी समझ में नहीं आती है। पहली बात तो यह है कि एम्पलायर्ज़ के पास सब मज़दूरों के एड्रेस रहते हैं। कारखाना या डिपार्टमेंट आदि चालू होने पर उस वर्कर्ज़ को उसके घर सूचना भजनी चाहिए कि फ़लां तारीख से यह कारखाना चालू होने वाला है और वह सूचना मिल जाने के एक या दो सप्ताह के अन्दर उसे काम पर आजाना चाहिए, अगर वह उस टाइम लिमिट के अन्दर नहीं आयगा, तो वह नौकरी खो बैठेगा। लेकिन होता यह है कि कारखाना चालू करने का नोटिस फाटक पर लगा दिया जाता है। अगर वर्कर सात दिन के अन्दर आ जाता है, तो ठीक है, वर्ना वह नौकरी खो बैठता है। मान लीजिए कि एक आदमी ने एक मिल में पच्चीस वर्ष तक काम किया है। उस को एक साल की सर्विस पर एक महीने का वेतन ग्रेच्युटी के तौर पर मिलता है। जो तरीका इस वक्त अपनाया जाता है, उस के कारण सेठ जी पच्चीस महीने के वेतन से बच जाते हैं। मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि स्टैंडिंग आर्डर्ज़ के अनुसार एम्पलायर को कितने अधिकार प्राप्त हैं जब कि मज़दूर को कोई अधिकार प्राप्त नहीं हैं। स्टैंडिंग आर्डर्ज़ से उन को यह तरीका मिल गया है कि अगर किसी पर्मानेंट मज़दूर को अलग करना है, प्राविडेंट फंड से बचना है, ले आफ़ रिट्रेचमेंट

[श्री रामसिंह भाई वर्मा]

कम्पेंनसेशन ग्रेचुएटी की रकम से बचना है, तो इस सात दिन की शर्त को पूरा कर के ऐसा किया जा सकता है । मैं माननीय मंत्री जी से निवेदन करना चाहता हूं कि उन को इन बातों पर विचार करना चाहिए । यह तो मजदूरों के सारे जीवन की रामायण है कि रोजाना उन को किस प्रकार की कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है ।

अभी इन्दौर का जिक्र है कि मुझे मालूम हुआ कि इसी तरह से एक वर्कर को नया आदमी रख उससे झगड़ा करा कर हटा दिया गया है । मैं ने इस बारे में सेठ जी से बात की । उन्होंने कहा कि आज ही रख लेते हैं और उस आदमी को उन्होंने रख भी लिया । लेकिन कैसे रखा ? उस झगड़ा कराने वाले अधिकारी ने उस की नई एप्वायंटमेंट की गई और उसकी पिछली सारी की सारी सर्विस खत्म कर दी गई । मेरी समझ में नहीं आता कि अगर एक बार उस को डिसमिस किया गया, तो फिर उस को रखते क्यों हैं । इस की वजह यह है कि वह समझते हैं कि हमारी ग़लती है और अगर इस मामले को कोर्ट में ले जाया जाये, तो अपने आप साबित हो जायगा कि एक आदमी को जान-बूझ कर झगड़ा कराने के लिए रखा गया और फिर झगड़े के वजह से उस वर्कर को निकाल दिया गया । गुनाहगार वह आदमी है, जो उस वर्कर के पास जा कर झगड़ा करता है, जो कि अपनी मशीन पर काम कर रहा है ।

इतना ही नहीं ऐसे भी किस्से होते हैं कि झगड़ा करा कर नहीं निकाला जाता है, तो यह किया जाता है कि जब कोई वर्कर खाना खा कर अपनी थैलियां टिफ़िन-कैरियर टांग देता है, तो आफ़िसर किसी आदमी से कहता है कि वह उस में कारख़ाने की कोई चीज़, नट या बोल्ट वगैरह कोई भी वस्तु रख दे । इस के साथ साथ गेट-कीपर को खबर दे दी जाती है कि फलां वर्कर गेट से निकले तो तलाशी ली जाये । जब वह वर्कर बाहर निकलता है, तो उस की तलाशी ली जाती है, क्योंकि स्टैंडिंग आर्डर्ज़ के अनुसार जब मज़दूर बाहर निकले तो उस की तलाशी लेने की गुंजाइश है । जब तलाशी ली गई तो उस वक्त उसके टिफिन या थैली में से नट और बोल्ट पाए गए और इस आधार पर कि उसने कारखाने की चोरी की है, कह दिया जाता है कि इसको डिसमिस कर दो । इस तरह की कितनी चीजें, कितनी ही बातें होती हैं, जिन के आधार पर एक मज़दूर को डिसमिस कर दिया जाता है । इन आर्डर्स के अन्दर कितनी ही दफायें हैं, जिन की वजह से मजदूरों को इंसाफ नहीं मिलता है, उनके साथ अन्याय होता है । जब कोई इस तरह की बात हो जाती है और जब उसको किसी के नोटिस में लाया जाता है तो कह दिया जाता है कि कोर्ट में चले जाओ और वहां से फैसला करवा लो । आज मजदूरों में इतनी हिम्मत नहीं है, इतनी ताकत नहीं है, इतने आर्थिक साधन नहीं हैं कि बड़े बड़े वकीलों को एनगेज करके वे अपने मुकदमे सुप्रीम कोर्ट तक या हाई कोर्ट तक ले जा सकें । मैं आपको अपना ही एक केस बतलाता हूं । १९५६ में एक झगड़ा हुआ और उसको गवर्नमेंट ने खुद इंडस्ट्रियल कोर्ट को रेफर कर दिया । यह चीज़ गजेट में भी शाया कर दी गई । वह आज भी इंडस्ट्रियल कोर्ट के सामने है । १९५६ से ले कर आज तक एक भी तिथि नहीं लगी है । यह तक नहीं कहा गया है कि फलां तारीख को दोनों पार्टियों को सुना जाएगा या दोनों पार्टियां अपना अपना एविडेंस फाइल कर दें, प्राथमिक क्या कहना है, इसको फाइल कर दें । लेकिन मैंने मामला सुलझा लिया है । ईश्वर की कृपा है कि मालिक लोग बोनस का केस सुप्रीम कोर्ट में दायर करते हैं जब उनको मजदूरों को कोई बोनस नहीं देना होता है और कहते हैं कि मजदूरों को बोनस नहीं मिलना चाहिये । इधर सुप्रीम कोर्ट में केस चलता है मेरे यहां आपसी बातचीत से मजदूरों को बोनस मिल जाता है । लेकिन मैं कानूनी दायरे की बात करता हूं । ये परेशानी मजदूरों की है कि वे लेबर कोर्ट में,

इंडस्ट्रियल कोर्ट में, हाई कोर्ट में या सुप्रीम कोर्ट में नहीं जा सकते हैं। मेरा निवेदन है कि ऐसे कानून बना आप हमें कोर्ट का मुंह न दिखायें। ऐसे कानून बनायें कि मजदूरों के प्रतिनिधि और मालिकों के प्रतिनिधि दोनों मिल बैठ कर अपनी समस्यायें हल कर लें और बीच में गवर्नमेंट को दस्तंदाजी करने की जरूरत न पड़े . . .

**श्री आबिद अली**: यह तो बहुत खुशी की बात है। अगर ऐसा हो जाए तो चाहिये ही क्या है? हम कहां बीच में आना चाहते हैं?

**श्री रामसिंह भाई वर्मा**: मेरे यहां तो यही होता है किन्तु अन्य जगह वह तभी हो सकता है कि त्रिदलीय सम्मेलन में एक राय से जो निर्णय हुए हैं, उन निर्णयों को आप अमली रूप दें। यह स्टेंडिंग आर्डर एक्ट के अन्दर आप जो एमेंडमेंट लाये हैं, बिल द्वारा, इससे बहुत ज्यादा अच्छा होता अगर आप १९५७, १९५८ और १९५९ में इंडियन लेबर कांफ्रेंस के अन्दर जो निर्णय हुए थे, कोड आफ डिसिप्लिन इन इंडस्ट्री के बारे में उनको आप अमल में लाते। स्टेंडिंग आर्डस एक्ट जो बना और उस के अन्तर्गत माडल स्टेंडिंग आर्डर्स बने, वे किस आधार पर बने, यह मैं अब आपको बतलाना चाहता हूं।

१९४३, १९४४ और १९४५ के अन्दर इंडियन लेबर कांफ्रेंस में जिसमें हमारे कम्यूनिस्ट मित्र जाते थे जो एक राय से निर्णय किये, उनके आधार पर यह एक्ट बना था। वह गुलामी का जमाना था। तब पार्लियामेंट में हम या जनता के प्रतिनिधि नहीं थे। तब अंग्रेज ट्रेड यूनियन कांग्रेस के प्रतिनिधियों को नामिनेट कर दिया करते थे, वही लेबर का प्रतिनिधित्व करने लग जाया करता है। अंग्रेजों को लेबर मूवमेंट पसन्द नहीं थी, उनको हम जैसे लोग पसन्द नहीं थे। उनके ही प्रतिनिधि पार्लियामेंट और इंडियन लेबर कांफ्रेंस में बैठते थे, उन्हीं की कृपा और मेहरबानी है कि ऐसा स्टैंडिंग आर्डर्स एक्ट बना। यह सारी उनकी ही देन है। आई० एन० टी० यू० सी० की देन नहीं है और न ही मेरी देन है। मैं तो उसका विरोध कर रहा हूं। मेरा अनुरोध है कि इन सबको १९५७, १९५८ और १९५९ में जो इंडियन लेबर कांफ्रेंस के अन्दर निर्णय हुए हैं, उनको अमल में आप लायें। आज हमारे सारे देश के प्रतिनिधि यहां बैठे हुए हैं और मैं एक मजदूर प्रतिनिधि की हैसियत से यह कहना चाहता हूं कि जो निर्णय कर लिये गये हैं, उन्हें आप कानूनी रूप देने का कष्ट करें....

†**श्री आबिद अली**: वहां यह तय हुआ था कि कानूनी शक्ल न दी जाये, वालेंटरी रखा जाये। यह फैसला हुआ था।

**श्री रामसिंह भाई वर्मा**: आई० एन० टी० यू० सी० ने स्वीकार नहीं किया फैसले का सवाल नहीं है। मैं समझता हूं कि जो कानून यह पार्लियामेंट बनाती है, वह पवित्र गंगा के समान है। जब कानून बन जाये तो यह देखा जाये कि कौन ईमानदारी से चलता है और कौन ईमानदारी से नहीं चलता है। अगर कोई ईमानदारी से नहीं चलता है तो उसको ईमानदारी से चलने के लिये अदालती रूपी मन्दिर के दरवाजे खुले हैं और उनको खटखटाया जा सकता है। लेकिन एकतरफा चीज नहीं हो सकती है।

अन्त में मैं इतना ही निवेदन करना चाहता हूं कि उन निर्णयों को कानूनी रूप दिया जाना चाहिये और उन पर बराबर अमल कराया जाना चाहिये ताकि श्रमिकों को न्याय मिल सके।

†**श्री मुहम्मद इलियास** (हावडा) : यह तो अच्छी बात है कि सरकार ने औद्योगिक रोजगार (स्थायी आदेश) संशोधन विधेयक प्रस्तुत किया है लेकिन यदि यह पारित भी हो गया तो कर्मचारियों को इससे बिल्कुल भी लाभ नहीं होगा । वर्तमान अधिनियम ने कर्मचारियों का कोई भला नहीं किया है क्योंकि मालिकान इस अधिनियम तथा इसके साथ साथ स्थायी आदेशों का भी उल्लंघन करते हैं । विभिन्न न्यायाधिकरणों के निर्णयों के आधार पर जांच की जो प्रक्रिया निकाली गई है, मालिक उसका भी पालन नहीं करते हैं ।

त्रिदलीय सम्मेलन के निर्णयों में यह स्पष्ट रूप से कहा गया है कि जांच किस प्रकार होनी चाहिये । यह व्यवस्था "शिकायत प्रक्रिया" के नाम से विख्यात है । सभी शिकायतें प्रबन्ध के पास शिकायत समिति के द्वारा भेजी जायेंगी । मेरा निवेदन है कि यह अधिनियम अब पुराना पड़ चुका है और सरकार को नैनीताल में हुए सोलहवें त्रिदलीय सम्मेलन में हुए निर्णयों के आधार पर संसद् के सामने एक नया ही विधान लाना चाहिये । वर्तमान दशा में किसी मामले की उचित जांच होनी मुमकिन नहीं है क्योंकि जांच करने वाला और चार्जशीट देने वाला पक्ष एक ही होता है । मैं चाहता हूं कि माननीय मंत्री महोदय इन आदर्श स्थायी आदेशों में परिवर्तन करें । परिवर्तन करने से प्रबंध तथा कर्मचारी दोनों को ही लाभ होगा ।

**डा० मेलकोटे** (रायचूर) : मैं इस विधेयक का स्वागत करता हूं । इसका क्षेत्र सीमित है । मेरा निवेदन है कि इस विधेयक का क्षेत्र बढ़ाकर इसे ठेकेदारों की मार्फत काम पर लगाये जाने वाले और सेना में काम करने वाले श्रमिकों पर भी लागू किया जाना चाहिये । आजकल पानी ले जाने वाले तथा रसोइयों को अपनी शिकायतें भेजने का कोई मौका नहीं है । मेरा निवेदन है कि उन्हें भी यह अवसर दिया जाना चाहिये ।

†**श्री आबिद अली** : जिनका श्रम आन्दोलन से कोई सम्पर्क रहा है उनमें से कोई भी यह नहीं कह सकता है कि औद्योगिक रोजगार (स्थायी आदेश) अधिनियम १९४६ से कर्मचारियों को लाभ नहीं हुआ है । जहां तक कि किसी संस्थान विशेष में इसके कार्य संचालन का सम्बन्ध है उसके बारे में कुछ मतभेद अवश्य हो सकते हैं । हो सकता है कि किसी इक्के दुक्के नियोजक ने अधिनियम के उपबन्धों का अनुसरण न किया हो लेकिन मोटे तौर पर हमने श्रमिक वर्ग की अत्यधिक भलाई की है । कार्मिक संघ भी इस बात को स्वीकार करते हैं ।

नैनीताल में जो संहिता अपनाई गई थी उसके और शिकायत प्रक्रिया आदि के बारे में जो श्रम मंत्रालय द्वारा मजदूरों और मालिकों की सलाह से निर्धारित की गयी थी, बहुत कुछ कहा गया है, लेकिन माननीय सदस्यों को ध्यान रखना चाहिये कि उस संहिता को स्वेच्छा से स्वीकार और लागू करने की बात थी, उसे किसी कानून में शामिल करने की बात नहीं थी । महत्वपूर्ण चीज संहिता की भावना है ।

अधिनियम में जिन बातों की भी व्यवस्था की गई हो वे तो ठीक हैं लेकिन बहुत कुछ उसके कार्यान्वयन पर और कार्मिक संघों पर भी निर्भर करता है । जहां कार्मिक संघ शक्तिशाली है वहां किसी कानून के सहारे की आवश्यकता नहीं पड़ती । (**अन्तर्बाधायें**) क्योंकि कार्मिक संघ के कार्यकर्त्ता यदि ईमानदार एवं भले हैं तो उन्हें श्रमिकों का समर्थन स्वतः ही मिल जाता है, और वे प्रबन्धकों के साथ आसानी से फैसला कर लेते हैं । अतः हम चाहते हैं कि हमारे देश में इस प्रकार के शक्तिशाली कार्मिक संघों की स्थापना हो और जो अपने हितों के

---

†मूल अंग्रेजी में

लिये श्रमिकों की शक्ति का उपयोग करना चाहते हैं उनका ह्रास हो । हमें खुशी है कि वे अपने दोस्तों और दुश्मनों को पहचानने लगे हैं। (**अन्तर्बाधायें**) कुछ छोटे मोटे उल्लंघनों का उल्लेख किया गया है । छोटी मोटी घटनायें तो सभी अधिनियमों के अधीन हुआ करती हैं लेकिन इसका अभिप्राय यह नहीं है कि कानून बुरा है । ऐसा सभी देशों में होता है उस देश में भी, जिसके प्रति इन माननीय सदस्यों की इतनी निष्ठा है। (**अन्तर्बाधायें**) ।

बम्बई के श्रम मंत्री के भाषण का भी उल्लेख किया गया है । उन्होंने यह कभी नहीं कहा था कि वह इस संहिता का पालन नहीं करना चाहते । उन्होंने यह कहा था कि बम्बई में विधि के जो उपबन्ध चालू हैं उन्हीं का उपयोग किया जायेगा। वह तो करना ही होगा। इसमें कोई विरोध की बात नहीं है । संघों को मान्यता देने के बारे में बम्बई में बम्बई औद्योगिक सम्बंध अधिनियम लागू है जिसमें मान्यता देने के बारे में प्रक्रिया निर्धारित की गई है । उसी प्रक्रिया का पालन मान्यता देने के लिये किया जाता है । नैनीताल में भी इस बात को स्वीकार किया गया था कि यदि राज्यों में कोई अधिनियम इस सम्बध में लागू है तो उसका पालन किया जायेगा । इसी बात की व्यवस्था मैं ने यहां की है । अतः नैनीताल में जो कुछ कहा गया था उसका विरोध यहां नहीं किया गया है ।

यह शिकायत उचित नहीं है कि आदर्श स्थायी आदेशों में कुछ परिवर्तन करने से पहले हमने केन्द्रीय कार्मिक संघों से परामर्श नहीं किया । सम्बन्धित सभी लोगों को संशोधन करने की सरकार की मंशा की सूचना देते हुए एक घोषणा की गयी थी । और जो टिप्पणियां प्राप्त हुई थीं उन पर उचित विचार कर लिया गया था । इतना ही नहीं प्रत्येक कार्मिक संघ को हमारे पास सुझाव भेजने का अधिकार है । इस बात की कोई सीमा निर्धारित नहीं की गई है कि अमुक तिथि के बाद कोई संशोधन नहीं किया जायेगा । कार्मिक संघों से प्राप्त सुझावों पर उचित विचार किया जायेगा और जब भी उसे मजूरों के हित में समझा जायेगा तभी संशोधन कर दिया जायेगा ।

जिस मुकदमे का उल्लेख कलकत्ता के माननीय सदस्य ने किया है उसका निर्णय श्रम न्यायालय ने नहीं बल्कि औद्योगिक न्यायाधिकरण ने किया था । उच्चतम न्यायालय ने कहा था कि जो प्रक्रिया अपनायी जाये वह ऐसी होनी चाहिये जिसे मान्यता प्राप्त हो और कोई दुर्भावना नहीं होनी चाहिये । अगर नियोजक की कार्यवाही सद्भावी थी तो अदालत को हस्तक्षेप नहीं करना चाहिये । उच्चतम न्यायालय ने यह सिद्धांत निर्धारित किया है जो बहुत उचित और उत्तम है ।

[**अध्यक्ष महोदय** पीठासीन हुये]

इस विषय में न्यायालयों द्वारा समय समय पर निर्णय दिये जाते हैं हम उनका अध्ययन करते हैं और हम देखते हैं कि कोई निर्णय ऐसा है जो विधि की कमी बताने वाला है और जब हम यह आवश्यक समझते हैं कि इसका संशोधन होना चाहिये तो हम संसद् के सामने उस संशोधन को प्रस्तुत करने के बारे में विचार करते हैं ।

यह कहा गया कि छोटे छोटे संस्थानों की देखभाल की जानी चाहिये । इस बारे में राज्य सरकारों में मतभेद है । इसलिये हमने कोई न्यूनतम सीमा निर्धारित नहीं की है । और इस बात की व्यवस्था की है कि यह अधिनियम राज्यों में उस राज्य द्वारा जारी की गई

[श्री आबिद अली]

अधिसूचना के अनुसार लागू किया जायेगा जो कि इस अधिनियम को उन संस्थानों पर जिनमें कि कर्मचारियों की संख्या कम है, लागू करना चाहे ।

†**अध्यक्ष महोदय** : क्या माननीय मंत्री अधिक समय लेंगे ?

†**श्री आबिद अली** : जी, हां ।

†**अध्यक्ष महोदय** : तो आप अपना भाषण कल जारी रखें ।

---

## सरकारी क्षेत्र के उद्योगों सम्बन्धी प्रकाशन और सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों के बारे में प्रस्ताव

†**अध्यक्ष महोदय** : श्री हरिश्चन्द्र माथुर ।

†**श्री हरिश्चन्द्र माथुर** (पाली) : मैं प्रस्ताव करता हूं :

(१) "कि यह सभा सरकारी क्षेत्र के उद्योगों संबंधी प्रकाशन पर, जो ९ मार्च, १९६० को सभा पटल पर रखा गया था, विचार करती है ।"

(२) "कि सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों को उनके स्वरूप, संगठन, संसदीय नियंत्रण और ऐसे वित्तीय सिद्धांतों के जिनसे वे व्यवस्थित होने चाहिये, मामले में सुदृढ़ बनाने के प्रश्न पर विचार किया जाये ।"

हमें मानकर चलना चाहिये कि अब सरकारी क्षेत्र हमारे यहां स्थायी रूप से रहेगा । संसार के अधिकांश देशों में अब सरकारी उपक्रम एक अनिवार्य अंग बन चुका है। समाजवादी देशों में ही नहीं, पूंजीवादी देशों में भी सरकारी क्षेत्र मौजूद है और वहां बड़ा महत्वपूर्ण कार्य कर रहा है । हमारे देश में राष्ट्रीयकरण के लिये सबसे बड़ा कदम अंग्रेज शासन ने ही उठाया था—रेलों का राष्ट्रीयकरण करके ।

वर्तमान सरकार ने राष्ट्रीयकरण के मामले में अपनी नीति उदार रखी है । हमारी नीति है कि सरकारी क्षेत्र में केवल नये उद्योग शुरू किये जायेंगे । विशेष कारण होने पर ही वर्तमान उद्योगों का राष्ट्रीयकरण किया जायेगा ।

सरकार ने सरकारी क्षत्र में ऐसे ही उद्योग और उपक्रम शुरू किये हैं जो हमारे आर्थिक विकास के लिये अत्यावश्यक हैं । सरकार ने बुनियादी भारी उद्योगों पर ही जोर दिया है । यदि सरकार तीन इस्पात कारखानों की स्थापना न करती और अन्य बुनियादी कारखाने खड़े न करती, तो निजी क्षेत्र भी अपना इतना विकास न कर पाता ।

हमारी योजनाओं की दृष्टि से यह अत्यावश्यक है कि सरकारी क्षेत्र के उद्योगों और उपक्रमों से हमारे संसाधनों में वृद्धि हो। सरकारी क्षेत्र को प्रति वर्ष १०० से १२५ करोड़ रुपये तक का अंशदान करने में समर्थ होना चाहिये । विकास कार्यों की दृष्टि से यह नितांत आवश्यक है ।

सरकारी क्षेत्र का दूसरा बड़ा लाभ है कि उसमें कर अपवंचना नहीं होती । देश में सारा भ्रष्टाचार निजी क्षेत्र से ही शुरू होता है । इसलिये निजी क्षेत्र के साथ साथ, सरकारी क्षेत्र को भरपूर बढ़ावा

---

†मूल अंग्रेजी में

देना चाहिये। पर सरकारी क्षेत्र को भी एक ठोस आधार पर खड़ा करना जरूरी है। इस संबंध में सरकार से मेरी पहली मांग यह है कि उसे अपनी नीति निर्धारित करनी चाहिये। उसे संसद् के सामने सरकारी क्षेत्र के संगठन के तौर-तरीके, उसके उद्देश्यों, उसकी लाभप्रदता और संसद् के प्रति उसके दायित्व के बारे में नीति संबंधी एक वक्तव्य पेश करना चाहिये। सभा को उस पर चर्चा करने का पर्याप्त अवसर प्रदान करना चाहिये। उसके बाद ही, सरकारी क्षेत्र संबंधी नीति को अन्तिम रूप दिया जा सकेगा। सरकारी क्षेत्र को जनता और संसद् का विश्वास प्राप्त करने योग्य बनना चाहिये।

अभी तक निजी क्षेत्र के संगठन के स्वरूप के बारे में कोई भी निश्चित सिद्धांत तय नहीं हो पाये हैं, हालांकि निजी क्षेत्र का निरन्तर प्रसार होता रहा है। आज तक निजी क्षेत्र में, १९४८–४९ के मुकाबले, ४ निगमों और ४ समवायों से बढ़कर १५ निगम और ४५ समवाय स्थापित हो चके हैं। प्राक्कलन समिति ने इसकी ओर इशारा किया है और काफी आपत्ति भी की है कि निजी क्षेत्र का अधिकांश प्रसार समवाय के प्रकार के प्रशासन में ही हुआ है। प्राक्कलन समिति ने जोर देकर कहा है कि निजी क्षेत्र में या तो विभागीय प्रशासन होना चाहिये या फिर संविहित निगम बनाये जाने चाहिये। रेलवेज़ में विभागीय प्रशासन ही होता है। विभागीय प्रशासन को भी वित्तीय मामलों में पूरी आंतरिक स्वायत्तता दी जा सकती है।

सभी स्वतंत्र विचारकों ने समवाय के ढंग के प्रशासन को बुरा बताया है। संयुक्त राष्ट्र संगठन के तत्वाधान में चलने वाले एक प्रतिष्ठान—लोक प्रशासन प्रतिष्ठान—ने इस विषय पर एक गोष्ठी का आयोजन किया था। उस में भी सभी वक्ताओं ने समवाय के ढंग के प्रशासन का पक्ष नहीं लिया और विभागीय प्रशासन या निगमों की तरह के प्रशासन का ही ज्यादा समर्थन किया था। समवायों की तरह का प्रशासन मंत्रालयों की अपनी देन है, जिसके लिये उनको संसद् की अनुमति नहीं लेनी पड़ती। ऐसे संगठन पर मंत्रालय के अधिकारियों का अधिक नियंत्रण रहता है और संसद् के प्रति उनका दायित्व भी नहीं रहता। हमें इस ढंग को त्यागना चाहिये।

कांग्रेस दल ने निगमों के प्रशासी बोर्डों में सरकारी अधिकारियों की भरमार करने का विरोध किया है। सरकारी अधिकारी उनके लिये अपना पूरा समय तो दे नहीं पाते इसलिये उनको ओर ठीक से ध्यान नहीं दे पाते और दूसरी ओर उनकी उपस्थिति से निगमों की स्वायत्तता भी नष्ट हो जाती है।

इन निगमों में सरकारी विभागों के निवृत्त उच्चाधिकारियों को भर लिया जाता है। एक विभाग से निवृत्त होने पर उनको इन में स्थान देना कहां तक उचित है। जरूरत इस बात की है कि नयी सेवा—आर्थिक और औद्योगिक सेवा आरम्भ की जानी चाहिये। उसमें अन्य विभागों को वे ही अधिकारी शामिल किये जायें जो ४५ वर्ष तक की अवस्था के हों। और निगमों के प्रशासी बोर्डों में ऐसे सरकारी अधिकारी नहीं रखने चाहियें जो अपना पूरा समय निगमों को न दे सकें। इन निगमों को तभी सफल और प्रभावी बनाया जा सकेगा, जब निगमों के कर्मचारियों की अपनी एक अलग आचार-संहिता हो। सरकारी अधिकारियों का एक दूसरा ही दृष्टिकोण और ढंग होता है, जो इन निगमों के लिये अनुपयुक्त है।

संसद्-सदस्यों को भी इन निगमों के निदेशक नहीं बनाना चाहिये। वह भी गलत होगा।

[श्री हरिश्चन्द्र माथुर]

इंगलैंड में ऐसे निगमों के निदेशक कामन्स सभा के सदस्य नहीं बन सकते ? संसद्-सदस्यों में नौकरशाही की भावना पैदा करना हानिकारक सिद्ध होगा ।

संसद् को सरकारी उपक्रमों के कार्यों के बारे में बहुत कम जानकारी जुटाई जाती है । संसद्-सदस्यों को आय-व्ययक सत्र से दस दिन पहले इन सरकारी उपक्रमों के लेखा-विवरण और प्रतिवेदन मिल जाने चाहियें ।

†**उद्योग मंत्री (श्री मनुभाई शाह)** : विभिन्न मदों के लिये किये गये बंटवारे के आंकड़े उस पुस्तिका में दिखाये गये हैं, जिसका माननीय योजना मंत्री ने तब उल्लेख किया था । योजना आयोग द्वारा प्राक्कलित ४४० करोड़ रुपये का विवरण तैयार किया जा रहा है । यदि माननीय सदस्य हम से कहते, तो हम पहले से सारी जानकारी उनके पास भेज देते ।

†**श्री हरिश्चन्द्र माथुर** : इतना आसान नहीं है । मैं ने इसके सम्बन्ध में एक प्रश्न की पूर्व-सूचना दी थी । आपने उसकी अनुमति तभी दी जबकि किसी भी सरकारी ज्ञापन में यह जानकारी नहीं मिली थी ।

और, इससे भी ज्यादा जरूरी यह है कि आय-व्ययक सत्र के दौरान सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों के सम्बन्ध में चर्चा करने के लिये दो या तीन दिन अलग से रखने चाहिये । प्राक्कलन समिति से भी अनुरोध करना चाहिये कि वह संसद् की बैठक शुरु होने से कुछ दिन पहले अपने प्रतिवेदन दे दिया करे ।

†**अध्यक्ष महोदय** : क्या इनके लिये अलग से कोई प्रतिवेदन और आय-व्ययक होना चाहिये ?

†**श्री हरिश्चन्द्र माथुर** : विभिन्न मंत्रालयों की मांगों के सम्बन्ध में चर्चा करते समय, हमारे सामने एक ऐसा विवरण होना चाहिये जिसमें बताया गया हो कि वाणिज्य की दृष्टि से उपक्रमों की दशा कैसी है, उनका आय-व्ययक क्या है गत वर्ष उनका कितना काम हुआ और अगले वर्ष के लिये क्या अनुमान है ।

मैं नहीं कहता कि सरकारी उपक्रमों का कार्य असन्तोषजनक रहा है । निजी क्षेत्र में एण्टीबायोटिक्स के कारखाने ने बड़ा सराहनीय कार्य किया है । उसने पेनीसिलीन का मूल्य ६९ नये पैसे से घटा कर ५० नये पैसे कर दिया है, और फिर भी ६० लाख रुपये का मुनाफा कर के दिखाया है ।

इसी तरह, 'हिन्दुस्तान मशीन टूल्स' ने भी बड़ी सफलता प्राप्त की है ।

लेकिन यदि हम कुल मिलाकर देखें तो हमने पूरी क्षमता से चलने वाले सरकारी उपक्रमों पर १७० करोड़ रुपये खर्च किये हैं । लेकिन इस पर मुनाफा कितना हुआ ? सभी करों की अदायगी के बाद कम से कम पांच प्रतिशत मुनाफा तो होना चाहिये । लेकिन यदि हिसाब लगाया जाये, तो १७० करोड़ रुपये पर कुल मिलाकर २ प्रतिशत से भी कम मुनाफा बैठता है । हम सरकारी उपक्रमों को हर तरह का समर्थन देने के लिये तैयार हैं लेकिन उनको कुछ ठोस काम कर के भी तो दिखाना चाहिये । जिससे कि उनके मुनाफे से देश के वित्तीय संसाधनों की वृद्धि हो सके ।

सरकारी उपक्रमों में हमारी कुल पंजी २,००० करोड़ रुपये की है । इस पर प्रतिवर्ष करीब २०० करोड़ रुपये का मुनाफा तो हो ।

---

†मूल अंग्रेजी में

आशा है कि सरकार मेरे इन सुझावों पर गम्भीरता से विचार करेगी और शीघ्र ही इस स्थायी समिति का गठन किया जायेगा, जिससे कि हमें अगले सत्र से कुछ पहले ही सरकारी उपक्रमों के संबंध में ब्यौरेवार जानकारी हो सके ।

†**अध्यक्ष महोदय** : प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ । इन दोनों पर साथ ही वाद-विवाद होगा ।

†**श्री नौशीर भरूचा** (पूर्व खानदेश) : सरकारी क्षेत्र पर संसदीय नियंत्रण का उद्देश्य यही होता है कि उपभोक्ताओं को उचित मूल्य पर वे वस्तुयें दी जा सकें ।

सभा के सामने प्राक्कलन समिति के दो प्रतिवेदन हैं--अस्सीवां प्रतिवेदन और तेहत्तरवां प्रतिवेदन । अस्सीवें प्रतिवेदन में बताया गया है कि सरकारी उपक्रमों का स्वरूप कैसा होना चाहिये । तेहत्तरवें प्रतिवेदन में सिफारिश की गई है कि सरकारी उपक्रमों को अपने आय-व्ययक में अपने कार्यों का पूरा विवरण प्रस्तुत करना चाहिये । बात बिल्कुल सही है कि सरकारी उपक्रमों के स्वरूपों में विविधता नहीं होनी चाहिये । अभी तक के अनुभव के आधार पर ही नये संगठन बनाने चाहिये ।

मैं प्राक्कलन समिति की सिफारिश से सहमत हूं कि सरकारी समवायों की स्थापना तभी की जानी चाहिये जब उनमें विदेशी पंजी का सहयोग अपेक्षित हो, और उनकी स्थापना से पूर्व संसद् की अनुमति ली जानी चाहिये । हमें शुरू से शिकायत रही है कि संविहित स्वयत्त निगमों के प्रतिवेदन आय-व्ययक सत्र से पहले नहीं मिलते, और तब भी उनमें ब्यौरेवार जानकारी नहीं जुटाई जाती । नतीजा यह होता है कि संसद् उनपर न तो चर्चा कर पाती है और न उनमें कोई परिवर्तन कर पाती है । इसलिये संसद् का उनपर कोई नियंत्रण नहीं रह पाता । और, प्रक्रिया नियम के अनुसार भी, संसद् में इन स्वायत्त निगमों के नित्य प्रति के काम के बारे में कोई प्रश्न नहीं पूछा जा सकता । इसलिये अस्सीवें प्रतिवेदन की यह सिफारिश स्वीकार की जानी चाहिये ।

समिति ने एक बड़ी महत्वपूर्ण सिफारिश की है कि सभी सरकारी उपक्रमों की समान प्रशासकीय व्यवस्था का ढंग अपनाना चाहिये और सभी को संसद् के प्रति जवाबदेह होना चाहिये । तेहत्तरवें प्रतिवेदन में सिफारिश की गई है कि सभी सरकारी उपक्रमों को अपनी वित्तीय कार्यवाहियों का एक ऐसा ब्यौरा प्रकाशित करना चाहिये, जिसे देखकर माननीय सदस्य एक ही बार में समझ सकें कि उनकी वित्तीय स्थिति और उनके कार्य की स्थिति कैसी है ।

समिति ने सिफारिश की है कि सभी सरकारी उपक्रमों के बारे में एक सामान्य विधि हो । लेकिन इतना काफी नहीं । सरकारी उपक्रमों पर संसदीय नियंत्रण का एक ही उद्देश्य है कि उपभोक्ताओं को वे वस्तुयें उचित मूल्यों पर दी जा सकें । इसमें यह भी ध्यान रखने की बात है कि सरकारी उपक्रम अपने क्षेत्र में एकाधिकारी होते हैं । प्रतियोगिता न रहने से, उपभोक्ताओं के लिये उन वस्तुओं में कोई चुनाव करने की गुंजाइश नहीं रहती । इसलिये आवश्यकता इस बात की है कि सरकारी उपक्रमों द्वारा निर्मित वस्तुओं के मूल्य-निर्धारण, इत्यादि के बारे में वित्तीय सिद्धांतों को निर्धारित करने के लिये एक सामान्य विधि बनाई जाये । जैसा कि विद्युत् संभरण उद्योग के बारे में किया गया है । विद्युत संभरण अधिनियम, १९४८ की छठवीं अनुसूची के अनुसार, कोई भी संभरणकर्त्ता निर्धारित अधिकतम मूल्य से अधिक मूल्य नहीं ले सकता । इस्पात, उर्वरकों, अखबारी कागज, इत्यादि के सरकारी उपक्रमों के लिये भी ऐसी ही व्यवस्था की जा सकती है ।

ऐसी विधि में सरकारी उपक्रमों के पूंजी-ढांचे से सम्बन्धित सिद्धान्तों को भी सम्मिलित

---

†मूल अंग्रेजी में

[श्री नौशीर भरूचा]

किया जाना चाहिए। अभी इसके सम्बन्ध में कोई एक सिद्धान्त नहीं है। सरकार मनमाने ढंग से विभिन्न उपक्रमों के लिये विभिन्न तरीके अपना लेती है।

आज सुबह इस पर बहस हो रही थी कि सरकारी उपक्रम सामान्य राजस्व में कितना अंशदान करते हैं। लेकिन उससे कुछ भी स्पष्ट नहीं हुआ। इस लिये कि कोई ऐसी विधि है ही नहीं जिसके अनुसार अवक्षयण या शुद्ध लाभ की गणना की जा सके।

†**श्री मनुभाई शाह :** आयकर विधि में हर प्रकार की मशीन के लिये उचित अवक्षयण की व्यवस्था की गई है। सभी सरकारी उपक्रमों पर, चाहे उनका स्वरूप समवायों का हो, या निगमों का, कराधान विधियां उसी प्रकार लागू होती हैं जिस प्रकार कि वे निजी क्षेत्र के उद्योगों पर लागू होती हैं। सरकारी उपक्रम, निजी उपक्रमों की भांति ही, अवक्षयण, इत्यादि की गणना करते हैं। बल्कि सरकारी उपक्रम तो और भी अधिक कड़ाई के साथ उन विधियों का पालन करते हैं।

†**अध्यक्ष महोदय :** सब निकाल कर सरकार को कितना लाभांश मिलता है? निजी क्षेत्र में तो मुनाफा वही होता है जो लाभांश के रूप में दिया जाता है। क्या इस ४४० करोड़ की राशि में लाभांश, ब्याज, आय-कर; इत्यादि शामिल हैं?

†**श्री मनुभाई शाह :** सरकारी उपक्रम भी सामान्य राजकोष को लाभांश अदा करते हैं। ४४० करोड़ रुपये की राशि कुल प्राक्कलित मुनाफा है। सरकारी उपक्रमों को जितने कर अदा करने पड़ते हैं, उन को निकालने के बाद हर समवाय के लिये प्राप्त की गई ऋण-राशि पर ब्याज अदा करना पड़ता है, ठीक वैसे ही जैसा कि निजी उपक्रम करते हैं।

लाभांश कुल मुनाफे की राशि से ही बनता है। उद्योगपतियों या प्रबन्ध अभिकर्त्ताओं की ओर से शेयरधारियों को उसी राशि में से लाभांश दिया जाता है। सरकारी उपक्रमों की ओर से सामान्य राजस्व में किया गया कुल अंशदान यही है।

†**अध्यक्ष महोदय :** मैं समझ नहीं पाया। यदि यह ४४० करोड़ रुपये की राशि ब्याज, आयकर, अवक्षयण, और अन्य व्ययों को निकालने के बाद बची है, तो यह शुद्ध लाभ की राशि ही तो हुई। फिर इसके हिसाब से लाभांश की औसत दर क्या पड़ी?

†**श्री मनुभाई शाह :** मेरे कहने का तात्पर्य यह है कि इस कुल राशि में से ही लाभांश रक्षित निधियां और अवक्षयण निधि के लिये राशियां निकाली जायेंगी।

सारे कर अदा करने के बाद, सरकारी क्षेत्र के उपक्रम सामान्य राजस्व में जितना भी अंशदान करेंगे वही लाभांश या मुनाफा होगा।

†**अध्यक्ष महोदय :** यह अभी स्पष्ट नहीं है। यदि अवक्षयण की राशि भी इसमें सम्मिलित है, तो मुनाफा क्या हुआ?

†**श्री मनुभाई शाह :** मैं वाद-विवाद का उत्तर देते समय इसका पूरी तौर पर स्पष्टीकरण करूंगा।

हर निजी समवाय अपना संतुलन-पत्र इसी तरह तैयार करता है, हिसाब इसी ढंग से दिखाया जाता है।

---

†मूल अंग्रेजी में

†**अध्यक्ष महोदय :** प्रश्न यह है कि ४४० करोड़ रुपये की राशि में से अवक्षयण निकाल देने के बाद, शुद्ध लाभ की राशि कितनी रहेगी ?

†**श्री मनुभाई शाह :** कोई भी उपक्रम इस तरह अगले पांच वर्षों के लिये अलग-अलग मदों के व्यय का अनुमान नहीं लगा सकता। मैं अपने उत्तर के दौरान इसके बारे में विस्तार से कहूंगा ।

†**अध्यक्ष महोदय :** इसे समझे बिना मैं आगे नहीं बढ़ सकता। माननीय सदस्यों को भी यह बात स्पष्ट नहीं हुई है। पहले इसके बारे में संतुष्ट होना चाहिये।

माननीय मंत्री स्पष्टीकरण करें। हर समवाय का हानि-लाभ का एक लेखा होता है। साल के अन्त में मुनाफा किसे कहते हैं ? ब्याज, इत्यादि को निकाल कर, जो भी राशि बचे उसे शेयर-पूंजी की राशि से भाग दे दीजिये, तो प्रतिशत मुनाफा निकल आयेगा। पिछले पांच साल में इस तरह का लाभांश कितना रहा ? यह तो बताया जा सकता है ?

†**श्री मनुभाई शाह :** संतुलन-पत्र में जो सकल लाभ दिखाया जाता है, उसकी गणना सभी उचित अदायगियों को घटा कर की जाती है। फिर सकल लाभ की राशि में से कर की राशि घटाई जाती है। शेष राशि में से लाभांश दिया जाता है। सरकारी उपक्रम भी हमेशा उसी प्रकार लाभांश देते हैं, जिस प्रकार कि निजी उपक्रम देते हैं। हां, यदि सभा उस पर कोई सीमा निर्धारित करना चाहे, तो उसमें लाभांश की घोषणा से पहले सभा की इच्छानुसार परिवर्तन कर दिया जाता है। उपक्रम के भावी प्रसार या उसे नये नमूने पर बनाने के लिये भी, निजी उपक्रमों को भांति ही, कुछ रक्षित राशि रखी जाती है। करों की अदायगी के बाद की शेष राशि और प्रसार के लिये रखी गई राशि--इन दोनों को मिला कर जो राशि बनती है, उसी को सरकारी उपक्रमों का लाभांश कहते हैं, जो वे लाभांश के रूप में भारत सरकार को अदा करते हैं।

हर उपक्रम का अंशदान कितना होगा, इसका निर्णय निदेशक-बोर्ड करता है। निदेशक-बोर्ड ही निश्चित करता है कि भावी प्रसार के लिये कितनी राशि रखी जाये और फैक्टरी की स्वामिनी भारतीय जनता को लाभांश के रूप में कितनी राशि दी जाये।

†**अध्यक्ष महोदय :** दोनों राशियां मिला कर कितने प्रतिशत होती हैं ?

†**श्री मनुभाई शाह :** शुद्ध विनियोजन पर कितने प्रतिशत आय होगी--अभी इस समय इसका हिसाब लगाना तो कठिन है, लेकिन हां, इतना अवश्य कहा जा सकता है १२ से १५ प्रतिशत तो होगी ही।

†**श्री नौशीर भरूचा :** माननीय मंत्री ने जो भी बताया है वह अस्पष्ट ही है। इसलिये कि शुद्ध लाभ की भी तो एक परिभाषा की जानी चाहिए। शुद्ध लाभ की गणना कैसे की जायेगी ? इसके लिये अलग से एक विधि होनी चाहिये। अब समय आ गया है कि सभी सरकारी उपक्रमों पर एक ही वित्तीय सिद्धान्त लागू किया जाये। यह निश्चित होना चाहिये कि रक्षित राशि किस अनुपात में रखी जायेगी। यदि ऐसा नहीं होगा तो एक सरकारी उपक्रम अवक्षयण या प्रसार के लिये कम रक्षित राशि रखेगा और दूसरा ज्यादा। नतीजा यह होगा कि उनकी सही वित्तीय स्थिति का कोई पता ही नहीं चल पायेगा।

---

†मूल अंग्रेजी में

[श्री नौशीर भरूचा]

जैसा कि रेलवेज में होता है। वहां भी अवक्षयण निधि की गणना के लिये कोई एक सिद्धान्त नहीं अपनाया जाता। अधिक अवक्षयण की व्यवस्था करके कम और कम अवक्षयण की व्यवस्था करके ज्यादा मुनाफा दिखाया जा सकता है। इन सभी की गणना के ढंग में एकरूपता लाना आवश्यक है।

समवाय अधिनियम शुद्ध लाभ की गणना का एक तरीका निश्चित किया गया है, लेकिन सरकारी उपक्रमों पर वह लागू नहीं होता।

†**श्री मनुभाई शाह** : सभा की स्वीकृति लेकर विमुक्त किये गये संस्थानों को छोड़ कर, अन्य सभी सरकारी उपक्रमों पर समवाय अधिनियम पूरी तौर पर लागू होता है।

†**श्री नौशीर भरूचा** : ये स्वायत्त निकाय समवाय अधिनियम द्वारा निर्धारित आधार पर शुद्ध लाभ की गणना नहीं करते। करें या न करें, यह उनकी इच्छा पर है।

सरकारी उपक्रमों को सामान्य राजस्व में कितना अंशदान करना चाहिये--यह भी विनियमित किया जाना चाहिये। इसके लिये कोई न्यूनतम सीमा तो निर्धारित हो।

और फिर मुनाफे का कोई अर्थ ही नहीं होता, यदि मूल्यों को विनियमित न किया जाये। सरकारी उपक्रम एकाधिकारी होते हैं और वे जितना चाहें मूल्यों को चढ़ा सकते हैं। इसलिये उस पर संसद् का नियंत्रण अवश्य रहना चाहिये।

उदाहरण के लिये, अभी कुछ दिन पहले सरकार ने टेलीफोन की दरें बढ़ा दी थीं। संसद् से उसके बारे में परामर्श तक नहीं किया गया। संसद् का उस पर कोई नियंत्रण नहीं।

[**श्री मूलचंद दुबे** पीठासीन हुये]

इसीलिये मैं कहता हूं कि हमारा उद्देश्य केवल संसदीय नियंत्रण कर नहीं है। हम संसदीय नियंत्रण इस उद्देश्य से करना चाहते हैं कि उपभोक्ताओं को मनमानी मूल्य वृद्धि की संभावना के विरुद्ध संरक्षण दिया जाये। और इसके लिये जरूरी है कि सरकारी उपक्रमों के सभी वित्तीय पहुलओं को विनियमित करने के लिये एक सामान्य विधि बना दी जायें।

सामान्य विधि को निश्चित करना चाहिये कि सभी सरकारी उपक्रमों का पूंजी ढांचा किस प्रकार का होगा और विभिन्न मदों पर किस अनुपात में व्यय किया जायेगा और विभिन्न निधियों की गणना किस हिसाब से होगी। केवल मुनाफे की प्रतिशत मात्रा बताने से कोई लाभ नहीं। सामान्य विधि द्वारा यह भी निर्धारित करना चाहिये कि सरकारी उपक्रमों के उत्पादों का मूल्य किस आधार पर निश्चित किया जायेगा। जब तक ऐसी व्यवस्था नहीं की जाती, तब तक संसदीय नियंत्रण की बात अर्थहीन रहेगी। अमरीका में यदि कोई भी समवाय अपने उत्पादों या अपनी सेवाओं के मूल्य में वृद्धि करना चाहे, तो उसे विनियमनकारी निकाय के सामने पहले उसका औचित्य सिद्ध करना पड़ता है। हमारे सरकारी उपक्रमों की भांति, वे मनमाने ढंग से मूल्यों मे वृद्धि नहीं कर सकते। संसदीय नियंत्रण का मतलब केवल इतना नहीं है कि संसद् उन उपक्रमों के आयव्ययक देख सकती है। उससे तो कोई लाभ ही नहीं। नियंत्रण का मतलब तो यही होना चाहिये कि सरकारी उपक्रमों की समूची कार्यवाही पर संसद्

†मूल अंग्रेजी में

का नियंत्रण हो। यदि व्यय का प्रतिशत अनुपात बता भी दिया जाये, जैसा कि जीवन बीमा निगम ने किया है, तो उससे कोई बात समझ में ही नहीं आती।

संसदीय नियंत्रण का वास्तविक उद्देश्य तो यही है कि उपभोक्ताओं को उचित मूल्य पर वस्तुएं मिलें।

†**श्री जयपाल सिंह** (रांची पश्चिम --रक्षित--अनसूचित आदिम जातियां) मेरी कामना है कि सरकारी क्षेत्र खूब फले-फूले। लेकिन सरकारी क्षेत्र ने अभी तक जो कुछ कर दिखाया, उस से मुझे निराशा ही हुई है।

मेरे झारखंड क्षेत्र में सरकारी -क्षेत्र का स्थान बड़ा महत्वपूर्ण है। झारखंड क्षेत्र में प्रतिरक्षा मंत्रालय के अधीन सरकारी उपक्रम चल रहे हैं। हालांकि इस वाद-विवाद और इस प्रतिवेदन में भी उसका कोई उल्लेख नहीं है, फिर भी है तो वह सरकारी उपक्रम ही। एवरो ७४८ विमान बनाने की उस परियोजना पर सरकार ने अपनी पूरी शक्ति लगा दी है। उस पर काफी व्यय हो रहा है। फिर भी हमें यह नहीं मालूम कि उस परियोजना का लागत-लेखा किस ढंग से तैयार किया जा रहा है। एवरो ७४८ विमान की लागत क्या है? हमें नहीं बताया जाता।

इसी तरह एक पेट्रोलियम उद्योग खड़ा करने की कोशिश की जा रही है। मैं मानता हूं कि पैट्रोल निहायत जरूरी चीज़ है। लेकिन उस में सरकारी निधियां क्यों लगाई जायें। सरकारी निधियों को किसी और बड़े काम में लगाया जा सकता है। कुछ प्राथमिकतायें तो होनी चाहियें। पेट्रोल उद्योग का विकास निजी क्षेत्र और विदेशी निजी विनियोजनों पर छोड़ा जा सकता है। जरूरत पड़ने पर उनका राष्ट्रीय करण करने से हमें कोई नहीं रोक सकता।

मैं कहना यही चाहता हूं कि सरकारी उपक्रमों की सफलताओं के लिये हमें वही मापदण्ड रखना चाहिये, जो निजी उपक्रमों के लिये इस्तेमाल किया जाता है। यदि देखा जाय तो "हिन्दुस्तान मशीन टूल्स" और "हिन्दुस्तान एण्टी बायोटिक्स", इत्यादि एक दो सरकारी उपक्रमों को छोड़ कर, शेष सभी का काम बड़ा निराशाजनक रहा है। दामोदर घाटी निगम पर १५० करोड़ रुपए खर्च किये जा चुके हैं, फिर भी यह पता नहीं चलता कि उसकी प्रगति क्या है। सरकारी उपक्रम का यह लाभ है कि मुझे रांची में प्रति यूनिट बिजली के लिये सात आने देने पड़ते हैं, जब कि उसकी लागत प्रति यूनिट तीन पुराने से पड़ती है! क्या यह मनमानी मुनाफा खोरी नहीं है?

माननीय मंत्री कहते हैं कि सरकारी उपक्रमों को १२ से १५ प्रतिशत तक मुनाफा होगा। आंकड़ों के खेल में चाहे जो दिखाया जा सकता है।

रेलवेज़ भी सामान्य राजस्व को ४ प्रतिशत से अधिक अंशदान नहीं करना चाहती। सरकारी क्षेत्र सामान्य राजस्व को कुछ देना ही नहीं चाहता।

मैं यह नहीं कहता कि निजी क्षेत्र कोई बहुत अच्छा है, लेकिन सरकारी क्षेत्र भी तो उस से अच्छा नहीं है। सरकारी क्षेत्र में भी वही कमजोरियां हैं।

---

†मूल अंग्रेजी में

[श्री जयपाल सिंह]

दामोदर घाटी निगम हो, या सिंदरी का उर्वरक कारखाना, या चितरंजन, या रूरकेला, या दण्डकारण्य—सभी जगह यही हाल है । आदिवासी विस्थापितों को बसाने के लिये कोई ठोस कार्यवाही नहीं की गई है । हमारे मंत्री और मुख्य मंत्री अब मुगल बादशाहों की तरह बातें करने लगे हैं । और, विरोधी दलों को हर समस्या का हल राष्ट्रीयकरण में ही दिखाई देता है । अच्छा तो यह हो कि वे अपने आपका राष्ट्रीयकरण करें ।

स्वास्थ्य भी तो एक सरकारी क्षेत्र है । देखिये उसका क्या हाल है । दो या तीन सरकारी उपक्रमों को छोड़कर, शेष सभी निकम्मे साबित हुए हैं । निजी क्षेत्र की कार्यक्षमता उन से कहीं अच्छी रही है । हमारे सरकारी क्षेत्र का अभी तक कोई एक रूप निखर कर सामने नहीं आया है ।

†**श्री जोकीम आल्वा** (कनारा) : मैं श्री जयपाल सिंह की इतनी बात का समर्थन करता हूं कि जहां भी सरकारी उपक्रमों के लिये उन क्षेत्रों के मूल निवासियों को विस्थापित बनाया गया है, वहां उनको पूरा-पूरा, उचित प्रतिकर दिया जाना चाहिये और हमें उन को बसाने के लिये पूरी सहायता करनी चाहिये । मैं मानता हूं कि सरकारी नौकरशाही कभी-कभी ऐसे मामलों में बड़ी निर्ममता से काम लेते हैं । इतनी बात तो ठीक है ।

लेकिन इसका यह मतलब भी नहीं कि श्री जयपाल सिंह सभी सरकारी उपक्रमों को एक लकड़ी से हांकें, और उन की अच्छाइयों को बिल्कुल ही न देखें । मैं ने चार वर्ष तक संसार का भ्रमण किया है । मैं कह सकता हूं कि हमारे सरकारी कारखाने अन्य देशों के मुकाबले घटिया नहीं हैं ।

हमारे सरकारी उपक्रमों में जो युवक काम कर रहे हैं, वे देश भक्ति की भावना से प्रेरित हैं । इसीलिये वे आधे पेट रहकर काम कर रहे हैं । निजी क्षेत्र के सब से बड़े पैरोकार, हमारे देश के थैलीशाह यह भूल जाते हैं कि आज उन के पास जितनी धन-दौलत है उतनी भारतीय इतिहास में कभी भी थैलीशाहों के पास नहीं रही । इस पर भी निजी क्षेत्र हमारे लोक तंत्र का गला घोंटना चाहता है । श्री जयपाल सिंह निजी क्षेत्र का समर्थन करते हैं । वह चाहते हैं कि हमारा देश विदेशी तेल समवायों का मोहताज बना रहे । जब कि अमरीका में केनेडी ने अपना चुनाव इसी नारे पर जीता है कि टेक्सास् के तेल-मालिकों की सम्पति की सीमा निर्धारित की जाये । और हमारे यहां का निजी क्षेत्र चाहता है कि हम हमेशा तेल का आयात ही करते रहें ।

तेल की कमी ही हिटलर की पराजय का कारण बनी थी । हमें हर कीमत पर अपने देश को तेल के मामले में आत्म-निर्भर बनाना चाहिए । इसीलिये हम अपने देश में परिस्करिणियां खड़ी कर रहे हैं । हम आत्म-निर्भर बनना चाहते हैं ।

यदि विदेशी समवाय हमें तेल देना बन्द कर दें, तो हमारे विमान कैसे चलेंगे । श्री जयपाल सिंह ने एक सरकारी उपक्रम नहीं, सभी पर कीचड़ उछाला है । उन को इन में कहीं भी कोई अच्छाई नजर नहीं आती । पर मैं दावे से कह सकता हूं कि हमारे सरकारी उपक्रम संसार के अच्छे से अच्छे उपक्रमों से टक्कर ले सकते हैं ।

---

†मूल अंग्रेजी में

अभी कुछ दिन पहले बंगलौर की हिन्दुस्तान एयरक्राफ्ट फैक्टरी में कछ मजदूरों ने भूखहड़ताल की थी। उनके साथ न्याय नहीं हो रहा था। मैंने यहां प्रतिरक्षा समिति में वह मसला उठाया था और अब उनके साथ न्याय किया गया है ।

श्री जयपाल सिंह ने एवरो ७४८ विमान के निर्माण की भी खिल्ली उड़ाई है । क्या वे नहीं चाहते कि हमारा देश विमानों का निर्माण करे? हमारे मंत्रियों को मेहनत से काम करने का आर्दश पेश करना चाहिये। मैंने चीन में देखा है कि वहां के प्रधान मंत्री फैक्टरियों या खेतों में खुद जाकर काम करते हैं। हमारे देश में हाथ से मेहनत करना घटिया काम माना जाता है । हमें महात्मा गांधी ने यही सीख दी थी कि जो नेता बनना चाहें, उन को संडासें भी साफ करनी चाहिये। मैं इसके लिये तैयार हूं। अमरीका में हर आदमी अपने हाथसे अपना हर काम करता है । देश के विकास का यही मार्ग है । हमें स्वयं अपने सरकारी उपक्रमों के लिये मेहनत करनी पड़ेगी।

सरकारी उपक्रमों की सूची तब तक पूरी नहीं होगी जब तक हम उसमें मोटर उद्योग को भी शामिल न करें। अमरीका में जो शेवरलेट कार ५०० डॉलर में मिलती है, वही हमारे देश में २,००० डालर की बिकती है । इसकी अनुमति नहीं दी जानी चाहिये। कार-उद्योग के मालिकों के विरुद्ध कार्यवाही की जानी चाहिये।

हमारा नौवहन उद्योग भी चन्द लोगों के हाथों में है। वे देश के सक्षम युवकों को नौवहन में घुसने ही नहीं देते। वे सिर्फ इतना चाहते हैं कि संसद् उनको ज्यादा से ज्यादा रुपये की मंजूरी देती जाये। मोटर और नौवहन--दोनों ही उद्योगों को सरकारी अधिकार में लेना चाहिये ।

हमारे देश में लोहे के तीन बड़-बड़े कारखाने हैं, जो एशिया भर में सबसे बड़े हैं। फिर भी हम ने श्रमिकों की ओर उचित ध्यान नहीं दिया है। हम नहीं चाहते कि अमरीका की भांति हमारे कारखानों में भी तीन-तीन महीने की हड़तालें चलें। हमें मजदूरों के लिये भविष्य निधि, परिवार निधि, क्वार्टरों और चिकित्सा, इत्यादि की सुविधायें जुटानी चाहियें। सरकारी उपक्रमों को आदर्श श्रम सम्बन्ध स्थापित करने चाहिये ।

†**श्री मुरारका** (झुंझनूं) : अब हमारे देश के सरकारी क्षेत्र में १५ संविहित निगम, ४५ समवाय और १७ विभागीय उपक्रम हैं। सरकारी क्षेत्र का बहुत प्रसार हो गया है। उसमें हमने २,००० करोड़ रुपये विनियोजित किये हैं और अनुमान है कि तृतीय योजना-काल में सरकारी क्षेत्र ४४० करोड़ रुपये का अंशदान करेगा। देश के संसाधनों के लिये।

कुछ माननीय सदस्य सरकारी क्षेत्र की सफलताओं से संतुष्ठ नहीं हैं। लेकिन हमें निराश नहीं होना चाहिये । तथ्य यह है कि सभी सरकारी उपक्रमों ने समान रूप से सफलतायें प्राप्त नहीं कीं। एक ओर चितरंजन जैसे उपक्रमों ने अत्यधिक सफलता प्राप्त की है, दूसरी ओर राष्ट्रीय कोयला विकास निगम जैसे उपक्रमों में उतनी सफलता नहीं हो पाई ।

अब हमारे देश में सरकारी क्षेत्र एक स्थायी चीज बन चुका है । हमें अधिकाधिक रूप में अब सरकारी क्षेत्र के ससाधनों पर ही निर्भर करना पड़ेगा । लेकिन इतना

†मूल अंग्रेजी में

[श्री मुरारका]

मान लेने के बाद दूसरा प्रश्न यह उठता है कि सरकारी उपक्रमों के प्रबन्ध और प्रशासन का कौन सा रूप अपनाना उचित होगा। मैं समझता हूं कि संविहित निगमों का रूप ही ठीक रहेगा, क्योंकि तब वे सरकारी नियमों और विनियमों से स्वतंत्र रहेंगे।

पर हम वर्तमान निगमों को वास्तविक स्वायत्तता नहीं दे रहे हैं। यह कहना ग़लत है कि मंत्रीगण और सरकार अपनी मनमानी करने के लिये ही इन निगमों की स्थापना कर रहे हैं। मैं उन माननीय सदस्य से भी सहमत नहीं जिन्होंने कहा है कि उन निगमों पर नाम मात्र का संसदीय नियंत्रण है।

हां, श्री माथुर की यह बात सही है कि समवाय की स्थापना करते समय या समवाय को कोई काम सौंपते समय संसद् की राय नहीं ली जाती। संसद् को कुछ राय व्यक्त करने का मौका तभी मिलता है जब माननीय मंत्री नये समवाय के लिये पूंजी मांगते हैं। इसलिये मैं प्राक्कलन समिति के इस सुझाव से सहमत हूं कि सरकारी उपक्रमों का स्वरूप सरकारी निगमों का ही होना चाहिये। इंगलैंड की भांति, हमारे यहां भी हर निगम की स्थापना के पहले एक समिति नियुक्त की जानी चाहिये, जो निगम के आकार और स्वरूप की समस्याओं पर विचार करे।

हमारे सरकारी निगमों की असफलता के दो मुख्य कारण हैं : अच्छे प्रबन्धकों की कमी और निधियों की बहुतायत। यदि निगमों को सीमित निधियां दी जायें, तो वे अच्छी सफलतायें प्राप्त कर सकेंगे। इसलिये निधियों की सुलभता सीमित की जानी चाहिये।

दूसरी ओर ऐसे भी सरकारी अधिकारी हैं जो एक साथ ९ निगमों के निदेशक हैं, और उन ९ में से एक-दो निगमों के सभापति भी हैं। ऐसे कई उदाहरण हैं। नतीजा यह है कि वे किसी भी निगम को ठीक से समय नहीं दे पाते।

इस संबंध में तीसरी चीज़ यह होनी चाहिये कि सभी सरकारी निगम व्यवसायिक सिद्धान्तों के आधार पर चलाये जायें। उन का काम व्यावसायिक संस्थाओं की भांति ही चलाया जाये। इस संबंध में, प्रोफेसर गालब्रेथ ने लिखा है कि पहले जहां सरकारी उपक्रमों के सब से बड़े शत्रु समाजवाद का विरोध करने वाले लोग होते थे, वहां अब स्वयं समाजवादी ही सरकारी उपक्रमों के सबसे बड़े शत्रु बन गये हैं। इसलिये कि वे सरकारी उपक्रमों को बिल्कुल भी स्वायत्तता और स्वतंत्रता नहीं देना चाहते, उनको वे इह तरह अपंग बना देते हैं। समाजवादियों ने ही यह घातक धारणा लोगों में जगा दी है कि सफलता विश्वास पर निर्भर है। काम पर नहीं।

†**श्री इन्द्रजीत गुप्त** (कलकत्ता-दक्षिण पश्चिम): सरकारी क्षेत्र के बारे में अपने दल का दृष्टिकोण स्पष्ट कर दूं। हम सरकारी क्षेत्र को समाजवाद के बराबर नहीं समझते। आज पूंजीवादी देशों में भी अर्थ व्यवस्था के कुछ क्षेत्रों पर सरकारी स्वामित्व रखने की प्रवृत्ति बढ़ रही है। इसलिये कि वहां सरकारी क्षेत्र बनाना जरूरी है ; इसलिये नहीं कि वे देश समाजवाद लाना चाहते हैं। हमारे देश की परिस्थिति में सरकारी क्षेत्र अत्यंत आवश्यक है। इसलिये कि कछ बाहरी शक्तियों ने हमारे देश को पूरा-पूरा विकास नहीं करने दिया है,

और इसे कम से कम समय में पूर्ण विकसित बनाने और उस विकास को एक निश्चित दिशा देने के लिये सरकारी क्षेत्र आवश्यक है। हम इसी दृष्टि से सरकारी क्षेत्र का समर्थन करते रहे हैं, और करते रहेंगे ।

लेकिन हमारा विश्वास है कि हमारे देश के सरकारी क्षेत्र में कुछ बड़ी-बड़ी त्रुटियां, अनियमिततायें और कुप्रबन्ध हैं। पर उनकी आलोचना करने का अर्थ यह नहीं है कि सरकारी क्षेत्र को खत्म कर देना चाहिये। हमारी आलोचना का उद्देश्य सरकारी क्षेत्र को योजना का अधिक कार्यक्षम साधन बनाना ही है ।

श्री जयपाल सिंह ने बताया है कि कुछ सरकारी उपक्रमों की स्थापना के लिये जिन आदि-वासियों को बेदखल किया गया था, उनको फिर से बसाने के लिये कोई कार्यवाही नहीं की गई । इस बात में हम श्री जयपाल सिंह के साथ हैं; उन के साथ कंधे से कन्धा लगा कर आदि-वासियों के पुनर्वास के लिये लड़ने को तैयार हैं। पर इससे, पूरा सरकारी क्षेत्र तो बेमतलब नहीं हो जाता।

श्री नौशीर भरूचा की यह बात बिल्कुल सही है कि सरकारी उपक्रमों द्वारा मुनाफा कमाना ही हमारा मात्र उद्देश्य नहीं है । पर यह भी उतना ही सही है कि सरकारी उपक्रमों को हमारी योजनाओं के लिये संसाधन जुटाने चाहियें। मैं इस संबंध में श्री हरिश्चन्द्र माथुर के कथन का पूरा-पूरा समर्थन करता हूं कि योजनीकरण इस ढंग से किया जाना चाहिये कि योजनीकरण और मुनाफे और मूल्यों में परस्पर समन्वय रहे।

लेकिन इस के लिये यह भी देखना पड़ेगा कि कौन सा सरकारी उपक्रम किस उद्देश्य को लेकर चलता है । एक सरकारी उपक्रम द्वारा अधिक मुनाफा कमाना अच्छा हो सकता है, जब कि दूसरे के लिये वह बुरा भी हो सकता है । उदाहरण के लिये 'हिन्दुस्तान एण्टी-बायोटिक्स्' को लीजिये। उसका सबसे पहला उद्देश्य जनता को सस्ते दामों पेनीसिलीन देना है, मुनाफा कमाना नहीं । 'हिन्दुस्तान एण्टीबायोटिक्स्' करखाने के लिये विश्व स्वास्थ्य संगठन के साथ जो करार हुआ है, उसमें साफ कहा गया है कि उसका उद्देश्य कम से कम लागत में, 'न-लाभ-न-हानि' के आधार पर 'एण्टीबायोटिक्स्' औषधियां जुटाना होगा। उसमें मुनाफाखोरी नहीं होनी चाहिये।

'हिन्दुस्तान एण्टीबायोटिक्स्' के १९५९–६० के वार्षिक प्रतिवेदन में उसे ७६.८५ लाख रुपये का मुनाफा होने की बात बड़े गर्व से कही गई है । यह अनुचित है, इसलिये कि उसमें तैयार होने वाली पेनीसिलीन बड़े घटिया दर्जे की है । डाक्टर लोग इसे पसन्द नहीं करते । यदि सेना की ओर से उसे इक्ट्ठी न खरीदा जाये, तो कारखाने के सामने संकट पैदा हो जायेगा। इसलिये उसमें पेनीसिलीन की किस्म बढ़िया बनाने की कोशिश होनी चाहिये थी, मुनाफा ज्यादा कमाने की नहीं ।

वैसे अन्य सभी सरकारी उपक्रमों को उत्पादन-लागत घटा कर, अधिक मुनाफों के जरिये सामान्य-राजस्व में अधिकाधिक अंशदान करने का प्रयास करना चाहिये ।

श्री नौशीर भरूचा ने सुझाव रखा है कि सभी सरकारी उपक्रमों के लिये एक सामान्य विधि बनाई जानी चाहिये। मैं अभी उसकी उपयोगिता को स्पष्ट नहीं देख सका। हम यह नहीं कहते कि सरकारी उपक्रमों के लिये नित्य-प्रति के प्रशासन पर संसदीय नियंत्रण हो।

[श्री इन्द्रजीत गुप्त]

उस से तो उनका विकास ही रुक जायेगा। लेकिन हां, 'कृष्ण मेनन समिति' की वह सिफारिश कार्यान्वित की जानी चाहिये कि प्राक्कलन समिति और लोक लेखा समिति के अतिरिक्त एक और भी स्थायी समिति नियुक्त की जाये जो सरकारी उपक्रमों की नीति और उन के कार्य-संचालन पर अधिक नियंत्रण रख सके।

ब्रिटेन की पार्लियामेंट में ऐसी एक प्रवर समिति है।

प्रबन्धीय शासन के सम्बन्ध में यह सुझाव बिल्कुल ठीक है कि सरकारी उपक्रमों का संचालन रेलवेज के निवृत महा प्रबन्धकों और ऐसे ही अन्य निवृत्त सरकारी अधिकारियों को सौंपना ग़लत है। सरकार इस के लिये लोगों को प्रशिक्षित करने के लिये क्या कर रही है? हमें प्रशिक्षण की ओर ही सब से अधिक ध्यान देना चाहिये।

'हिन्दुस्तान मशीन टूल्स' में श्रमिकों के साथ पहले बड़े अच्छे सम्बन्ध थे। उस के उत्पादन का रिकार्ड भी काफी अच्छा रहा है। लेकिन वहां जब से एक नया प्रबंधक भेजा गया है, तब से सारी व्यवस्था बिगड़ गई है। वह कर्मचारी प्रबन्धक और नगर प्रशासक योग्यता के बल पर नहीं, बल्कि किसी मंत्री का संबंधी होने के कारण बनाया गया है। सरकारी उपक्रमों पर ऐसे आदमी नहीं थोपे जाने चाहियें।

आशा है कि माननीय मंत्री इन सुझावों पर विचार करेंगे।

†**श्री शि० ला० सक्सेना** (महाराजगंज–उत्तर प्रदेश) : मुझे आज श्री जयपाल सिंह का भाषण सुनकर बड़ा आश्चर्य हुआ। उन्होंने कहा है कि पैट्रोल उद्योग को सरकारी क्षेत्र में नहीं रखा जाना चाहिये। मैं उनके इन विचारों को उचित नहीं समझता। मेरे विचार से पैट्रोल उद्योग को अवश्यमेव सरकारी क्षेत्र में रखा जाना चाहिये। क्योंकि यह उद्योग अभी तक विदेशी समवायों के अधीन रहा है और इसीलिये पूरी तरह पनप नहीं पाया है। जैसे ही सरकार ने इस उद्योग का कार्य आरम्भ किया हम जानते हैं वैसे ही रूस तथा रूमानिया से हमको तेल मिलने लगा तथा भारत में भी तेल की खोज की गई। जिसमें हमें सफलता भी मिली। इसलिये मैं चाहता हूं कि सरकारी क्षेत्र का विस्तार किया जाये और चीनी आदि सभी उद्योगों का राष्ट्रीयकरण कर दिया जाये।

चीनी उद्योग में हजारों काश्तकार लगे हुये हैं तथा उपभोक्ता भी इसमें अधिक रूचि इसीलिये रखते हैं क्योंकि यह प्रतिदिन उसके काम में आने वाली वस्तु है। इसलिये उन सभी उद्योगों का, जो साधारण नागरिक के लिये अधिक महत्वपूर्ण है, राष्ट्रीयकरण कर देना चाहिये। इन महत्वपूर्ण उद्योगों में मैं कोयला, चीनी, पैट्रोल उद्योगों को लेता हूं और मैं समझता हूं कि इनका राष्ट्रीयकरण अवश्य होना चाहिये।

हमारी प्राक्कलन समिति ने सरकारी क्षेत्र के समवायों में प्रशासन की गड़बड़ के बारे में बहुत कुछ सुझाव दिये हैं परन्तु बड़ा खेद है कि उनके सुझावों की ओर अपेक्षित ध्यान नहीं दिया गया है।

**[अध्यक्ष महोदय पीठासीन हुये]**

इस समय देश में १५ संविहित निगम, ४७ सरकारी समवाय तथा १७ विभागीय उपक्रम हैं। मेरा अपना विचार है कि यदि इनमें से बहुत से समवायों का प्रशासन एक कर दिया जाये तो उसके अधिक अच्छे परिणाम निकलेंगे।

---

†मूल अंग्रेजी में

इसके बारे में प्राक्कलन समिति ने भी कहा है कि सरकारी क्षेत्र में नये समवायों को न बनाकर यदि वर्तमान समवायों का ही पूर्ण उपयोग उठाया जाये तो वह कहीं अधिक लाभदायक सिद्ध होगा। इसीलिये मेरा माननीय मंत्री से सुझाव है कि वह अनावश्यक रूप से संगठनों की संख्या न बढ़ायें और वर्तमान संगठनों का ही विशेषत: मौजूदा प्रबन्धकों और टेकनिकल लोगों का यथासंभव पूरा लाभ उठायें ।

प्राक्कलन समिति ने एक यह सुझाव दिया है कि संगठनों को संविहित निगम के रूप में बनाया जाना चाहिये। परन्तु फिर भी आज अधिकांशत: समवाय ही बनाये जा रहे हैं। मेरा भी सुझाव है कि सरकारी समवायों को निगमों में परिवर्तित कर देना चाहिये तथा नये समवायों को संसद की अनुमति से निगमों के अधीन बनाना चाहिये क्योंकि जैसा प्राक्कलन समिति का भी सुझाव है, इन समवायों पर विधि के द्वारा संसद के नियंत्रण की व्यवस्था की जानी चाहिये ।

मैं एक बात और कहना चाहता हूं। जब यह बड़े बड़े कारखाने बनाये जाते हैं, तो उसके लिये भूमि ली जाती है। परन्तु यह बड़े दुर्भाग्य की बात है कि इस भूमि पर से हटाये गये किसानों को भूमि के लिये बहुत दिनों तक प्रतिकर नहीं दिया जाता है । मैं एक उदाहरण देता हूं। मेरे जिले गोरखपुर में एक नारायनी नहर बनाई गई थी। इस नहर के लिये जो जमीन ली गई उसका प्रतिकर सात साल तक नहीं दिया गया। इसके विपरीत किसानों से उस भूमि का भू-राजस्व लिया जाता रहा। पूछने पर पता लगा कि सरकार ने इसके बारे में अधिकारियों को कोई सूचना नहीं दी है। इसलिये मेरा सुझाव है कि सरकार जब इस प्रकार भूमि का अर्जन करे तब उसे जमीन के मालिकों को शीघ्रता से प्रतिकर दिलाने की व्यवस्था करनी चाहिये ।

हमारे देश में सरकारी समवायों से अगली पंच वर्षीय योजना के लिये ४४० करोड़ रुपये मिलेंगे। मैं हाल में ही रूस और चीन गया था। वहां पर मुझे पता लगा कि सरकारी सगवायों से हुये लाभों से योजनाओं का लगभग ६ से ७ प्रतिशत धन प्राप्त हो जाता है। यदि हम गणना करें तो इन ४४० करोड़ रुपये की प्रतिशतता २ आती है। मैं समझता हूं कि यह बहुत कम है। इन समवायों के लाभों की सावधानी से जांच की जानी चाहिये जिससे यह पता लगे कि इनमें अपव्यय तो नहीं हो रहा है ।

मैं जानता हूं कि रेलवे की विभागीय भोजन व्यवस्था हानि में चल रही है तथा जो भोजन यात्रियों को दिया जाता है वह भी बड़ा खराब होता है। मेरा सुझाव है कि विभागीय तथा ठेकेदारों की भोजन व्यवस्था समाप्त करके सरकार को रेलवे के छोटे छोटे विक्रेताओं की सहकारी समितियां बनानी चाहियें जो रेलवे में भोजन व्यवस्था को करें। इससे बीच में फायदा उठाने वाले लोग हट जायेंगे। मैं समझता हूं कि इस प्रकार भोजन व्यवस्था में हानि नहीं रहेगी क्योंकि यह विक्रेता अपनी वस्तुओं पर जो लाभ प्राप्त करेंगे उसको समितियों में एकत्रित करेंगे और व्यापार बढ़ायेंगे ।

रेलवे में एक बात और होती है। वहां पर चीजें चुरा ली जाती हैं तथा खोज होने के डर से उन स्थानों पर आग लगा दी जाती है जिससे यह बताया जा सके कि आग लगने के कारण सामान जल गया। इस तरह चोरी छिप जाती है। मैंने इस प्रकार ८ मामले माननीय मंत्री को बतायें हैं मैं आशा करता हूं कि वह उनकी जांच करेंगे ।

†**अध्यक्ष महोदय** : इस पर और आगे चर्चा अब कल होगी ।

---

†मूल अंग्रेजी में

## भारतीय प्रशुल्क (संशोधन) विधेयक

†**उद्योग मंत्री (श्री मनु भाई शाह)** : मैं प्रस्ताव करता हूं कि भारतीय प्रशुल्क अधिनियम, १९३४ में अग्रेतर संशोधन करने वाले विधेयक को पुरस्थापित करने की अनुमति दी जाये ।

†**अध्यक्ष महोदय** : मुझे इसके बारे में पहले से सूचना दी जानी चाहिये ।

†**श्री ब्रजराज सिंह** (फिरोजाबाद) : हमें कोई नोटिस नहीं दिया गया ।

†**श्री मनुभाई शाह**: इस तरह का विधेयक हमेशा से अध्यक्ष की अनुमति से पुरस्थापित होता रहा है ।

†**अध्यक्ष महोदय** : इसे पुरस्थापित करने के बारे में मुझे आज ३ . २० बजे सूचना मिली । खैर मुझे कोई आपत्ति नहीं है । मैं जानता हूं कि यह प्रशुल्क विधेयक है और ५ बजे पुरस्थापित होता है । मैं तो यह भी नहीं चाहता कि विधेयक की प्रतियां पहले से मेरे कार्यालय में भेजी दी जायें, इसमें इसके उपबन्धों का पहले से पता चल जाने का डर रहता है । लेकिन माननीय मंत्री को इसकी सूचना मुझे देनी चाहिये कि वह आज इसे पुरस्थापित करना चाहते हैं । अब माननीय मंत्री इस विधेयक का कुछ सारांश यहां दे दें कि इसमें है क्या ?

†**श्री मनुभाई शाह** : मैं विचार करने के समय इसके बारे में बताऊंगा । प्रक्रिया ऐसी ही है ।

†**श्री अध्यक्ष महोदय** : इस प्रस्ताव को सभा को मंजूर करना है इसलिये उसे मालूम होना चाहिये कि जो विधेयक पुरस्थापित होने जा रहा है वह क्या है । यह जानने पर ही माननीय सदस्य उसके पक्ष अथवा विपक्ष में मतदान करने का निर्णय कर पायेंगे ।

†**श्री मनुभाई शाह** : हमेशा से आपकी अनुमति से यही प्रथा रही है । इस प्रकार के विधेयकों में थोड़ी बहुत गोपनीयता होती ही है । अतः इसे ५बजे पेश किया जाता रहा है । यही प्रक्रिया ह उस आफ कामन्स में अपनाई जाती है । अगर अब आप इस प्रक्रिया में कोई परिवर्तन करना चाहें तो हम निश्चय ह उसका पालन करेंगे ।

†**अध्यक्ष महोदय**: भविष्य में क्या प्रक्रिया अपनाई जाये इसके बारे में मैं विचार करूंगा ।

अब मेरा यह निर्णय है और भविष्य में इसका पालन किया जाना चाहिये कि जब किसी माननीय मंत्री को दिन की समाप्ति के समय किसी विधेयक को पुरस्थापित करने की अनुमति दी जाये तो उन्हें विधेयक का सार संक्षेप में सभा में बताना चाहिये जिससे माननीय सदस्य विधेयक को पुरस्थापना की अनुमति देने में सोच विचार कर मतदान कर सकें ।

आज म इस नियम की छूट देता हूं । प्रश्न यह है :

"कि भारतीय प्रशुल्क अधिनियम, १९३४ में अग्रेतर संशोधन करने वाले विधेयक को पुरस्थापित करने की अनुमति दी जाये ।"

**प्रस्ताव स्वीकृत हुआ**

†**श्री मनुभाई शाह** : मैं विधेयक को पुरस्थापित करता हूं ।

---

**इसके पश्चात् लोक-सभा बुधवार, १४ दिसम्बर, १९६०/२३ अग्रहायण, १८८२ (शक) के ग्यारह बजे तक के लिये स्थगित हुई**

---

†मूल अंग्रेजी में

[मंगलवार, १३ दिसम्बर, १९६०]
[२२ अग्रहायण, १८८२ (शक)]


| | विषय | पृष्ठ |
|---|---|---|
| प्रश्नों के मौखिक उत्तर | . | २५३३—५५ |
| तारांकित प्रश्न संख्या | | |
| ८६६ | संयक्त राष्ट्र संघ में तिब्बत के मामले के बारे में अफ्रीकी एशियाई सम्मेलन . . | २५३३—३६ |
| ८६७ | दंडकारण्य योजना . | २५३६—३७ |
| ८६८ | लौह-अयस्क का निर्यात | २५३८—४० |
| ८६९ | स्कूटरों का वितरण . . . | २५४०—४२ |
| ८७० | सीमेंट की कमी . | २५४२—४४ |
| ८७२ | तीसरी पंच वर्षीय योजना | २५४४—४७ |
| ८७३ | केन्द्रीय स्टाफ कालेज . | २५४७—४८ |
| ८७४ | मशीनी औजार . . . . | २५४९—५० |
| ८७६ | भारी विद्युत परियोजना, भोपाल में हड़ताल | २५५०—५१ |
| ८७७ | नागा विद्रोही . . . | २५५१—५३ |
| ८७८ | यूरोपीय सामान्य मार्केट . . | २४५३ |
| ८८६ | यूरोपीय सामान्य मार्केट . . . | २५५४—५५ |
| प्रश्नों के लिखित उत्तर | . . . . | २५५५—९४ |
| तारांकित प्रश्न संख्या | | |
| ८७१ | सरकारी उपक्रमों की रिपोर्टें | २५५५ |
| ८७५ | रासायनिक पदार्थों का निर्यात | २५५६ |
| ८७९ | ट्राम्बे में उर्वरक संयंत्र | २५५६ |
| ८८० | अखबारी कागज का निर्माण . | २५५६—५७ |
| ८८१ | दिल्ली में श्रमिकों के लिये क्वार्टर . | २५५७ |

प्रश्नों के लिखित उत्तर—(जारी)


| | विषय | पृष्ठ |
|---|---|---|
| तारांकित प्रश्न संख्या | | |
| ८८२ | पांडिचेरी | २५५७–५८ |
| ८८३ | ऊन के लच्छे | २५५८ |
| ८८४ | काफी हाउस | २५५८ |
| ८८५ | उत्तर पूर्वी सीमांत अभिकरण में चीनियों द्वारा प्रचार | २४५८–५९ |
| ८८७ | भारतीय उद्योग मेला | २५५९ |
| ८८८ | जालन्धर में सहकारी औद्योगिक बस्तियां | २५५९ |
| ८८९ | रूरकेला इस्पात परियोजना क्षेत्र में छोटे पैमाने के उद्योग | २५६० |
| ८९० | हल्के उद्योगों में स्त्रियों की नियुक्ति | २५६० |
| ८९१ | हथकरघों पर बने कपड़े का निर्यात | २५६०–६१ |
| अतारांकित प्रश्न संख्या | | |
| १७०१ | अखबारी कागज | २५६१–६२ |
| १७०२ | कागज़ और गत्ता | २५६२ |
| १७०३ | साइकलों के टायर | २५६२–६३ |
| १७०४ | मोटर गाड़ियों के टायर | २५६३–६४ |
| १७०५ | साबुन | २५६४ |
| १७०६ | नाइट्रो-सेल्युलोज़ की सुनहरी वार्निश | २५६४–६५ |
| १७०७ | रंग, वार्निश और एनेमल | २५६५–६६ |
| १७०८ | सांचे बनाने का संश्लिष्ट पाउडर | २५६६–६७ |
| १७०९ | तरल ग्लूकोज | २५६७ |
| १७१० | ग्लूकोज़ पाउडर | २५६७–६८ |
| १७११ | महाराष्ट्र के ऐतिहासिक स्थानों के संबंध में प्रलेखीय चलचित्र | २५६८ |
| १७१२ | आकाशवाणी केन्द्र, नागपुर | २५६८–६९ |
| १७१३ | टैगोर के जीवन के संबंध में फिल्म | २५६९ |
| १७१४ | राज सहायता प्राप्त औद्योगिक गृह-निर्माण योजना | २५६९ |
| १७१५ | द्वितीय पंचवर्षीय योजना | २५७० |
| १७१६ | मिट्टी के बर्तन बनाने का उद्योग | २५७० |
| १७१७ | इस्पात के ढांचों का निर्माण | २५७०–७१ |
| १७१८ | सरकारी प्रेसों में कर्मचारी | १५७१ |

विषय पष्ठ

प्रश्नों के लिखित उतर—जारी


अतारांकित
प्रश्न संख्या

| | | |
|---|---|---|
| १७१९ | केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग का पालम का बिजली घर | २५७१ |
| १७२० | मोटर गाड़ियों का निर्माण . | २५७१ |
| १७२१ | पश्चिमी बंगाल के विस्थापित व्यक्तियों के अकर्म वेतन | २५७२ |
| १७२२ | रेडियो सेटों का निर्माण | २५७२ |
| १७२३ | पंजाब में श्रम विवाद . . . | २५७३ |
| १७२४ | चकरौता की विमान दुर्घटना के पीड़ितों को प्रतिकर | २५७३ |
| १७२५ | औद्योगिक विवाद अधिनियम, १९४७ में संशोधन | २५७३ |
| १७२६ | कर्मचारी राज्य बीमा योजना . | २५७३–७४ |
| १७२७ | कानपुर में कर्मचारी राज्य बीमा अस्पताल | २५७४ |
| १७२८ | उत्तर प्रदेश के पहाड़ी जिलों के लिये विकास कार्यक्रम | २५७४–७५ |
| १७२९ | श्री जै० ई० डा० फोनेस्का को दिया गया मकान | २५७५ |
| १७३० | उर्वरक के कारखाने | २५७५ |
| १७३१ | रेलवे सामान का निर्यात | २५७५–७६ |
| १७३२ | कच्ची फिल्मों का कारखाना . . | २५७६ |
| १७३३ | केन्द्रीय रेशम कृमि पालन अनुसन्धान केन्द्र, बरहामपुर | २५७६–७७ |
| १७३४ | गोआ . . . . . | २६७७ |
| १७३५ | प्रधान मंत्री का राष्ट्रीय सहायता कोष | २५७८ |
| १७३६ | राजामुंदरी में कागज के कारखाने | २५७८ |
| १७३७ | फास्फोरस का कारखाना . . . | २५७८ |
| १७३८ | कल्याणखानी (आंध्र प्रदेश) में प्रादेशिक अस्पताल | २५७९ |
| १७३९ | टायर और ट्यूब बनाने वाले कारखाने | २५७९–८० |
| १७४० | संसद्-भवन में मरम्मत . | २५८० |
| १७४१ | केन्द्रीय भेषज पुर्ननियंत्रण संस्था | २५८० |
| १७४२ | किताबों के लिये अखबारी कागज | २५८०–८१ |
| १७४३ | हथकरघे का कपड़ा . . | २५८१ |
| १७४४ | बाट और माप . | २५८१ |
| १७४५ | जनता होटल दिल्ली . . | २५८२ |
| १७४६ | कृषि उत्पादों का किस्म-अंकन . | २५८२ |
| १७४७ | वेस्टर्न कोर्ट होस्टल, नई दिल्ली . . | २५८२–८३ |

| | विषय | पृष्ठ |
|---|---|---|
| | प्रश्नों के लिखित उत्तर—जारी | |
| | **अतारांकित प्रश्न संख्या** | |
| १७४८ | दिल्ली में कोयला व्यापारियों को आवंटन | २५८३–८४ |
| १७४९ | लोकोपयोगी सेवायें | २५८४ |
| १७५० | पश्चिमी जर्मनी को इंजीनियरी माल का निर्यात | २५८४ |
| १७५१ | आवास योजनायें | २५८४–८५ |
| १७५२ | मुद्रणालय के कर्मचारियों के सेवा नियम | २५८५ |
| १७५३ | टायर और ट्यूब | २५८५ |
| १७५४ | राजघाट पर क्वार्टर | २५८६ |
| १७५५ | राजघाट पर क्वार्टर | २५८६ |
| १७५६ | प्रबन्ध में श्रमिकों द्वारा भाग लिया जाना | २५८७ |
| १७५७ | नारियल जटा उद्योग का सर्वेक्षण | २५८७ |
| १७५८ | केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग | २५८७–८८ |
| १७५९ | हथकरघा बुनकर | २५८८ |
| १७६० | पंजाब के अर्ध-विकसित क्षेत्रों के लिये समिति | २५८९ |
| १७६१ | अशोधित पेनिसिलिन का आयात | २५८९ |
| १७६२ | अशोक होटल | २५८९–९० |
| १७६३ | प्रलेखीय चलचित्र | २५९० |
| १७६४ | चाय का निर्यात | २५९०–९१ |
| १७६५ | "इन्स्टेंट" चाय | २५९१ |
| १७६६ | पूंछ क्षेत्र में पाकिस्तानियों द्वारा मारे गये भारतीय | २५९१–९२ |
| १७६७ | तेलगू में महात्मा गांधी एलबम | २५९२ |
| १७६८ | खान मार्केट, दिल्ली | २५९२ |
| १७६९ | औद्योगिक कार्यों का केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग से दिल्ली नगर निगम को हस्तांतरण | २५९२–९३ |
| १७७० | पंजाब हथकरघा श्रमिकों का आवास | २५९३ |
| १७७१ | अमृतसर में गन्दी बतिस्यों को हटाना | २५९३–९४ |
| १७७२ | डिप्लोमेटिक एन्कलव, नई दिल्ली में मार्केट | २५९४ |
| | **सभा पटल पर रख गये पत्र** | २५९५–९६ |
| | (१) दादरा और नागरहवली के बारे में पुनरीक्षण अधिकारी के प्रतिवेदन की एक प्रति। | |

विषय पृष्ठ

(२) समवाय अधिनियम, १९५६ की धारा ६३७ की उप-धारा (३) के अन्तर्गत दिनांक ३ दिसम्बर, १९६० की अधिसूचना संख्या जी० एस० आर० १४३५ की एक प्रति ।

(३) प्रशुल्क आयोग अधिनियम, १९५१ की धारा १६ की उप-धारा (२) के अन्तर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति :—

(एक) बाल बीयरिंग उद्योग का संरक्षण जारी रखने के बारे में प्रशुल्क आयोग का प्रतिवेदन (१९६०) ।

(दो) दिनांक ८ दिसम्बर, १९६० का सरकारी-संकल्प संख्या १८(६) टी० आर०/६० ।

(तीन) बिजली और डिस्ट्रब्यूशन ट्रांसफार्मर उद्योग का संरक्षण जारी रखने के बारे में प्रशुल्क आयोग का प्रतिवेदन (१९६०) ।

(चार) दिनांक ९ दिसम्बर, १९६० का सरकारी संकल्प संख्या ११(१)-टी० आर०/६० ।

(पांच) ऊपर (तीन) और (चार) में उल्लिखित दस्तावेजों की एक-एक प्रति उक्त उप-धारा में निर्धारित अवधि के अन्दर सभा-पटल पर क्यों नहीं रखी जा सकी इसके कारण बताने वाला एक वक्तव्य ।

(छः) अल्यूमीनियम उद्योग का संरक्षण जारी रखने के बारे में प्रशुल्क आयोग का प्रतिवेदन (१९६०) ।

(सात) दिनांक १० दिसम्बर, १९६० का सरकारी संकल्प संख्या ३ (३)-टी० आर/६० ।

(आठ) बेअर कॉपर कंडक्टर, ए० सी० एस० आर० (अल्यूमीनियम कंडक्टर स्टील रीइन्फोर्स्ड) तथा ए० ए० सी० (ऑल अल्यूमीनियम कंडक्टर) तैयार करने वाले उद्योग का संरक्षण जारी रखने के बारे में प्रशुल्क आयोग का प्रतिवेदन (१९६०) ।

(नौ) दिनांक १० दिसम्बर, १९६० का सरकारी संकल्प संख्या ३(१)-टी० आर०/६० ।

(दस) सूती वस्त्र मशीनरी (स्पिनिंग रिंग फ्रेम्स, स्पिंडल्स, स्पिनिंग रिंग्स, फ्लूटेड रोलर्स और स्वचालित करघे) उद्योग का संरक्षण जारी रखने के बारे में प्रशुल्क आयोग का प्रतिवेदन (१९६०) ।

(ग्यारह) दिनांक १० दिसम्बर, १९६० का सरकारी संकल्प संख्या १८(७)-टी० आर०/६० ।

विषय पृष्ठ

(बारह) बाइसिकल उद्योग का संरक्षण जारी रखने के बारे में प्रशुल्क आयोग का प्रतिवेदन (१९६०) ।

(तेरह) दिनांक १० दिसम्बर, १९६० का सरकारी संकल्प संख्या ७(२)-टी० आर/६० ।

(४) निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति :—

(१) कर्मचारी भविष्य निधि अधिनियम, १९५२ की धारा १ की उप-धारा (३) के खंड (ख) के अन्तर्गत निकाली गई दिनांक २९ अक्तूबर, १९६० की जी० एस० आर० १२७४ ।

(२) कर्मचारी भविष्य निधि अधिनियम, १९५२ की धारा ४ की उप-धारा (२) के अन्तर्गत दिनांक ३ दिसम्बर, १९६० की जी० एस० आर० १४४३ ।

(३) कर्मचारी भविष्य निधि अधिनियम, १९५२ की धारा ७ की उप-धारा (२) के अन्तर्गत कर्मचारी भविष्य निधि योजना, १९५२ में कुछ और संशोधन करने वाली दिनांक, ३ दिसम्बर, १९६० की जी० एस० आर० १४४४ ।

(५) बाट तथा माप के प्रमाप अधिनियम, १९५६ की धारा १७ की उप-धारा (३) के अन्तर्गत दिनांक १९ नवम्बर, १९६० की अधिसूचना संख्या एस० ओ० २७६० में प्रकाशित बाट तथा माप के प्रमाप (प्रतिमान बाटों में बदलना) नियम, १९६० की एक प्रति ।

**राज्य सभा से सन्देश** . . . . . २५९७

सचिव ने राज्य सभा से प्राप्त निम्नलिखित सन्देशों की सूचना दी :—

(एक) (क) कि राज्य सभा ३० नवम्बर, १९६० की अपनी बैठक में लोक सभा द्वारा २३ फरवरी, १९६० को दहेज निषेध विधेयक, १९५९ में किये गये संशोधनों से सहमत हो गई है ।

(ख) कि राज्य सभा ने अपनी उसी बैठक में उक्त विधेयक में १६ दिसम्बर, १९५९ को किये गये उन संशोधनों पर, जिनसे लोक-सभा सहमत नहीं हुई थी, आग्रह किया है ।

(दो) कि राज्य सभा ने ८ दिसम्बर, १९६० की अपनी बैठक में बाल विधेयक, १९६० को पारित कर दिया है ।

विषय पृष्ठ

राज्य सभा द्वारा लौटाये गये रूप में विधेयक—सभा पटल पर रखा गया . २५९७

सचिव ने राज्य सभा द्वारा लौटाये गये रूप में दहेज निषेध विधेयक, १९६० को सभा पटल पर रखा ।

राज्य सभा द्वारा पारित किया गया विधेयक—सभा पटल पर रखा गया . २५९८

सचिव ने राज्य सभा द्वारा पारित किये गये रूप में बाल विधेयक, १९६० को सभा पटल पर रखा ।

अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना . . २५९८—९९

श्री स० मो० बनर्जी ने ऊनी कपड़ा (उत्पादन तथा वितरण नियंत्रण) आदेश, १९६० के अन्तर्गत सरकारी आदेश के फलस्वरूप उत्तरी भारत की ऊनी कपड़ा मिलों को हुई कठिनाइयों की ओर वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री का ध्यान दिलाया ।

उद्योग मंत्री (श्री मनुभाशई शाह) ने इस सम्बन्ध में एक वक्तव्य दिया ।

कार्य मंत्रणा समिति का प्रतिवेदन स्वीकृत . . . . २५९९

उनसठवां प्रतिवेदन स्वीकृत हुआ ।

विधेयक पारित . . . . . २५९९—२६०७

पशु निर्दयता निवारण विधेयक पर विचार करने के प्रस्ताव पर, राज्य सभा द्वारा पारित रूप में, आगे चर्चा समाप्त हुई और प्रस्ताव स्वीकृत हुआ । खंडवार विचार के पश्चात् विधेयक पारित किया गया ।

विधेयक विचाराधीन . . . २६०७—२०

श्रम उपमंत्री (श्री आबिद अली) ने औद्योगिक रोजगार (स्थायी आदेश) संशोधन विधेयक पर विचार करने का प्रस्ताव प्रस्तुत किया । चर्चा समाप्त नहीं हुई ।

सरकारी क्षेत्र के उद्योगों-सम्बन्धी प्रकाशन और सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों के बारे में प्रस्ताव . . . . . २६२०—३३

श्री हरिश्चन्द्र माथुर ने (१) सरकारी क्षेत्र के उद्योगों संबंधी प्रकाशन और (२) सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों के बारे में प्रस्ताव प्रस्तुत किये । चर्चा समाप्त नहीं हुई ।

विषय पृष्ठ

विधेयक-पुरःस्थापित . . . . . . २६२४

भारतीय प्रशुल्क (संशोधन) विधेयक, १९६० ।

बुधवार १४ दिसम्बर, १९६०/२३ अग्रहायण, १८८२ (शक) के लिये कार्यावलि

(१) औद्योगिक रोजगार (स्थायी आदेश) संशोधन विधेयक पर आगे विचार और उसका पारित किया जाना

(२) निम्न विधेयकों पर विचार और उन्हें पारित करना :—

(क) अधिमान-प्राप्त अंश (लाभांशों का विनियमन) विधेयक, प्रवर समिति द्वारा प्रतिवेदित रूप में

(ख) मोटर परिवहन कर्मचारी विधेयक, संयुक्त समिति द्वारा प्रतिवेदित रूप में

(३) सरकारी क्षेत्र के उद्योगों संबंधी प्रकाशन और सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों के बारे में प्रस्तावों पर आगे चर्चा ।